अंक– १३

संस्थान विचार

Library
3/6/86

जनसंख्या शिक्षा विशेषांक

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश

राज्य शिक्षा संस्थान, उ०प्र०
इलाहाबाद

संस्थान विचार

अंक १३

जन संख्या शिक्षा विशेषांक

NIEPA DC
D02432

राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद
वर्ष 1982–83

- 542
370.78
UTT -

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 2432
Date 30/4/82

आमुख

अर्थपूर्ण तथा प्रभावी शिक्षा सदैव समय-सापेक्ष और राष्ट्रीय एवं सामाजिक अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप होती है। अतएव इस दृष्टि से स्तरानुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सामग्री में समाज की समस्याओं तथा आवश्यकताओं का परिलक्षित होना अपरिहार्य ही नहीं सहज स्वाभाविक है। अपने वार्षिक प्रकाशन 'संस्थान विचार' के वर्ष 1982-83 में प्रकाशित होने वाले तेरहवें अंक को राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने "जनसंख्या शिक्षा विशेषांक" का रूप देकर राष्ट्र की एक ज्वलंत तथा अत्यधिक जटिल समस्या के सम्बन्ध में अभीप्सित चेतना जागृत करने का स्तुत्य प्रयास किया है।

अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि की समस्या का हमारे राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्र के नव निर्माण-कार्य में रत राजनेता, नियोजनकर्त्ता, शिक्षाविद् तथा प्रबुद्ध विचारक सभी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से चिन्तित हैं और इसके समाधान हेतु प्रभावी उपाय खोजने में संलग्न हैं। इस दिशा में जहां एक ओर व्यापक सामाजिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर सभी स्तरों की शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं पठन-पाठन सामग्री के माध्यम से छात्र-छात्राओं में सीमित परिवार के लाभों तथा अनियंत्रित आकार के परिवार से होने वाली हानियों के सम्बन्ध में वांछनीय दृष्टिकोण का विकास अपेक्षित है।

प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता को समुन्नत करने तथा पठन-पाठन कार्यक्रम को अधिकाधिक प्रासंगिक एवं समयानुरूप बनाने की दिशा में राज्य शिक्षा संस्थान प्रारम्भ से ही अग्रणी भूमिका का निर्वाह करता रहा है। 'संस्थान विचार' की श्रृंखला में प्रकाशित पूर्व अंकों में समग्र शिक्षा व्यवस्था से सम्बद्ध विविध पक्षों, यथा पाठ्यक्रम विकास, शैक्षणिक सामग्री की संरचना, अध्यापक प्रशिक्षण, प्रभावी कक्षा-शिक्षण, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण आदि पर उपयोगी विचार-सामग्री प्रस्तुत करने के साथ ही संस्थान ने 'पाठ संकेत विशेषांक', 'श्रव्य-दृश्य उपकरण विशेषांक', 'प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण विशेषांक', 'संस्थान परिचायिका विशेषांक' आदि के प्रकाशन द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विविध क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत विशेषांक द्वारा संदर्भित विश्वव्यापी एवं राष्ट्रव्यापी स्तर की जनसंख्या वृद्धि की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उसके समाधान हेतु गम्भीरतापूर्वक चिन्तन-मनन के लिए संस्थान ने उपयोगी विचार-सामग्री प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत अंक में "उत्तर प्रदेश में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम", "भारत में जनसंख्या शिक्षा-क्या ? क्यों ? कैसे ?" "जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका", "जनसंख्या शिक्षा नव चेतना का द्वार", "जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य", "जनसंख्या वृद्धि-निवारण हेतु प्रमुख साधन", "राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास-जनसंख्या-दबाव की समस्या के समाधान के रूप में", आदि प्रकरणों के अन्तर्गत प्रबुद्ध पाठकों को विचारोत्तेजक तथा ज्ञानवर्द्धक सामग्री सुलभ हो सकेगी।

आशा है इस अंक में प्रस्तुत सामग्री से शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा शिक्षा प्रेमी विद्वज्जनों को जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं और उसके समाधान के संभावित उपायों पर विचार करने हेतु नवीन आयाम प्राप्त हो सकेंगे। प्रस्तुत अंक के लेखों के लेखकों के प्रति मैं आभारी हूं जिन्होंने परिश्रमपूर्वक उन्हें तैयार किया है। इस विशेषांक का सम्पादन करने में संस्थान की शोध प्रवाचिका श्रीमती सरला खन्ना ने मेरी विशेष सहायता की है। एतदर्थ मैं उनका आभारी हूं।

सच्चिदानन्द धौलाखंडी,

प्राचार्य,

राज्य शिक्षा संस्थान,

उ० प्र०, इलाहाबाद।

विषय–सूची

क्रमांक	शीर्षक		पृष्ठ–संख्या
1	उत्तर प्रदेश में जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रम	..	1
2	भारतीय परम्परा में सीमित परिवार की संकल्पना	..	7
3	जनसंख्या शिक्षा–नवचेतना का द्वार	..	10
4	यह भूतल ही स्वर्ग बनेगा [कविता]	..	11
5	बोझ [कहानी]	..	13
6	क्या आज प्रवास द्वारा जनसंख्या जन्य समस्याओं का समाधान सम्भव है ?	..	15
7	भारत में जनसंख्या शिक्षा क्या ? क्यों ? कैसे ?	..	18
8	जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य	..	22
9	भारत में जनसंख्या की प्रवृत्ति	..	25
10	भारत सरकार की जनसंख्या नीति	..	30
11	भारत तथा उत्तर प्रदेश के 1981 के जनसंख्या सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े	..	33
12	भारत में प्रजनन दर––वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में	..	35
13	जनसंख्या शिक्षा में शिक्षक वर्ग का योगदान	..	42
14	जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका	..	44
15	जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका	..	48
16	भयानक बाढ़ [कविता]	..	50
17	जनसंख्या भूगोल	..	52
18	जनसंख्या शिक्षा पर प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण	..	54
19	जन शक्ति एवं देश का विकास	..	58
20	जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव––भारत के परिप्रेक्ष्य में	..	64
21	पुस्तक समीक्षा	..	66

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

श्री सच्चिदानन्द धौलाखंडी,
प्राचार्य,
राज्य शिक्षा संस्थान,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

भारत की जनसंख्या--

भारत ससार के उन देशों में से एक है जिसने सन् 1952 में ही राज्य जनसंख्या नीति को स्वीकार किया। वास्तव में दूसरे मुल्कों ने भी इसका अनुकरण किया । यह समझने में काफी समय लगा कि जनसंख्या से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा एक बड़ा योगदान दे सकती है । भारत वर्ष में बम्बई में अगस्त, 2 और 3 , 1969 को जनसंख्या शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर की एक गोष्ठी आयोजित की गई जो भारतवर्ष में जनसंख्या शिक्षा को स्वीकार करने के लिए एक सीमा चिन्ह थी। इसी क्रम में वर्ष 1970 में एक जनसंख्या कोष स्थापित किया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेकों गोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें स्कूल स्तर पर तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा यू० एन० एफ० पी० ए० (यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फार पापुलेशन एक्टीविटीज) के सहयोग से भारत सरकार ने जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को देश में तेजी से लागू करने के लिए कदम उठाया ।

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक चुनौती है और यदि अभी इसके नियंत्रण के लिए विचार व किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा ।

भारत सरकार/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्/यू० एन० एफ० पी० ए० के सहयोग से उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या शिक्षा परियोजना को वर्ष 1981-82 से प्रारम्भ किया गया । इस परियोजना के प्रदेश में संचालन करने का उत्तरदायित्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश के अंग राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सौंपा गया है ।

प्रदेश की जनसंख्या स्थिति--

जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 1981 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11.08 करोड़ पहुंच चुकी है । प्रदेश में दशकानुसार वृद्धि दर 1961-71 में 19.78 प्रति हजार थी जो 1971-81 में 25.52 प्रति हजार हो गई है । इस प्रकार प्रति वर्ष 2.55% की दर से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है । इस समय प्रदेश में 377 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० पर निवास करते हैं । यह स्थिति स्वयं में अति भयावह एवं चिन्ता उत्पन्न करने वाली है । राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय मात्र 981 रुपये (1978-79) है ।

ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन स्थिति को और अधिक जटिल बना रहा है । 1971 में प्रदेश में शहरी आबादी 14.21% थी जो 1981 में बढ़कर 18.81 प्रतिशत हो गई है ।

1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में केवल 38.87 प्रतिशत पुरुष तथा 14.42 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं ।

1971 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार 0-14 वय वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 42 प्रतिशत है । उक्त वय-वर्ग की ओर इंगित करने का उद्देश्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या शिक्षा की समस्या की विशालता का आभास कराना है । यह विचार करने पर जटिलता और गहन हो जाती है कि उक्त वय-वर्ग स्थैतिक नहीं है क्योंकि प्रति वर्ष 15 लाख नये जोड़े दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर लेते हैं और जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने लगते हैं । जिससे 0-14 वय-वर्ग का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है ।

प्रदेश के कुछ शैक्षिक आंकड़े निम्नवत् हैं :--

1--शिक्षा मण्डलों की संख्या	..	12
2--जनपदों की संख्या	..	56
3--मण्डलीय स्तर पर कार्य कर रहे प्रशासनिक अधिकारी--पुरुष/महिला (अनुमानित)	..	8
4--प्राथमिक स्तरीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित पर्यवेक्षक संख्या (अनुमानित)	..	1500
5--साक्षरता प्रतिशत	..	27.38
6-- ,,	..	(पुरुष--38.87%) (स्त्री--14.42%)

प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या
(बालक तथा बालिका मिलाकर)

प्रकार	विद्यालयों की संख्या
1--प्राइमरी स्तर(जूनियर बेसिक)	72,200
2--जूनियर स्तर(सीनियर बेसिक)	14,069
3--माध्यमिक स्तर	5,610
4--क्षेत्रीय संस्थान	7
5--प्रारम्भिक स्तरीय प्रशिक्षण संस्थायें	121
6--एल0 टी0 स्तरीय प्रशिक्षण संस्थायें	12
7--बी0 एड0 स्तरीय प्रशिक्षण संस्थायें (अनुमानित)	101
8--6-14 वय-वर्ग के बच्चों की अनुमानित संख्या	
बालक ..	1,07,97,600
बालिकायें ..	98,17,000
योग ..	2,06,14,600
9--6-14 वय-वर्ग के बच्चे जो विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं(अनुमानित) ..	82,86,000

1979 के अनुमान के अनुसार 15-35 वय-वर्ग के प्रौढ़ों की संख्या 1,82,54,000 आंकी गयी है । यह पूर्ण जनसंख्या का लगभग 31·6% है जिसे पौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया जाना है । सामान्य शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदेश में विभिन्न प्रकार की संस्थायें कार्यरत हैं ।

जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समाज की इस विषम स्थिति में विद्यालयों को अपनी उचित भूमिका निभानी होगी राजकीय एवं स्वैक्षिक अधिकरणों द्वारा विद्यालयों में उक्त संदर्भ में किए जा रहे प्रयासों को और अधिक बल देने के लिए तरुण मस्तिष्क में जनसंख्या वृद्धि के प्रति वांछित दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा ।

यह परियोजना सम्बन्धित प्रमुख कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों प्रशासनिक अधिकारियों/पर्यवेक्षकों आदि सभी के प्रशिक्षण साथ ही पाठ्यक्रम विकास एवं सहायक सामग्री विकास द्वारा जनसंख्या शिक्षा को विद्यालयों की शिक्षण प्रणाली का विभाज्य अंग बनाने के उद्देश्य से संचालित है ।

1--जनसंख्या शिक्षा की संकल्पना--

शिक्षा की सामान्य संकल्पना के अनुसार व्यक्ति विशेष को समाज में समृद्धशाली एवं सुखी जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना है । दूसरे शब्दों में सामाजिक समस्याओं के लिए शिक्षा एक उचित निदान है । उक्त संदर्भ में विचार करने पर यह स्पष्ट है कि जनसंख्या शिक्षा एक विशिष्ट उपागम है जिससे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का निदान सम्भव हो सकेगा । यह परियोजना नयी पीढ़ी में परिवार, क्षेत्र, प्रदेश एवं राष्ट्र के स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक जनसंख्या वृद्धि, जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एक प्रयास है ।

2--शिक्षा नीति में जनसंख्या शिक्षा का स्थान--

यह कथन सत्य है कि देश के भाग्य का निर्माण विद्यालयों की कक्षाओं में होता है । इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए पूरे राष्ट्र हेतु निर्धारित शिक्षा नीति का अवलोकन करना होगा । स्वतन्त्रता के उपरान्त शिक्षा नीति एक ऐसा मार्ग निर्मित कर रही है जिसके द्वारा मानसिक एवं शारीरिक श्रम करने वालों के मध्य सामन्जस्य स्थापित हो सके तथा शिक्षा प्रणाली को सामाजिक जीवन से अधिक सम्बद्ध किया जा सके । संक्षेप में आज हमारे शिक्षा सम्बन्धी समस्त प्रयासों का लक्ष्य हमें उत्तम तथा सुखद जीवन यापन की ओर अग्रसर करना है ।

उपर्युक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या शिक्षा को समस्त शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी । केवल अपनों के ही बीच नहीं प्रत्युत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सहयोग की भावना से हम सुखी व शान्त जीवन व्यतीत कर सकें, यह एक पहेली हो रही है परन्तु जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है । जनसंख्या शिक्षा का स्थान औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रणालियों में है ।

3--औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियों में जनसंख्या शिक्षा की स्थिति--

यद्यपि औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रणालियों के पाठ्यक्रमों में छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, सफाई, तथा बेहतर जीवन यापन का ज्ञान विभिन्न विषयों जैसे नागरिकशास्त्र, भूगोल विज्ञान के माध्यम से कराने की व्यवस्था है तथापि जनसंख्या शिक्षा एक प्रकार से अछूती ही रह गई है क्योंकि इसके मुख्य बिन्दुओं पर कहीं भी विषद रूप से विचार नहीं किया गया है। अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख कार्य विभिन्न वय-वर्ग के ह्रासग्रस्त बच्चों को साक्षर करना एवं वातावरण के प्रति जागरूक बनाना है। विभिन्न प्रकार की शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के निदान का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

परन्तु यदि हमें छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों को इस बात के लिए सचेत करना है कि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि सम्पूर्ण समाज के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसका निदान ढूंढना सभी के हित में है तो विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणालियों में जनसंख्या शिक्षा का समावेश करना ही होगा और प्रभावी उपाय तभी सम्भव हो सकेगा।

उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के विभिन्न स्तरों की सभी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को जनसंख्या शिक्षा परियोजना में समुचित भूमिका निभानी होगी।

प्रदेश स्तरीय परियोजना के तात्कालिक उद्देश्य

1--सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा राज्य एवं मण्डलीय स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के प्रकोष्ठों की स्थापना, जिन पर परियोजना कार्यान्वयन का दायित्व होगा। (ये नियुक्तियां हो चुकी हैं)

2--राज्य स्तर पर पाठ्यक्रमों, निर्देशन सामग्री, प्रशिक्षण संजूषाओं, श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री आदि का निर्माण।

3--मण्डलीय, जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय लगभग 1,500 प्रशासनिक अधिकारियों/पर्यवेक्षकों का अभिमुखीकरण।

4--एल0 टी0 स्तरीय 12 संस्थाओं के प्राचार्यों एवं दो-दो शिक्षक-प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

5--72,200 प्राइमरी, 14,069 जूनियर एवं 5,610 माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण।

6--14,069 जूनियर एवं 5,610 माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण (प्रति विद्यालय दो अध्यापक 11,220+14069=25,289)।

7--अनौपचारिक शिक्षा के 123 अधिकारियों/पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।

8--जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम विकास 9-14 वय वर्ग के उन बच्चों के लिए जो स्कूल से बाहर हैं।

9--विद्यालय प्रसारण कार्यक्रमों हेतु आकाशवाणी पाठों एवं आलेखों का निर्माण।

10--जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी शोध कार्य तथा क्रियात्मक शोध कार्यों द्वारा शिक्षण-अधिगम युक्तियों में सुधार हेतु संचालन व्यवस्था का विकास करना।

11--जनसंख्या शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन।

12--समस्त 72,200 प्राइमरी, 14,069 जूनियर एवं 5,610 माध्यमिक विद्यालयों 121 प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं, 12 माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाओं, 7 क्षेत्रीय संस्थानों तथा 7,200 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा लागू करना।

13--प्रचार एवं प्रसार हेतु परिवर्धन करने के लिए कार्यक्रमों का मूल्यांकन।

14--बी0 एड0 स्तरीय 101 संस्थाओं के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण (यह कार्यक्रम बाद में लागू होगा)।

परियोजना के दूरगामी उद्देश्य--

परियोजना का प्रमुख उद्देश्य समस्त शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार त्वरित करना है कि पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी सम्बोधों को सम्मिलित कर उसे इतना अधिक मूल्यवान बना दिया जाय कि उसका दूरगामी प्रभाव मानव जीवन की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने में सहायक हो।

प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं :--

1--छात्रों एवं शिक्षकों को देश की जनसंख्या स्थिति का सही ज्ञान कराना।

2--जनसंख्या वृद्धि एवं राष्ट्रीय स्रोतों के पारस्परिक सम्बन्ध का छात्रों तथा अध्यापकों को उद्बोध कराना।

3--छात्रों में अन्तर्दृष्टि विकसित करना जिससे वे जनसंख्या वृद्धि एवं सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया को व्यक्तिगत, परिवार-समाज एवं राष्ट्र के संदर्भ में भलीभांति समझ सकें।

4--छात्रों एवं अध्यापकों को जनसंख्या वृद्धि तथा प्रदूषण एवं पारिस्थितिक तत्वों के मध्य सम्बन्ध समझाने में सहायता प्रदान करना।

5--अध्यापकों, छात्रों यहां तक कि पूरे समाज में इस प्रकार के व्यवहार एवं दृष्टिकोण का उदय करना जिससें वे विशेषकर छात्र, भावी जीवन में अपने परिवार के विषय में स्वतंत्र रूप से उचित निर्णय ले सकें।

6--छात्रों में इस प्रकार के भाव को पैदा करना कि जनसंख्या नियन्त्रण, उच्चस्तरीय जीवन के विकास में सहायक होता है।

जनसंख्या शिक्षा परियोजना सम्बन्धी क्रिया कलाप प्रक्रिया :--

1--पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री का निर्माण --

जनसंख्या शिक्षा का विद्यालयीकरण करने की दिशा में प्रशिक्षण कार्यक्रम से पूर्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश के अंग राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विविध प्रकार की सामग्री के निर्माण में आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के विशेषज्ञों का मार्ग दर्शन उपलब्ध रहेगा और प्रस्तावित कार्य विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से सम्पादित होगा।

निर्माणाधीन शिक्षण सामग्री का विवरण निम्नवत् है :--

(क) जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम विकास।

(ख) प्रशिक्षण मंजूषाओं एवं जनसंख्या शिक्षा दिग्दर्शिका का विकास।

(ग) निर्देशन सामग्री का विकास।

(घ) छात्रों हेतु पाठ्य सामग्री का निर्माण।

(ङ) पाठ्य सामग्री का परीक्षण एवं परिवर्धन।

(च) श्रव्य दृष्य सहायक सामग्री का विकास।

(छ) आकाशवाणीपाठ, अध्यापकों हेतु वार्ता एवं विद्यालय प्रसारण हेतु आलेख तैयार करना।

(ज) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम एवं सामग्री विकास।

2--प्रशिक्षण--

जनसंख्या शिक्षा परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में प्रशिक्षण की प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना के कार्यान्वयन में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक तक सभी को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में निष्ठापूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रशिक्षित एवं अभिनवीकृत करके जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा, वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में इस परियोजना की महत्ता तथा जनसंख्या शिक्षा के मूल भूत तत्वों आदि से उन्हें भली भांति परिचित करा दिया जाय। उक्त के संदर्भ में प्रशिक्षण सम्बन्धी एक वृहत् योजना बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर मन्डलीय, जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नांकित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायगा :

(1) परियोजना से सम्बद्ध व्यक्तियों का प्रशिक्षण।

(जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ के व्यक्तियों का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है)

(2) समस्त मन्डलीय एवं जनपदीय प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।

(3) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षक-प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

(प्रारम्भिक स्तरीय-दो शिक्षक प्रशिक्षक प्रति संस्था)

क्षेत्रीय संस्थान एवं एल0 टी0 स्तरीय-तीन प्रति संस्था।

(4) समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा दो-दो शिक्षकों का प्रशिक्षण।

(5) समस्त ब्लाक स्तरीय पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।

(6) समस्त प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं समस्त जूनियर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापक (एक-एक अध्यापक प्रति विद्यालय) का प्रशिक्षण।

7--अनौपचारिक शिक्षा से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।

3--मूल्यांकन एवं शोध :--

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पदों का मूल्यांकन किया जाता रहेगा । इसके अन्तर्गत निम्न कार्य होंगे ।

1--जनसंख्या शिक्षा के मूल्यांकन पर पुस्तिका का विकास ।

2--राज्य स्तरीय परियोजना का मूल्यांकन ।

3--आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन ।

4--शैक्षिक भ्रमण ।

जनसंख्या शिक्षा परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिभागी	अवधि	अभिनवीकरणी/प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या	प्रशिक्षण स्तर मण्डलीय/जनपदीय/ब्लाक
1--प्रशासनिक अधिकारी--			
(क) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका	2 दिन	22	राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
(ख) जनपद स्तरीय अधिकारी तथा एल0 टी0 प्रशिक्षण संस्थाओं एवं क्षेत्रीय संस्थाओं के प्राचार्य/प्राचार्या	2 दिन	320	मण्डलीय
(ग) प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका	2 दिन	1248	जनपद स्तरीय
(घ) अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारी तथा पर्यवेक्षक	2 दिन	123	जनपद स्तरीय
2--माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या	2 दिन	5610	जनपद स्तर
3--माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकायें प्रति विद्यालय 2 (सामाजिक अध्ययन / विज्ञान) (5410·2)	2 दिन	11220	जनपद स्तर
4--जूनियर हाई स्कूल (बालक/बालिकाओं) के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका तथा प्रति विद्यालय (शिक्षक-शिक्षिका) (1885·2)		28138	जनपद स्तर
5--प्राइमरी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (प्रति विद्यालय)		72200	ब्लाक स्तर

जनसंख्या गतिकी--1981

क्र0सं0	विवरण	भारत	उत्तर प्रदेश
1	जनसंख्या (करोड़ में)	68.38	11.08
2	लैंगिक अनुपात (प्रति हजार पुरुषों में महिलायें)	935	886
3	क्षेत्रफल (वर्ग कि0 मी0)	3288000	29413
4	घनत्व (व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0 मी0)	221	377
5	सामान्य साक्षरता (प्रतिशत)	36.17	27.38
6	स्त्री साक्षरता (प्रतिशत)	24.88	14.42
7	जन्मदर (प्रतिशत-प्रतिवर्ष)	3.60	3.92
8	मृत्यु दर (प्रतिशत-प्रतिवर्ष)	1.48	2.62
9	वृद्धि दर (प्रतिशत-प्रतिवर्ष)	2.47	2.52
10	प्रति व्यक्ति औसत आय (रुपयों में)	1732.80	981.00 (1978-79)
11	व्यक्ति जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं (प्रतिशत 1977-78)	48.13	50.90
12	जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक (पी0 क्यू0 एल0 आई0--1971)	34.30 (केरल-100)	5.30
13	शिशुकालीन मृत्यु दर-1976	126	178
14	सामान्य प्रजनन दर (1971-72)		
	ग्रामीण	174.00	222.60
	शहरी	131.20	158.70

भारतीय परम्परा में सीमित परिवार की संकल्पना

श्री सच्चिदा नन्द धौलाखंडी,
प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

प्राचीन काल से ही भारतीय परम्परा रही है कि जहां हमने एक ओर शाश्वत मूल्यों को पहचान कर दृढ़ता पूर्वक पकड़े रखा, वहीं निरन्तर बदलते हुए समाज में परिस्थितियों के अनुकूल अपने आपको ढालने का लचीलापन भी बनाये रखा । इस लचीलेपन का परिणाम है कि सहस्त्रों वर्षों के उतार-चढ़ाव के बीच से गुजरती हुई हमारी परम्परायें सदैव प्राणवान बनी रहीं और मानवता को एक से बढ़कर एक रत्न प्रदान करती रहीं ।

प्रत्येक समुदाय का जीवन-निर्वाह करने का अपना ढंग है और वही उसका धर्म है । मनीषियों ने कहा है कि "अभ्युदय-निःश्रेयसकरो धर्मः--अर्थात् जिससे सांसारिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक विकास भी हो वही धर्म है । धर्म शब्द के लिये यह भी कहा गया है कि 'धारणाद्धर्म मित्याहुः अर्थात् जिन नियमों से समाज संस्थिर रहते हुए उन्नत हो वह धर्म है । सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य में सत्य, दया, शान्ति तथा अहिंसा के लक्षणों का होना आवश्यक है ।

विभिन्न युगों की सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक नियमो का निर्धारण हुआ । इन्हीं स्थितियों के अनुरूप भारतीय मनीषियों ने समय-समय पर जीवन के चार पुरुषार्थों-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा चार आश्रमों-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की परिकल्पना की पुरुषार्थों तथा आश्रमों की इस परिकल्पना में समाज को सदैव उन्नतिशील और मानव मात्र के लिए कल्याणकारी बनाए रखने की उच्छा-भिलाषा के स्पष्ट दर्शन होते हैं ।

चार आश्रमों की परिकल्पना में हमारे विवेकशील मेधावी ऋषियों ने गृहस्थाश्रम को ही सर्वाधिक महत्व दिया है क्योंकि यही मानव-जीवन की रीढ़ है ।

मनु-स्मृति में गृहस्थाश्रम का महत्व इन शब्दों में बताया गया है :--

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः ॥

मनुः 377

जैसे समस्त प्राणी वायु पर आश्रित रहते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ पर आश्रित हैं और इसलिए

यस्मात् त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् ।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥

मनुः 378

"क्योंकि गृहस्थाश्रम ही ज्ञान तथा अन्न के द्वारा प्रतिदिन तीनों आश्रमों का पोषण करता है इसलिए गृहस्थ ही चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है"

गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर मनुष्य अपने वंश को बढ़ाता है और जिसने भी इस संसार में जन्म ले लिया वह देवों, ऋषियों पितरों और मनुष्यों का ऋणी हो जाता है । देव ऋण से मुक्ति पाने के लिये वह पूजा-पाठ करता है सजदा करता है, ऋषि-ऋण को वह अध्ययन के फलस्वरूप चुकाता है और इस प्रकार ऋषियों एवं मनीषियों तथा विद्वानों की निधि की रक्षा करने वाला होता है । फलस्वरूप अपने जीवन में विद्वान बनता है । सन्तान के रूप में उत्पन्न होने के कारण वह पितरों का ऋणी होता है और सन्तान उत्पन्न कर वंश परम्परा को बढ़ते हुए वह पितृ-ऋण से मुक्त होता है । अतिथि-सत्कार तथा भोजनादि द्वारा निराश्रितों का पोषण कर वह मनुष्य-ऋण से मुक्त होता है । जो मनुष्य अपने जीवन में इन सब कर्तव्यों का निर्वाह करता है वह सब कुछ जीत लेता है ।

ऋण, पुरुषार्थ और आश्रम की इन अनोखी कल्पनाओं ने भारतीय संस्कृति को जीवन के शाश्वत मूल्यों के साथ दृढ़तापूर्वक जोड़कर युगानुरूप परिस्थितियों से जूझने के लिये धर्मों में समय-समय पर परिवर्तन करने की विवेकशीलता और क्षमता प्रदान की । भारतीय विवाह तथा गृहस्थाश्रम की संकल्पना इसका बहुत सुन्दर उदाहरण है ।

प्राचीन काल में सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या कम थी और विस्तार की भी सम्भावनायें अत्यधिक थी । उस युग की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे तत्कालीन भारतीय पूर्वजों ने बहु विवाह के साथ-साथ विवाह के आशीर्वाद मन्त्रों में यह भी कामना की कि :--

दशस्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ।

(ऋगवेद--संहिता 10,85,45)

"हे प्रभो इस वधू को दस पुत्रों का आशीर्वाद दो और इसका पति उनके बीच ग्यारहवां (व्यक्ति) हो कर रहे" ।

परन्तु जैसे-जैसे समाज का विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ी तथा उत्पादन एवं जनसंख्या के अनुपात में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगी इस नवीन परिस्थिति के अनुकूल वैदिक ऋषियों ने विवाह-संस्था तथा सन्तति उत्पादन पर नियन्त्रण आवश्यक समझा । इस आवश्यकता ने एक पत्नी-व्रत की धारणा को जन्म दिया । विवाह में वधू का पाणिग्रहण करते हुए वर से कहलाया कि--

गृहणामि ते सौभगत्वायहस्तं ।
मया पत्या जरदष्टिर्यथासः ॥

(ऋगवेद--संहिता 10,86,36)

"(हे वधू) सौभाग्य के लिये मैं तुम्हारा पाणिग्रहण करता हूं और कामना करता हूं कि (मुझ पति) के साथ तुम बुढ़ापे तक रहो"। इस मन्त्र में एक "पत्नी व्रत" का अच्छा संकेत मिलता है, इसके साथ ही वर प्रतिज्ञा करता है कि "नातिचरेयम्" (पारस्कर-गृह्य सूत्र) अर्थात् मैं इस वधू के साथ अतिचार नहीं करूंगा।

समाज के साधनों के अनुरूप समाज की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए सीमित सन्तति, यहां तक कि केवल एक यशस्वी पुत्र की कामना यजुर्वेद की प्रार्थना में की गयी है। "सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्"। अर्थात् इस यजमान का एक सभ्य यौवन-सम्पन्न पुत्र हो। दाम्पत्य जीवन में मनुष्य अपनी संतान की संख्या बढ़ाने से न अपने सामाजिक ऋणों को चुकाने में समर्थ हो सकता है और न समाज का या स्वयं अपना भी कल्याण कर सकता है। उसे तो जीवन भर दरिद्रता का ही भार ढोना पड़ता है। सातवीं शताब्दी में यास्क मुनि के ग्रन्थ निरुक्त में दिये एक वेद मन्त्र में कहा गया है--

निष्ट्वदत्रासश्चिवधिन भूरितोका वृका दिव।
यिभ्य स्यन्तो क्वाशिरे शिशिरं जीवनायकम्॥

(निरुक्त)

"बहुत सन्तानों वाले लोग (जो निश्चित ही) वस्त्र विहीन तथा सदैव धन के लिये चिन्तित रहते हैं, वे जाड़े से ऐसे डरते हैं जैसे कोई भेड़िये से डरता है। (और मनाते हैं कि हे प्रभो इस जाड़े से) हमारे जीवन की रक्षा करो"

इसी प्रसंग में आचार्य यास्क ने परिव्राजकों की यह कल्याणकारी चेतावनी जोड़ दी है कि--

बहु प्रजाः कृच्छ्रमाप्नोति इति परिव्राजकाः।

"परिव्राजकों (संन्यासियों) का मत है कि अत्यधिक सन्तान वाला व्यक्ति सदैव कष्ट पाता है"।

ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है--

बहु प्रजा निर्ऋतिमा विवेश।

ऋग्वेद 1-64-32

"अधिक सन्तान वाला व्यक्ति घोर कष्टों का अनुभव करता है"।

वर्तमान स्थिति में भारतीय संस्कृति, राष्ट्र, समाज और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए महाभारत में दी हुई निम्नलिखित सूक्ति की चेतावनी को हमें नहीं भूलना चाहिए--

बहुपत्यं दरिद्रता।

"अधिक सन्तान दरिद्रता का चिन्ह है"।

सीमा से अधिक सन्तान का यह अभिशाप व्यक्ति और समाज को अवनति की ओर ले जाने वाला होता है बाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि--

कलौ सर्वे भविष्यंति स्वल्पायु बहु पुत्रकाः।

"जब लोगों के अधिक पुत्र हों तो समझो कलयुग आ गया है"।

राजस्थानी लोकोक्ति में भी इस बात का उल्लेख है कि बर्षा अधिक हो तो अन्नोत्पादन नहीं होता पुत्र अधिक हो तो वंश नष्ट हो जाता है।

"घणो बरख कण हाण, घणा पूत कुल हाण"।

इतिहास साक्षी है कि जिन प्रतापी वंशों ने भारत का मान ऊंचा किया और भारतीय संस्कृति को ऊंचे पथ पर अग्रसर किया उनमें सीमित सन्तति यहां तक कि एक या दो ही प्रतापी सन्तानों की परम्परा चलती रही।

भारत के इतिहास में अयोध्या के रघुवंश को कौन भुला सकता है। इस प्रतापी वंश में महाराज दिलीप के एक ही पुत्र हुए--महाराज रघु, जिन्होंने दिग् विजय कर अपने कुल का नाम अमर किया। इनके भी एक पुत्र हुए महाराज अज और इनके भी एकमात्र पुत्र हुए महाराज दशरथ।

महाराज दशरथ के समय एक पत्नी व्रत का अतिक्रमण हुआ और इनको तीन पत्नियों के चार पुत्र हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पुनः सामाजिक मर्यादाओं की प्रतिष्ठापना की। उन्होंने स्वयं एक पत्नी व्रत निभाकर समाज के सामने पुनः एक पत्नी व्रत का आदर्श स्थापित किया और इनके दो ही तेजस्वी पुत्र हुए--लव और कुश। लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भी दो-दो पुत्र हुए--

दुई सुत सुन्दर सीता जाए। लवकुस वेद पुरानन गाए।
दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे। भए रूप गुन सील घनेरे॥

इस प्रकार आज जब कि मानव समाज को अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध होने से मृत्यु दर अत्यधिक कम हो गयी है हमें यह विचार करना होगा कि जन्म दर में भी कमी आये और हमारे पास सभी के लिये पर्याप्त मात्रा में भोजन, वस्त्र तथा मकान हो ।

शतपथ (ब्राह्मण) ग्रन्थ में सही कहा गया है :—

तद्दिद समृद्धं यत्रान्ता कनीयान् अद्यो भूयान् ।

खाने वाले कम हों और खाद्य पदार्थ अधिक हो यही समृद्धि का रूप है ।

बढ़ती जनसंख्या पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से महान साहित्यकार रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा है "भारत जैसे क्षुधा पीड़ित देश में विवेकशून्य इतने बच्चों को जन्म देना, जिनका समुचित पालन-पोषन नहीं किया जा सकता, निर्दयतापूर्ण अपराध है, ऐसी स्थिति में पैदा होने वाले बच्चे स्वयं कष्ट पाते हैं और साथ ही पूरे कुटुम्ब की दुरवस्था का कारण भी बनते हैं । इसी प्रसंग में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक, श्री गुण तिलको ने सीमित परिवार से अधिक संख्या में बच्चों के जन्म के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "जिन परिवारों में अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, आम तौर पर चौथे बच्चे के बाद भी सन्तान का मानसिक विकास सामान्य से कम हो पाता है और जैसे-जैसे बच्चों की संख्या आगे बढ़ता जाता है परिवर्ती बच्चों का गुणवत्ता उतनी ही कम होता है ।"

हमें राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना है और इसका एक ही उपाय है कि हम अधिक अन्न पैदा करें । हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तथा हम अपने अपने परिवार को सीमित करने पर विचार करें । इससे राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल ही नहीं होगा वरन् उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तथा यह अधिक आयु वाला होगा । हमारी कामना है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अथर्ववेद के निम्न सूक्ति के अनुसार हो—

अङ्गम आसन्नसोः प्राणश्चक्षु रक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ।

अपलिता केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोर्बलम् ॥

ऊर्वोरोजो जङ्घयोर्जवः पादयोः ।

प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानि भृष्टः ॥2

—अथर्ववेद 19-6-60

"मेरे मुख में वाणी, नासिका में घ्राण, नेत्रों में दर्शन शक्ति, दांत अक्षुण्ण और केश पलित रोग से रहित रहें । मेरी बाहों में बल रहे, उरूजों में ओज जांघों में वेग और पांवों में खड़े रहने योग्य शक्ति रहे । आत्मा अहिंसित और अंग पाप से मुक्त हों ।

जनसंख्या शिक्षा : नवचेतना का द्वार

(वि० द० लखेड़ा, उपप्राचार्य)

राज्य शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद

1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68.88 करोड़ है, जो 1 करोड़ 30 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यह एक भयावह स्थिति है। यदि जनसंख्या इसी अनियन्त्रित गति से बढ़ती गयी तो सन् 2000 ई० तक यह एक अरब से आगे पहुंच जायेगी। तब यहां के निवासियों का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना ही सिहरन पैदा करने वाली है।

जनसंख्या वृद्धि ईश्वरीय या प्रकृति प्रदत्त आशीर्वाद या अभिशाप न होकर मानवार्धन प्रक्रिया है। इसे सूझबूझ उचित शिक्षा एवं आधुनिक वैज्ञानिक साधनों द्वारा सीमित किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए विगत 20 वर्षों से विभिन्न प्रकार के प्रयास किये गये और वर्तमान समय में भी किये जा रहे हैं। इसके लिए नसबन्दी पर विशेष बल भी दिया गया। इन सब उपायों के फलस्वरूप आंशिक सफलता तो मिली किन्तु जनसंख्या वृद्धि के स्थायी हल के लिए ये उपाय एकांगी सिद्ध हुए।

आज का बालक कल का पिता होगा। अतः जनसंख्या के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए यह समीचीन होगा कि बालक को प्रारम्भ से ही जनसंख्या शिक्षा प्रदान की जाय। इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में एक जनसंख्या प्रकोष्ठ की स्थापना की। राज्य शिक्षा संस्थान समयबद्ध कार्यक्रमों द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में जनसंख्या शिक्षा लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अध्यापकों को जनसंख्या शिक्षा से परिचित कराना एवं उन्हें इस प्रकार की पाठ्य सामग्री तैयार कर प्रदान करना है जिससे वे बालकों को उचित शिक्षा देकर उन्हें सीमित परिवार के सिद्धान्त से अवगत करा सकें। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य समस्त शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार प्रभावित करना है कि छात्र जनसंख्या के प्रमुख तत्वों से परिचित होकर उसका सम्बन्ध अपने जीवन स्तर एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास से स्थापित कर सकें। वे उन्नत जीवन स्तर के सिद्धान्तों को समझ सकें एवं प्रदूषण, सन्तुलित आहार, स्वास्थ्य शिक्षा आदि बातों को भलीभांति जान सकें।

जब तरुण मस्तिष्क में जनसंख्या के प्रति वांछित दृष्टिकोण विकसित हो जावेगा तो वे स्वतः ही सीमित परिवार के लाभों से परिचित होंगे। उन्हें प्रचार द्वारा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। बल प्रयोग द्वारा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपनाने की नौबत नहीं आयेगी। इस परियोजना के द्वारा आगामी 20 या 25 वर्षों में हमारा सम्पूर्ण समाज ऐसे लोगों से परिपूर्ण होगा जो स्वयं दो बच्चों के सिद्धान्त में अटूट आस्था रखने वाले होंगे। फिर हमें जनसंख्या वृद्धि की चिन्ता नहीं होगी एवं देश संसार के समृद्धिशाली देशों में गिना जाने लगेगा।

यह एक क्रान्तिकारी कदम है। स्वास्थ्य विभाग तो अपना कार्य करेगा ही, अन्य स्वैच्छिक सामाजिक संगठन भी अपना योगदान करते ही रहेंगे किन्तु जनसंख्या शिक्षा एक सतत प्रयास रहेगा। यह एक स्थायी प्रक्रिया होगी। इससे देश के भावी नागरिकों के अन्दर एक नई जीवन शैली का निर्माण होगा। जनसंख्या शिक्षा देश में नव चेतना का द्वार खोलेगी, इससे देश के नागरिकों में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होगा एवं वे अन्ध विश्वासों से दूर रहकर परिवार, राष्ट्र एवं विश्व के प्रति समानता का भाव प्रदर्शित करेंगे।

जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय यह नहीं है कि पाठ्यक्रम में किसी नये विषय का समावेश किया जायेगा या वह एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जायेगा। यह तो नियमित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ही विभिन्न विषयों में प्रसंगानुसार पढ़ाया जायेगा। योजना यह है कि प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की हिन्दी, गणित, भूगोल, जीव विज्ञान आदि विषयों की पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी बातों को सम्मिलित किया जाय।

पाठ्य पुस्तकों में बहुत सोच विचार कर संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन किया जायेगा। इस कार्य के लिए विषय विशेषज्ञों को पहले जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम से परिचित कराया जायेगा। तत्पश्चात् विभिन्न कार्यशालाओं में उनसे पाठ्यपुस्तकों में यथास्थान संशोधन करवाया जायेगा। पुनः पुनरीक्षकों द्वारा संशोधनों की जांच की जायेगी। इस प्रकार बहुत सोचविचार कर पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी सामग्री का समावेश किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों के लिए जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रमों का विकास किया जायेगा एवं विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 'प्रशिक्षण मंजूषाओं का निर्माण किया जायेगा, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए निर्देशन सामग्री की रचना की जायेगी। श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री एवं पेटिकाओं का विकास किया जायेगा तथा आकाशवाणी पाठों, अध्यापकों के लिए वार्ताओं एवं विद्यालय प्रसारण हेतु आलेखों का विकास किया जावेगा।

विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे वे जनसंख्या शिक्षा योजना का उचित संचालन एवं मूल्यांकन कर सकें।

आशा है प्रदेश के लिए प्रस्तावित 'जनसंख्या शिक्षा परियोजना' सफलता के चरम बिन्दु पर पहुंच कर प्रदेश एवं देश को सर्वाधिक कठिन समस्या-जनसंख्या वृद्धि को सहज एवं स्वाभाविक ढंग से हल करने में समर्थ होगी।

यह भूतल ही स्वर्ग बनेगा

श्रीमती सरला खन्ना, एम०ए०, एल०टी०, संगीत प्रवीण,
शोध प्राध्यापक, रा० शि० संस्थान,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

यह भूतल ही स्वर्ग बनेगा,
जनसंख्या शिक्षा से ।
नव जागरण जगायेगा जब,
जन जीवन आशा से ।।
मुरझाये मुख चमक उठेंगे,
जागृति के साधन से ।
उषा लालिमा छा जायेगी,
भागेगा तम भय से ।।
स्नेह मिलेगा शिशु को, होगी
शिक्षा तन, मन, धन से ।
दूध-दही घृत अन्न-शाक,
सब्जी-फल के भोजन से ।।
बालक होगा स्वस्थ, बढ़ेगी,
शक्ति सुज्ञान मनन से ।
प्रगतिशील युग की प्रवृत्तियां,
पनपेंगी कौशल से ।।
सबको वस्त्र मिल सकेंगे,
जीवन बीतेगा सुख से ।
सबको सुलभ हो सकेंगे,
आवास सुयोजनाओं से ।।
बच्चे भी सम्मान करेंगे,
अभिभावक गुरु जन से ।
उनमें नयी उमंगें जागेंगी,
प्रतिभा के कण से ।।
कहीं न होगा दैन्य और,
निर्धनता सुनियोजन से ।
आर्थिक दशा सुधर जायेगी,
मुक्ति मिलेगी दुःख से ।।
छोटा सा परिवार बने सुख,
शान्ति सुभाव सुमति से ।

जनसंख्या की वृद्धि न हो'
आमन्त्रित हों जन सुख ।।
सेवा सहानुभूति और,
सामाजिक बन्धन जन से ।
हिन्द समुन्नत हो सकता है,
संस्कृति की रक्षा से ।।
नारी-नर समान हैं जग में,
बढ़े सुकर्म सुयश से ।
लक्ष्य रहे दो सन्तानों क,
अडिग सुदृढ़ निश्चय से ।।

बोझ (कहानी)

श्रीमती सुषमा सिंह,

शोध प्राध्यापक,

रा० शि० संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद

मां, मेरी आंख दुख रही है । मुझसे पढ़ा नहीं जाता और कल मेरा गणित का पर्चा है--दुखी स्वर में अरुण बोला ।

मृदुला का माथा ठनक गया । कहीं अरुण को भी तो कंजंक्टिवाइटिस नहीं हो गई ? फिर तो 5-6 दिन वह पढ़-लिख नहीं सकेगा । मीरा, संजय और वन्दना पहले ही इस बीमारी के कारण पेपर नहीं दे सके । वन्दना को तो खैर तिमाही और छमाही परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण कक्षोन्नति मिल जायेगी मगर संजय और मीरा का तो साल बरबाद हो गया । और अब अरुण भी । क्या करे वह ? छः बच्चों की देख-भाल, घर की जिम्मेदारियों, खाना-पीना, दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता । बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान ही कहाँ दे पाती है वह । और उसके पति, बेचारे 9 बजे सवेरे के निकले हुए रात नौ बजे ही घर लौट पाते हैं । करें भी तो क्या है, केवल वेतन से इतने बड़े परिवार का भरण-पोषण कैसे सम्भव है, ऊपर से यह महंगाई । पार्ट टाइम काम न करें तो गृहस्थी की गाड़ी ठप्प हो जाये ।

"मां दवा डाल दो न मेरी आंख में ।" मां को विचारों में खोये हुए देखकर अरुण ने दयनीय स्वर में कहा ।

"अभी डालती हूं बेटा, क्यों राकेश दवा कहां रख दी ? सुबह तूने संजय की आंख में डाली थी ।"

"यहीं कहीं होगी, ढूढ़ लेना मुझे जल्दी है । राशन की दूकान पर न पहुंचा तो आज भी चीनी न मिल पायेगी" कुछ झुंझलाकर राकेश बोला ।

"हां बेटा, चीनी तो आज जरूर ले आना । परसों बाजार से इतनी महंगी दो किलो मंगाई थी, आज डब्बे में एक कण भी नहीं है । तेरे बाबू जी को सवेरे गुड़ की चाय दी है ।"

"जा तो रहा हूं दो दिन से, जब मिले तब न । मेरा तो सारा समय ऐसे ही कामों में निकल जाता है किस वक्त पढ़ूं-लिखूं ।" पांव पटकते हुए हाथ में झोला लेकर राकेश निकल गया ।

"सब चीजें इधर-उधर कर देते हैं ये लोग, कोई सामान ढूंढने पर नहीं मिलता ।" आलमारी का सारा सामान उलटने-पलटने पर भी जब मृदुला को दवाई की शीशी न मिली तो उसका स्वर कुछ ऊंचा हो गया ।

"क्या बात है मृदुला बहन, क्या ढूंढ रही हो ?" उसकी आवाज सुनकर पड़ोस से चित्रा आ गई थी ।

"अरे बहन क्या कहूं, तीन तो पहले से ही अपनी आंखें लिये पड़े थे, आज अरुण को भी वही बंगला देश वाली बीमारी हो गई । इसका भी साल लगता है खराब हो जायेगा । एक तो इतनी महंगाई में पांच-पांच बच्चों को पढ़ाना, ऊपर से यह मुसीबत" रुंआसे स्वर में मृदुला बोली ।

"मैं अपने घर से दवाई ले आती हूं, सामने मेज पर रखी है" लपक कर चित्रा दवाई ले आई ।

"तुम्हारे घर में तो बहन, जो चीज जहां रखी है वहां मिल जाती है, पारो और बीरेन्द्र दोनों समझदार हैं । यहां तो कोई चीज समय पर मिल ही नहीं पाती, ये लोग इधर-उधर करते रहते हैं ।" थके हुए स्वर में मृदुला ने उत्तर दिया ।

"कहो मृदुला बच्चे कैसे हैं?" डा० पाण्डेय की पृथुल-वदना मां ने घर में प्रवेश करते हुए पूछा । अचानक उनकी दृष्टि मृदुला के उतरे हुए चेहरे पर पड़ी । "क्या हुआ तुम्हारी तबियत भी ठीक नहीं है क्या ?"

"तबियत ठीक ही है चाची, सब बच्चे बीमार हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते-दौड़ते शरीर टूट जाता है । मीरा घर के कामों में काफी हाथ बंटाती थी । जब से वह पड़ी है अकेले ही सब करना पड़ता है ।"

"सो तो है, अकेले ही सबको सम्हालना आसान नहीं है । वैसे भी प्रसव के बाद ठीक से देखभाल न होने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है । मुन्ना ने दवाई तो दी थी आंख में डालने के लिये ताकि औरों को बीमारी न हो, डाली नहीं क्या ?"

"दवा तो डाली थी चाची । तुम जानती तो हो इतने बच्चों में सबके लिये अलग-अलग चीजें कहां रह पाती हैं । एक ही तौलिये से सब मुंह पोंछते रहते हैं, छूत तो लगेगी ही ।" खिन्न स्वर में मृदुला ने उत्तर दिया ।

"पोस्टमैन" बाहर से आवाज आई तो चित्रा जाकर डाकिये के हाथ से एक अंतर्देशीय पत्र और एक पोस्टकार्ड ले आई ।

"देखूं तो बहन किसकी चिट्ठी है" मृदुला ने बड़ी उत्सुकता से पत्र ले लिये किन्तु कार्ड पर नजर दौड़ाने के बाद उसका उदास चेहरा कुछ और उदास हो गया। कृष्णदास की दूकान से पुराना बिल का तकाजा था। जुलाई में बच्चों की स्कूल की ड्रेस बनी थीं सो आज तक 165 रु0 का बिल नहीं चुका पायी थी। ठंडी सांस खींचकर उसने अंतर्देशीय पत्र खोला तो उसके चेहरे पर कुछ चमक आ गयी। उसकी भतीजी का सम्बन्ध तय हो गया था, नवम्बर में शादी होनी निश्चित हुई थी। बड़े आग्रह से भैया ने सबको बुलाया था।

रात ग्यारह बजे के करीब जब वह सब काम निबटा कर पलंग पर गयी तो उसके पति मुंह में सिगरेट दबाये किसी मैगजीन के पन्ने पलट रहे थे। "कल्पना की शादी तय हो गई। अगले महीने की 25 तारीख को है। भैया का पत्र आया है, हमें कुछ पहले से बुलाया है।" पति को पत्र थमाते हुए उसने कहा।

"इसका मतलब है चार-पांच सौ रुपये का एक और खर्चा आ गया। जी0 पी0 एफ0 से फिर लोन लेना पड़ेगा" बुझे हुए स्वर में आत्मानन्द ने कहा।

संगम एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में बड़ी कठिनाई से अपने परिवार को लेकर आत्मानन्द घुसे। आरक्षण होने पर भी काफी यात्री अनाधिकार रूप से घुसे हुए थे क्योंकि दिन का वक्त था। एक ढीठ युवक जिसे सीट छोड़नी पड़ी कनखियों से मृदुला के परिवार की ओर देखता हुआ मार्चिंग धुन में गाने लगा--

अपनी आबादी को हम हर्गिज घटा सकते नहीं।

टिकट चाहे पास हो पर सीट पा सकते नहीं॥

मेरठ में मृदुला के भैया उन लोगों को लेने आये हुए थे। बड़ी कठिनाई से पांच रिक्शे में सामान और मृदुला के परिवार को लेकर वे घर पहुंचे। रिक्शों की कतार देखकर उसके यहां की मुंहलगी महरी मुस्करा कर बोली। "हम समझा के बरात टैम से पहिले आई गई।" मृदुला व्यंग्य की चोट से तिलमिला उठी, मगर कहीं ऐसे समय में महरी छोड़कर चली गई तो मुसीबत आ जायेगी, यही सोचकर वह कुछ न बोली। वैसे भी इस प्रकार की बातें सुनने की उसकी आदत हो गई थी।

कल्पना की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। एक ही बेटी थी कमलाकान्त के। अतः उन्होंने लोगों के स्वागत सत्कार में कोई कसर न उठा रखी। कल्पना के विदा होने के 3-4 दिन बाद मृदुला ने अपने भैया से लौटने की बात चलाई।

"मीरा को यहीं छोड़ दो न मृदुला, कल्पना के जाने से घर सूना हो गया है। तुम्हारा बोझ भी कुछ हल्का हो जायेगा।" कमलाकांत ने बहन से कहा।

मीरा ने करुण दृष्टि से मां की ओर देखा। मामी के तेज स्वभाव का परिचय वह भली भांति पा चुकी थी। उनके साथ बराबर रहने की कल्पना से ही वह डर गई।

"ठीक तो है मृदुला छोड़ देते हैं मीरा को। मामी का हाथ भी बंटायेगी और यहीं शांति होने से उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो सकेगी" आत्मानन्द उत्साह से बोले।

"मां को घर पर अकेले सारा काम करना पड़ेगा। मेरे रहने से थोड़ी मदद मिल जाती है।" मीरा ने दबे स्वरों में विरोध करना चाहा।

"अरे अब तो वन्दना भी बड़ी हो चली है, वह छोटे-मोटे काम कर देगी। यहां तो कोई भी नहीं है" बात न बिगड़ जाये यह सोचकर आत्मानन्द जल्दी से बोल उठे।

मृदुला कुछ बोल न सकी मगर अपनी विवशता पर मन तिक्तता से भर उठा। ज्यादा बच्चे होने से अपनी लड़की भी पिता के लिये बोझ बन गई है तभी तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं।

मामा के साथ मीरा भी स्टेशन सबको छोड़ने आई थी। पीयूष को जब उठाकर उसने ट्रेन में मां को थमाया तो उसकी आंखों के कोर पर थमे हुए आंसू मृदुला की निगाह से न छिप सके। "बेटी होली की छुट्टी में तुझे बुलाने राकेश को भेजूंगी, और पत्र बराबर लिखती रहना। ले ये कुछ रुपये रख ले किसी चीज की जरूरत हो तो ले लेना। अपना ध्यान...."अभी मृदुला बात पूरी भी न कर पायी थी कि ट्रेन चल पड़ी। बेटी का करुण चेहरा आखों से ओझल होते ही अब तक बड़े यत्न से रोके गये आंसू मृदुला के गालों पर ढुलक पड़े।

क्या आज प्रवास द्वारा जनसंख्या-जन्य समस्याओं का समाधान संभव है ?

श्रीमती उमा बली,

शोध प्राध्यापक,

रा0 शि0 सं0, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।

अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि सामान्यतः सम्पूर्ण संसार के लिए और विशेषतः भारत जैसे विकासशील देशों के लिए गम्भीर चुनौती है । विगत अनेक वर्षों से राष्ट्रीय नियोजनकर्ता, अर्थशास्त्री तथा विचारक जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याओं के समाधान खोजने में संलग्न रहे हैं ।

इस समस्या के समाधान हेतु अपनायी जाने वाली कार्यनीतियों के अन्तर्गत कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और परिवार को नियन्त्रित करन जैसे उपायों पर पर्याप्त बल दिया जाता रहा है । इसी संदर्भ में यह धारणा भी व्यक्त की गयी है कि जनसंख्या के एक अंश को प्रवास हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज कर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न दबावों को घटाकर प्रभावहीन किया जा सकता है । इस उपाय की उपयोगिता वस्तुतः गहन चिन्तन और शोध का विषय है, क्योंकि इससे सम्बद्ध महत्वपूर्ण पक्ष भी अत्यधिक विचारणीय है । उदाहरणार्थ, सम्प्रति इंगलैंड की संसद के नवीन अधिनियम के अनुसार नागरिकता के नियमों को संशोधित कर इस प्रकार कठोर कर दिया गया है कि-गैर अंग्रेज प्रवासियों के इंगलैंड के नागरिक बनने की सम्भावनाएं न्यूनातिन्यून हो गयी हैं । दक्षिण अफ्रीका की सरकार रंगभेद नीति पर चल रही है तो आस्ट्रेलिया जैसा विस्तृत भू-भाग वाला देश यूरोपीय प्रवासियों के आव्रजन को वरीयता देता है । फारस की खाड़ी क्षेत्र के अरब देशों में भारतीय तथा पाकिस्तानी-मूल के आव्रजकों को भी निरुत्साहित करने के प्रयास किये जाने लगे हैं ।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि के दबावों से विकासशील तथा विकसित दोनों प्रकार के राष्ट्र ग्रस्त हैं । उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि संसार की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अविकसित देशों में निवास करती है । इन देशों में जन्म-दर भी ऊंची है जो औसतन 40 प्रति हजार या इससे भी अधिक है, जबकि इन देशों में मृत्यु-दर विगत 15-20 वर्ष पहले की तुलना में बहुत अधिक घट गयी है । फलतः प्रायः इन सभी देशों में लगभग 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और इस दर के अनुसार आगामी 35 वर्षों में इन देशों में जनसंख्या दूनी हो जाएगी । संदर्भित अविकसित देशों की वर्तमान जनसंख्या में से 2 अरब लोग एशिया महाद्वीप के पिछड़े देशों में निवास करते हैं । इनमें से 12 से 13 करोड़ जनसंख्या एशिया महाद्वीप के ऐसे देशों में रहती है जहां आबादी पहले से ही घनी है और शेष भू-भाग में कृषि योग्य भूमि बहुत कम रह गयी है । ब्रह्मा, हिन्देशिया, फिलीपीन, थाईलैंड तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों में 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या होने पर भी इन देशों की सरकारों का ध्यान जनसंख्या प्रवास की ओर आकृष्ट नहीं हुआ है क्योंकि इन देशों में ऐसा भू-भाग अभी भी शेष है जिसका कृषि हेतु उपयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार की स्थिति अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के देशों की भी है ।

इस संदर्भ में सर्वाधिक प्रासंगिक एवं विचारणीय बिन्दु यह है कि इन अविकसित देशों की घनी आबादी के कारण उत्पन्न दबावों को क्या जनसंख्या प्रवास द्वारा प्रभावहीन किया जा सकता है ? इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर खोज पाना कठिन है, तथापि इससे संबंधित सम्भावनाओं पर विचार करने से पूर्व जनसंख्या-दबाव के आशय का स्पष्ट बोध समीचीन होगा ।

जनसंख्या दबाव--

सामान्यतः जनसंख्या दबाव का तात्पर्य उन कठिनाइयों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से है जिनसे लोगों को प्राविधिकोपार्जन हेतु जूझना पड़ता है । इन कठिनाइयों के मूलतः दो कारण हैं :

(1) किसी विशिष्ट पर्यावरण की प्रकृति, यथा मरुस्थल, ऊंचे धरातलीय भू-भाग, प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता, जो वर्तमान संदर्भ में विशेषतः विचारणीय हैं तथा--

(2) विभिन्न प्रकार के समाजिक संगठनों सहित मनुष्य की प्राविधिक दक्षता का विकास जिनके द्वारा वह प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग में सक्षम हो गया है ।

अतएव जनसंख्या का दबाव दो प्रकार का हो सकता है :

(क) पूर्ण ।

(ख) सापेक्ष ।

(क) पूर्ण जनसंख्या दबाव--जीवन यापन हेतु खाद्य सामग्री तथा आवासीय सुविधाओं के अभाव को जनसंख्या दबाव का एक रूप कहा जा सकता है । वर्तमान संदर्भ में इन साधनों के अन्तर्गत जीवन की सुख-सुविधाओं की कुछ सामग्रियां भी सम्मिलित हैं । इस प्रकार के जनसंख्या दबाव का मापन जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपभोग-

दर द्वारा भी किया जा सकता है । यह दर जितनी कम होगी जनसंख्या दबाव उतना ही अधिक माना जाएगा । अतः यदि खाद्य सामग्री का कम मात्रा में उपयोग किया जाता है तो कैलोरीज की आवश्यक मात्रा तथा पौष्टिक तत्वों की यथेष्टता की दृष्टि से इस अल्प उपभोग को पूर्ण जनसंख्या दबाव का परिणाम माना जाएगा ।

(ख) सापेक्ष जनसंख्या दबाव--इसके विपरीत सापेक्ष जनसंख्या दबाव का अभिप्राय यह है कि एक ही देश की जनसंख्या का एक वर्ग अपने समाज के ही अन्य वर्ग के जीवन स्तर की तुलना में अपने जीवन स्तर को कम समझता है। वर्तमान संदर्भ में यह स्थिति अधिकाधिक विचारणीय बनती जा रही है । एक बार जब किसी देश के निवासी या उनका एक वर्ग जीवन स्तर के इन अन्तरों को समझ लेता है तब वे लोग सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था के माध्यम से अपने जीवन-स्तर को उन्नत करने के लिए सचेष्ट हो जाते हैं ।

जन संख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के एक उपाय के रूप में जनसंख्या-प्रवास से सम्बद्ध निम्नांकित पक्ष विशेष रूप के ध्यातव्य हैं :--

(1) पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोप महाद्वीप के साहसी नाविकों ने भारत के मार्ग खोजने के प्रयास आरम्भ कर दिए थे और इस प्रयत्न में उन्होंने नई दुनिया की खोज की । कालान्तर में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में यूरोपीय देशों के बहुत से लोग बस गए। अंग्रेजों ने पश्चिमी गोलार्द्ध से ले कर पूर्वी गोलार्द्ध के भू-खंडों और आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैन्ड आदि में अपनी बस्तियां कायम कीं । तत्कालीन परिस्थितियों में यूरोपीय देशों के निवासियों को नए भू-खंडों में जा कर बसने में विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा । वर्तमान संदर्भ में अब परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ चुका है और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है एक देश के निवासियों का दूसरे देश में जाकर बसना दिनोंदिन कठिन होता जा रहा है ।

(2) जनसंख्या प्रवास के संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि एक ही महाद्वीप के देशों के निवासियों का अन्य देशों में प्रवास सरल नहीं रह गया है । उदाहरणार्थ हिन्देशिया में चीनी मूल के निवासियों के बसने पर प्रतिबन्ध कड़े कर दिए गये हैं । यही नहीं भारतीय तथा पाकिस्तानी मूल के निवासी यदि अनियन्त्रित संख्या में वहां जाकर बसने लगें तो यह स्थिति भी वहां की सरकार के लिए निस्संदेह आपत्तिजनक बन जाएगी ।

(3) जनसंख्या प्रवास से सम्बद्ध एक अन्य पक्ष भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि किसी देश की सरकार अन्य देश के आव्रजकों के अपनी भूमि में प्रवास के लिए सहमत भी हो जाती है तो जनसंख्या के स्थानान्तरण आदि से संबंधित व्यय का भार वहन करने की समस्या सामने आती है । इस हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जिस देश की जनसंख्या को प्रवास हेतु अन्य देश में भेजा जा रहा है उसमें स्थानान्तरण से संबंधित व्यय का भार जनसंख्या को भेजने वाली सरकार द्वारा वहन किया जाय।

इसके साथ ही यह तथ्य भी विशेष रूप के महत्वपूर्ण है कि प्रवास हेतु स्थानान्तरित जनसंख्या को बसाने, उनके भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, रोजगार आदि की समुचित व्यवस्था आवश्यक होगी । इनसे संबंधित व्यय-भार को वहन करने का उत्तरदायित्व किस देश की सरकार का हो, यह एक जटिल प्रश्न है । प्रवास हेतु स्थानान्तरित जनसंख्या के हित की दृष्टि से इस समस्या का संतोषजनक समाधान आवश्यक है ।

(4) जनसंख्या प्रवास से ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न दबावों का उन्मूलन हो जाए, ऐसा सहज सम्भव नहीं प्रतीत होता । यदि जनसंख्या को भेजने वाले और उसे अपने यहां बसाने वाले देशों की सरकारें एक निश्चित जनसंख्या के प्रवास हेतु परस्पर सहमत हो जाएं और संबंधित व्यय-भार का उत्तरदायित्व भी आपस में बांट लें तो भी समस्या का पूर्ण समाधान सम्भव नहीं होगा । ऐसी स्थिति में यह ज्ञात करना प्रासंगिक होगा कि एक निश्चित कालावधि में जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी रही तथा उसी अवधि में कितनी जनसंख्या का प्रवास हेतु स्थानान्तरण हुआ । जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होने पर निश्चित कालावधि के बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न दबावों की समस्या बनी रहेगी ।

अतएव स्पष्ट है कि प्रत्येक दशा में जनसंख्या वृद्धि पर समुचित नियन्त्रण आवश्यक होगा क्योंकि मात्र जनसंख्या प्रवास से समस्या का आंशिक समाधान भले हो जाए किन्तु समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में संसार के देशों का जनसंख्या प्रवास हेतु परस्पर सहमत होना और प्रवासाधीन जनसंख्या के सम्यक् जीवन-यापन एवं रहन-सहन का आवश्यक प्रबन्ध कर पाना भी सरल नहीं है ।

वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न दबावों की समस्या पर विचार करना तथा उसका संतोषप्रद हल खोजना विशेष रूप से प्रासंगिक है । भोगोलिक दृष्टि से हमारे देश में पर्वतीय, पठारी, मैदानी, मरुस्थलीय तथा समुद्रतटीय भू-भाग हैं, जहां जनसंख्या के घनत्व में एकरूपता नहीं है । जहां एक ओर मैदानी तथा समुद्रतटीय भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है वहां दूसरी ओर पर्वतीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है । यही नहीं नगरों तथा औद्योगिक बस्तियों के क्षेत्रों में भी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व अधिक है ।

अतएव यदि जनसंख्या वृद्धि के दबावों को घटाने के उद्देश्य से मैदानी या औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या के एक भाग को पर्वतीय या मरुस्थलीय क्षेत्रों में बसने हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो आवास संबंधी नए स्थान को जीवन-यापन एवं रहन-सहन के योग्य बनाने हेतु बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय करनी होगी दूसरी ओर तथ्य यह है कि पर्वतीय,

महस्थलीय तथा ग्रामीण क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक पिछड़े हुए, अविकसित तथा सुविधा–वंचित हैं और उनका समुचित विकास करने की समस्या हमारे सामने है । इसी प्रकार नगर क्षेत्र से जनसंख्या के एक भाग को ग्रामीण क्षेत्र में बसने के लिए भेजने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

इसके अतिरिक्त जनसंख्या प्रवास का एक दूसरा विकल्प यह भी है कि जनसंख्या के एक निश्चित भाग को प्रवास हेतु किसी अन्य देश में भेज दिया जाय जिससे जनसंख्या वृद्धि के दबावो को घटाया जा सके । किन्तु इस दिशा में भी हमें उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है ।

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के देशों में जनसंख्या प्रवास का कार्य वहां की विकासशील परिस्थितियों के कारण दुस्साध्य है । इन महाद्वीपों के देश स्वयं अपने विकास के लिए प्रयत्नशील हैं और इस हेतु विकसित देशों से सहायता की अपेक्षा रखते हैं । इसके अतिरिक्त संकीर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी अन्य देशों की जनसंख्या के प्रवास में बाधक होता है जैसा कि अफ्रीकी देश उगान्डा में राष्ट्रपति ईदी अमीन के कार्यकाल में देखने में आया था ।

दूसरी ओर संसार के विकसित देशों में यद्यपि श्रम–साध्य कार्यों में अन्य देशों के व्यक्ति लगाये जाते रहे हैं किन्तु अब वहां भी स्वदेशीय और विदेशीय नागरिकों के रूप में भेद–भाव की प्रवृत्ति पनपने लगी है जैसा कि इंगलैंड की संसद द्वारा बनाये गये नागरिकता सम्बन्धी नवीन अधिनियम से परिलक्षित होता है, जिसका सन्दर्भ पहले दिया जा चुका है ।

अतएव समस्या से सम्बद्ध विविध पक्षों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हमें अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों और सुलभ–भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न दबावों को समाप्त करने के उपाय खोजने होंगे । इन उपायों के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि पर समुचित नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है ।

इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु जनमानस में वांछनीय दृष्टिकोण का विकास अपेक्षित है । साथ ही सभी स्तरों की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे अधिगम बिन्दुओं एवं प्रासंगिक सन्दर्भों का समावेश आवश्यक है, जो प्रारम्भ से ही छात्र–छात्राओं में सामान्यतः सीमित परिवार के लाभों तथा बड़े आकार के परिवार से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को समझने की योग्यता का विकास करने में सहायक हों । साथ ही यह भी अपेक्षित है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों तथा केन्द्रों में प्रयुक्त पठन–सामग्री में ऐसी शैक्षणिक सम्भावनाएं निहित हों जो जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से उनमें उपयुक्त प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास कर सकें ।

भारत में जनसंख्या शिक्षा

क्या ? क्यों ? कैसे ?

श्रीमती नरला खन्ना, एम० ए०, एल० टी०,
शोध प्राध्यापक,
रा० शि० संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

जनसंख्या शिक्षा एक नवीन प्रक्रिया है । जनसंख्या शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए, श्री अशोक मित्रा ने 'इन्डियाज पापुलेशन एसपेक्ट आफ क्वालिटी एण्ड कन्ट्रोल' भाग–1, 2 में लिखा है कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है 'व्यक्ति के जीवन का गुणात्मक स्तरोन्नयन' । जनसंख्या शिक्षा न तो यौन शिक्षा है और न परिवार नियोजन है । वास्तव में जनसंख्या शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो मानव को देश की कुल जनसंख्या एवं जनसंख्या की विशेषताओं की जानकारी दे । साथ ही जनसंख्या शिक्षा परिवार सीमित करने एवं परिवार के रहन–सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के साधनों का ज्ञान भी है ।

जनसंख्या शिक्षा आवश्यकता पर आधारित एक क्रियाशील कार्यक्रम है जो सम्पूर्ण गतिविधियों का एक आवश्यक अंग है । यह सार्वभौमिक, विशिष्ट और प्रकारात्मक है । इसका एक मात्र लक्ष्य है––मानव विकास । इसलिए यह मानव में गुणों के विकास पर उतना ही बल देता है जितना जनसंख्या के परिमाण को कम करने पर । जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक एवं प्रतिफल इसके मुख्य विषय वस्तु हैं । इसी विषय वस्तु में जनसंख्या का आकार एवं गत्यात्मकता सन्निहित है ।

जनसंख्या शिक्षा क्या है ? इस पर विचार कर लेने के पश्चात् अब प्रश्न उठता है कि जनसंख्या शिक्षा क्यों आवश्यक है ? हम भारत की जनसंख्या क्यों जानना चाहते हैं ? भारत के कोने कोने में यह संदेश पहुंचाना क्यों आवश्यक है कि जनसंख्या शिक्षा पर ध्यान दो ।

इस प्रश्न का उत्तर सीधा और सरल है । प्रत्येक मनुष्य सुख और समृद्धि प्राप्त करना चाहता है और मनुष्य को सुख तथा समृद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब वह जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करेगा ।

विचारणीय विन्दु है कि भारत की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है । भारत में प्रत्येक दस वर्ष पर जनगणना की जाती है । सन् 1901 तथा इसके पश्चात् प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो जनगणना की गई उसका विवरण निम्नवत् है––

भारत में 1901 से 1971 तक विभिन्न दशकों में जनसंख्या तथा वृद्धि दर

वर्ष	जनसंख्या	दशकानुसार वृद्धि दर	क्रमिक वृद्धि दर वर्ष 1901 पर
1901	288,337,313	..	..
1911	252,005,470	+5.73	+5.73
1921	251,239,492	—0.30	+5.41
1931	278,867,430	+11.00	+17.01
1941	318,587,060	+14.26	+33.66
1951	360,950,365	+13.31	+51.45
1961	439,072,582	+21.64	+84.22
1971	546,955,945	+24.57	+129.49

स्रोत––ए प्रिलिमिनरी नोट आन 1971 सेंसेस इंडिया एंड यू० पी०, डी० आर० सी०, लखनऊ ।

उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ती जा रही है । वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी । वर्ष 1981 में जब जनगणना की गई तो भारत की जनसंख्या 68 करोड़ 38 लाख हो गई है जिसमें बच्चों की अनुमानित संख्या 13 करोड़ 13 लाख है । जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व के परिपेक्ष्य में द्वितीय स्थान पर है । भारत में विश्व की जनसंख्या 890 करोड़ का लगभग सातवां भाग निवास करता है ।

आप ही सोचिए, ऐसी स्थिति में विभिन्न समस्याओं से घिरे भारत का कल्याण कैसे हो सकता है ? भारत के नागरिकों को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? देश की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक समस्याओं से संघर्ष करने की शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? मनुष्य को रोजी, रोटी, कपड़ा तथा मकान का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? यदि गम्भीरता से विचार करें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य की कठिनाइयों का कारण मनुष्य स्वयं है। वह क्यों नहीं अपनी बुद्धि और प्रतिभा का प्रयोग कर सावधानी से जीवनयापन करता है।

मानव विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसे वाणी का वरदान प्राप्त है। उसके पास सोचने-विचारने के लिए मस्तिष्क है, अतः उसे अपना प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना चाहिए।

यह चिंतनीय विषय है कि मनुष्य पालन-पोषण की सामर्थ्य और क्षमता से बाहर अधिक संतान उत्पन्न करता जा रहा है। परिणामस्वरूप जनसंख्या विस्फोट की भयावह स्थिति आ गई है। इस स्थिति के लिए शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों ही जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग यह नहीं सोचते कि संतान को क्या खिलायेंगे, क्या पहनायेंगे ? कैसे उन्हें उच्च शिक्षा देंगे ? कैसे उनका विवाह करेंगे ? कैसे उन्हें जीविका प्रदान करेंगे ? सन्तान उत्पन्न करने से पहले मनुष्यों को इतनी बातें सोच-विचार लेना चाहिए।

आज स्वतंत्र भारत के शासन ने यह निर्णय ले लिया है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना ही है। जनसंख्या वृद्धि से राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु कार्यक्रमों में अवरोध आया है। विकासोन्मुखी पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में 42% वृद्धि हुई किन्तु प्रति व्यक्ति आय में केवल 14% वृद्धि हुई। इतना अधिक औद्योगीकरण होने पर भी बेकारों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। आज साक्षरता दर में वृद्धि हुई है पर निरक्षरों की संख्या 38 करोड़ है।

इतनी अधिक औषधि सुविधाओं पर भी भारत में 5,000 मरीजों पर एक डाक्टर है। जब कि रूस में 500 मरीजों पर एक डाक्टर है। भारत देश की अधिकांश जनता को उपयुक्त डाक्टरों की देख-रेख में चिकित्सा की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती।

आज के वैज्ञानिक युग में भारत के नागरिकों को जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हे अंध-विश्वास तथा भ्रम मन से दूर कर देना चाहिए। सन्तान का जन्म ईश्वर की इच्छा से ही होता है और उसको होने से रोकना पाप है। ऐसा सोचना अंधविश्वास है, भ्रम है। अतः भारत के कोने-कोने में जनसंख्या शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना आवश्यक है, इससे मनुष्यों का अंधविश्वास और भ्रम दूर होगा। लोगों में विज्ञान के प्रति पूर्ण आस्था पैदा हो सकेगी। इतना ही नहीं मनुष्यों में ऐसी अभिरुचि और मानवीय मूल्य पनप सकेंगे जिससे जीवन जीने में आनन्द आने लगेगा। अतः विविध प्रकार की समस्याओं पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या शिक्षा भारत देश के नागरिकों के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

अब प्रश्न उठता है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा कैसे दी जाय ? आजकल रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि साहित्य के प्रचुर साधनों से जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है।

भारत कृषि प्रधान देश है। शिक्षित व्यक्तियों को गांवों में जाकर ग्रामीणों को भी जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए। जिससे वे भी इस तथ्य का समर्थन कर सकें कि--

'छोटा परिवार सुखी परिवार', 'हम दो हमारे दो', 'दो या तीन बच्चे लगते हैं घर में अच्छे'।

भविष्य की सुरक्षा के लिए, देश की गरीबी दूर करने के लिए तथा देश के विकास के लिए सुशिक्षित नागरिकों को जनसंख्या शिक्षा का प्रचार गांवों में भी करना चाहिए।

जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर की स्त्रियों और पुरुषों को भी सजग हो जाना चाहिए। विज्ञान तथा तकनीकी सहायता से जन्मदर कम करने हेतु परिवार नियोजन की प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। साधारण मनुष्य के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहिए। इस तरह भारत के शहरों तथा गांवों में जनसंख्या शिक्षा दी जा सकती है।

शैक्षिक संस्थाओं में भी जनसंख्या शिक्षा दी जानी चाहिए। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 6-14 वर्षीय बालकों की अनुमानित संख्या 13 करोड़ 13 लाख है। जनसंख्या समस्या का एकमात्र पक्का हल इन्हीं बालकों के जनसंख्या के प्रति तर्क संगत दृष्टिकोण बनाने में है। अतः यह आवश्यक है कि इन बालकों को औपचारिक तथा अनौपचारिक, दोनों ढंग से जनसंख्या शिक्षा दी जाय जिससे कि ये बालक बड़े होकर अपने वैवाहिक जीवन में परिवार, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें और केवल तर्कसंगत निर्णय ही लें।

मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि जो अभिरुचि, दृष्टिकोण, मूल्य एवं मापदन्ड बाल्य-काल में बन जाते हैं वे स्थायी होते हैं। अतः प्राथमिक शैक्षिक स्तर पर ही बालक को उचित जनसंख्या शिक्षा देकर उनमें सकारात्मक अभिरुचि पैदा करनी है जिससे बाल्यकाल में ही उनमें जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के अंकुर पैदा हो जायं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तत्कालीन शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों ने मिलकर अगस्त 1969 को बम्बई में जनसंख्या शिक्षा के विषय में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी ने जोरदार सिफारिश की कि जनसंख्या शिक्षा का विद्यालयीय तथा महाविद्यालयीय पाठ्यक्रमों में समावेश किया जाय और जहां भी सम्भव हो यह

शिक्षा वर्तमान विषयों के माध्यम से दी जाए। 1980 में भारत सरकार ने जनसंख्या शिक्षा की महत्ता को ध्यान में रख कर राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रयोजन को औपचारिक विद्यालयीय प्रणाली में लागू करने की स्वीकृति दी। यह प्रयोजना 19 राज्यों में लागू है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

जनसंख्या शिक्षा की विषयवस्तु एवं तत्वों को प्रस्तुत विषयों के पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बालकों को सिखाना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में बालकों को यह बताना आवश्यक है कि जनसंख्या कितनी है ? किस गति से बढ़ रही है ? देश की जनसंख्या देश के साधनों से कम है या अधिक ? यदि जनसंख्या देश के साधनों से अधिक है तो इसके क्या कारण हैं ? यह ज्ञान जनसंख्या शिक्षा द्वारा ही बालकों को दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने जन संख्या शिक्षा पर पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसमें जनसंख्या शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर पांच क्षेत्रों में तथा माध्यमिक स्तर पर एक और क्षेत्र को जोड़ दिया है। कुल 6 क्षेत्र इस प्रकार हैं--

1--जनसंख्या वृद्धि।

2--जनसंख्या और आर्थिक विकास।

3--जनसंख्या और सामाजिक विकास।

4--जनसंख्या, स्वास्थ्य तथा आहार।

5--जनसंख्या एवं परिवारिक जीवन।

6--जनसंख्या एवं पर्यावरण।

प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत स्तरानुसार अवबोध विन्दुओं एवं विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। यह वास्तव में सराहनीय प्रयास है। उपर्युक्त जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्रों के आधार पर एन0 सी0 इ0 आर0 टी0, दिल्ली ने प्राथमिक स्तर के लिए चार अधिगम एकक बनाए हैं--

1--अपने परिवारों के विषय में और अधिक जानना।

2--मानव, पशु एवं पौधे एक बड़े परिवार के ही अंग हैं।

3--बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतें।

4--हमारे पारिवारिक बजट।

प्रत्येक अधिगम एकक के अन्तर्गत बच्चे के अनुभव अवबोध, विषय विश्लेषण, अधिगम स्थिति एवं अधिगम परिणामों का उल्लेख किया गया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनके माध्यम से जनसंख्या शिक्षा दी जा सकती है। जनसंख्या विषयवस्तु को विद्यालयीय विषयों में ही संजोना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा में राष्ट्रीय आधार स्तरीय सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन, भूगोल, सामान्य विज्ञान तथा भाषाएं तथा माध्यमिक स्तर पर इन विषयों के अतिरिक्त नागरिकशास्त्र तथा इतिहास ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को जनसंख्या शिक्षा दी जा सकती है।

जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम पर विचार करते समय पाठ्यवस्तु में शामिल करने योग्य कतिपय विन्दु निम्न-लिखित हैं--

(1) देश की जनसंख्या तथा देश के साधनों में संतुलन।

(2) भूमि के हिसाब से जनसंख्या।

(3) देश में जन्मदर, मृत्युदर एवं वृद्धि दर।

(4) जनसंख्या वृद्धि से देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव।

(5) प्रति एकड़ पैदावार।

(6) प्रति व्यक्ति आय।

(7) देश में रोजगार की दशा।

(8) जनता का रहन-सहन का स्तर।

(9) भविष्य में जनसंख्या कितनी होगी इसका अनुमान।

(10) जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय।

(11) परिवार को सीमित रखना।

(12) सीमित परिवार से लाभ।

उपर्युक्त सभी बातों का ज्ञान जनसंख्या शिक्षा में सम्मिलित है । शिक्षक को जनसंख्या शिक्षा की विषय-वस्तु एवं प्रणाली की पूर्ण रूप से जानकारी होना आवश्यक है । एन० सी० ई० आर० टी०, दिल्ली ने हैदराबाद में आयोजित संगोष्ठी में प्राथमिक अध्यापकों के लिए जनसंख्या शिक्षा पर पाठ्यक्रम संदर्शिका तैयार की है । इसके आधार पर शिक्षकों को यह बताना आवश्यक है कि परिवार एक ऐसी आधारभूत धुरी है जिसके माध्यम से जनसंख्या शिक्षा के बहुत सारे अवबोध शिक्षक इन स्तर के बच्चों को दे सकते हैं । परिवार का आकार बदलने से जनसंख्या का आकार बदलता है । परिवार के सुखी होने से गांव, शहर तथा राष्ट्र की जनसंख्या सुखी होती है । अतः शिक्षक परिवार के विषय में बालकों को जितनी बातें बतला सकेगा, उतनी ही अधिक वह जनसंख्या शिक्षा दे सकेगा ।

शिक्षकों को बालकों की आवश्यकता, रुचि अथवा अनुभवों को जानना जरूरी है । बालक को बड़ों से प्यार, दुलार, ध्यान एवं रक्षा की आवश्यकता है ।

शिक्षक बालक का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है कि परिवार छोटा होगा तो उसे अधिक प्यार-दुलार तथा सुरक्षा मिलेगी । परिवार बड़ा होने पर स्नेह तथा सुरक्षा परिवार के कई सदस्यों में बंट जायेगी । इस प्रकार बालक अच्छी तरह समझ जाएगा कि परिवार का आकार छोटा अच्छा होता है और उसका वैसा ही दृष्टि-कोण बन जाएगा ।

यदि बालक देर से विद्यालय पहुंचता है तो शिक्षक इसी स्थिति को किसी सीमा तक पारिवारिक समस्याओं को समझाने में प्रयोग कर सकता है ।

जनसंख्या शिक्षा के अनेक अवबोध चित्रों द्वारा दिखा कर स्थायी रूप से बालकों को सिखाया जा सकता है । पारिवारिक वृद्धि द्वारा, जन संख्या वृद्धि का, गंदगी अथवा धुएं से जल तथा वायु प्रदूषण का, बड़े तथा छोटे परिवार में प्रति सदस्य भोजन पदार्थों द्वारा पारिवारिक आकार के प्रभावों का ज्ञान सहज रूप में बालक को दिया जा सकता है । एन० सी० ई० आर० टी०, दिल्ली ने इस प्रकार के चित्रों पर आधारित रंग-बिरंगी अभ्यास पुस्तिकाओं की संरचना माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए की है ।

जनसंख्या शिक्षा की सफलता एक बड़ी सीमा तक शिक्षकों पर निर्भर करती है । अध्यापक वर्ग को वीरता से इस चुनौती का सामना करना चाहिए । विभिन्न विषयों के अध्यापन के समय जनसंख्या शिक्षा के प्रसंग की भी चर्चा करनी चाहिए । उन्हें विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों के पाठों से यथावसर सम्बद्ध करके जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए ।

विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार हैं, उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत में भयानक जनसंख्या विस्फोट हो गया है । इस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है । शिक्षक को विद्यार्थियों को सीमित परिवार से लाभ का समुचित ज्ञान देना चाहिए तथा कमजोर, अस्वस्थ तथा निर्धन विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुला कर परिवार कल्याण की बातें बतानी चाहिए । देश तथा राज्य की जनसंख्या नीति का ज्ञान विद्यार्थियों को देना शिक्षकों का दायित्व है तभी वे अपने दायित्व को समझ कर देश की प्रगति में अपना सहयोग दे सकेंगे ।

अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत देश की उन्नति एवं सुख-समृद्धि के लिए प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा सभी स्त्री-पुरुषों को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। भारत सरकार भी बड़ी दृढ़ता से इस ओर प्रयत्नशील है । जब प्रत्येक मनुष्य जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूक होकर अपना सहयोग देगा तभी जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण होगा ।

जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य

श्रीमती रजनी वर्मा, प्रवक्ता,
रा० शि० सं०, उ० प्र०, इलाहाबाद।

भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या ने विकराल रूप धारण कर लोगों के समक्ष एक समस्या खड़ी कर दी है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान है, और यहां पर विश्व की जनसंख्या का सातवां भाग निवास करता है।

भारत की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार इतनी तेज है कि प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या में एक आस्ट्रेलिया और जुड़ जाता है। इस समय भारत की जनसंख्या 68,38,00,000 है और 2000 ई० में इसके एक अरब हो जाने की सम्भावना है। जनसंख्या की वृद्धि जन्मदर, मृत्युदर, आवासदर और प्रवासदर पर निर्भर करती है।

बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास के लिए अभिशाप है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण लोगों को खाद्य-समस्या एवं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यों-ज्यों ये समस्याएं विकराल रूप धारण करती जायेंगी, वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि होती चली आयेगी। बेरोजगार लोग धनाभाव के कारण अन्य अनुचित साधनों से धन कमाने का प्रयास करेंगे। उनका नैतिक पतन होगा और यह व्यक्तिगत नैतिक पतन सम्मिलित रूप से देश का पतन होगा। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु जनसंख्या शिक्षा, विद्यालयीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग मानी गई। जनसंख्या शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, जो शिक्षार्थी को जनसंख्या के विभिन्न पक्षों तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक करती है।

1966 से जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन केन्द्रों के साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यक्रम में प्रसार शिक्षा पर भी बल दिया जाने लगा।

भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा० कर्ण सिंह ने "जनसंख्या नीति" के अन्तर्गत जनसंख्या नियंत्रण हेतु ठोस कदम उठाने का निर्णय किया था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली ने भी जनसंख्या शिक्षा को विभिन्न विषयों के साथ सम्मिलित करके पढ़ाने का सुझाव दिया।

अब जनसंख्या शिक्षा को पाठ्यक्रम के प्रमुख विषयों के साथ सम्बद्ध करके कक्षास्तर के अनुसार पढ़ाने की योजना है।

किसी भी विषय की शिक्षा देने से पूर्व उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक है। उद्देश्यों के निर्धारण से ही यह सम्भव होगा कि किस स्तर के बालक को शिक्षा किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दी जाये कि वह उसको ठीक ढंग से ग्रहण कर सके और उसका उचित प्रयोग कर सके तथा देश के विकास में सहयोग दे सके।

जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बालकों को उन्नत जीवन की आवश्यकता का बोध कराना है। बालक को अपने राष्ट्र एवं प्रजातंत्र के प्रति निष्ठावान बनाना एवं राष्ट्र की जनसंख्या सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति जागरूक कराना है। उनमें परिवार के आकार से, राष्ट्र एवं विश्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराना है। उनको भविष्य के उत्तरदायित्वों का बोध कराते हुए उनमें उत्तरदायित्वों को निभाने की क्षमता का विकास करना है।

जनसंख्या की शिक्षा देकर ही व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सकता है, मानव सम्बन्धों को मधुर बनाया जा सकता है, व्यक्ति, परिवार और समाज में फैल रहे तनाव एवं संघर्ष को किसी सीमा तक कम कर सकते हैं।

जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों को बच्चों की आयु के अनुसार निम्न स्तरों में विभाजित कर सकते हैं :

प्रारम्भिक स्तर (6 से 14 वय वर्ग) के लिए जनसंख्या शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

1--सर्वप्रथम बच्चों को अपने परिवार एवं अपने मित्रों के परिवार के सदस्यों की सूची बनवाकर, उन्हें छोटे-बड़े परिवार से अवगत कराना। पास-पड़ोस, गांव, नगर, राज्य और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति चेतना का विकास करना।

2--घर, मुहल्ला तथा अपने आस-पास के गांवों आदि में जनसंख्या वृद्धि से होने वाले प्रभावों से अवगत कराना।

3--बच्चों में इस बात की चेतना का विकास करना कि घर के सभी सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा) की पूर्ति समान आय वाले छोटे परिवार में बड़े परिवार की अपेक्षा अधिक सम्भव है।

4--परिवार के छोटा होने पर सीमित आय होने पर भी पारिवारिक जीवन अधिक सुखी होगा इस चेतना का विकास करना ।

5--बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास करना ताकि वे अपने शरीर एवं पर्यावरण की सफाई रख सकें, उनमें अपने मुहल्ले गांव की मलिनता के कारणों को समझकर उनको दूर करने योग्य बनाना ।

6--उनमें परिवार, विद्यालय और समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को समझने, उनको पूरा करने, परस्पर सहयोग एवं सहायता की भावना का विकास करना ।

जूनियर स्तर पर बालक कुछ बड़े हो जाते हैं । अतः इस स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के पूर्वलिखित उद्देश्यों के साथ ही साथ निम्न उद्देश्य और जोड़े जा सकते हैं--

1--इस स्तर पर बालकों को सर्वप्रथम जनसांख्यिकीय शब्दों के अर्थों और उनकी परिभाषाओं से अवगत कराना ताकि वे जनसंख्या सम्बन्धी विषय वस्तु को सुगमता पूर्वक समझ सकें ।

2--घर, वस्त्र, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में जनसंख्या की अधिकता से पैदा होने वाली कठिनाइयों तथा आर्थिक, सामाजिक दुष्परिणामों से अवगत कराना ।

3--जनसंख्या के कल्याण हेतु चलायें जाने वाले कार्यक्रम जनसंख्या विस्फोट के कारण बेकार हो जाते हैं । जनसंख्या की अधिकता के कारण स्कूल, अस्पताल, स्टेशन, बाजार सभी में भीड़ ही भीड़ है जिससे हर कार्य में कठिनाई उत्पन्न होती है ।

4---बड़े परिवारों में न्यूनतम आवश्यकताओं का अभाव, पौष्टिक आहार के अभाव के कारण स्वास्थ्य के स्तर पर प्रभाव पड़ता है ।

5--छात्रों में जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को पहचान कर उनके सम्भव समाधान को खोजने की चेतना का विकास करना ।

6--परिवार के आकार को निश्चित करने में स्त्री पुरुष दोनों का समान योगदान होता है ।

7--व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण प्रदूषण के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम एवं स्वस्थ मनोरंजन की आवश्यकता, की ओर ध्यान आकर्षित करना ।

8--विभिन्न प्रकार के चार्ट (पोषण, संतुलित आहार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्थल प्रदूषण सम्बन्धी चार्ट) एवं परिवार बजट को बनाने की क्षमता का विकास करना है ।

9--सुखी सम्पन्न एवं विभिन्न परिवार की स्थिति का अवलोकन कर उनकी स्थिति के कारणों का पता लगाना ।

माध्यमिक स्तर पर (हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट) जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य समान हैं । इस स्तर पर बालक एवं बालिकाओं को सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों से अवगत कराना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत से छात्र एवं छात्राएं धनाभाव या सामाजिक कारणों से अध्ययन छोड़ देती हैं । बहुत से छात्र एवं छात्राएं डाक्टरी, इंजीनियरिंग, अन्य कोर्स, ट्रेनिंग में प्रवेश लेते हैं, या नौकरी या अन्य कोई रोजगार करने लगते हैं ।

11 से 14 वय की अवस्था में छात्र एवं छात्राओं का शारीरिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक विकास तेजी से होता है । उसकी रुचियों का विकास होता है तथा साहसिक कार्य करने एवं सम्मान प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है ।

माध्यमिक स्तर के छात्राओं के लिए निर्धारित उद्देश्य निम्नवत् हैं--

(1) जनसंख्या सम्बन्धी कुछ तथ्य जैसे जन्मदर, मृत्यु दर, प्रवास एवं अप्रवास आदि तथ्यों से परिचित कराना ।

(2) छात्रों को पशुओं, पौधों एवं मानव की प्रजनन क्रिया के उदाहरणों की सहायता से इस बात का बोध कराना कि परिवार के आकार को नियंत्रित भी किया जा सकता है । घर के सदस्यों को वृद्धि ईश्वरीय देन न समझ करके उस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है ।

(3) जनसंख्या की त्वरित वृद्धि प्रकृति के संतुलन को भी प्रभावित करती है । जैसे जन संख्या के बढ़ने से खाद्य पदार्थों के अधिक उत्पादन एवं निवास के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ेगी । फलस्वरूप वनों का विनाश किया जाता है, जिससे बाढ़ आती है तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि होती ह, वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है ।

(4) जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्यायें जैसे सामाजिक तनाव, अपराधों में वृद्धि, असामाजिक क्रियाएं, अशान्ति एवं असुरक्षा की जानकारी देना ।

(5) जनसंख्या वृद्धि से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का बोध कराना । प्रदूषण, कुपोषण, संतुलित आहार आदि तथ्यों से अवगत कराना ।

(6) जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता को अनुभव करना ।

(7) अंधविश्वास, समाज की प्रगति एवं कल्याण में बाधक है, इस भावना का विकास करना, साथ ही साथ समस्या समाधान के लिए प्रयुक्त विधियों के प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना ।

(8) परिवार समाज एवं राष्ट्र के सुधार की भावना उत्पन्न करना ।

(9) छात्रों को देश की आर्थिक विकास की योजनाओं, राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियां प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर, कुछ राष्ट्रीय उत्पादन तथा उसमें प्रति व्यक्ति भाग से अवगत कराना ।

(10) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वृद्धि को समस्या का बोध कराना ।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या शिक्षा को शिक्षण अधिगम का आवश्यक घटक माना जाना चाहिए और इसके द्वारा व्यक्ति एवं परिवार के बहुमुखी विकास, राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उचित दृष्टिकोण तथा नैतिक उत्तरदायित्वों की भावना का विकास, मानव तथा पर्यावरण में संतुलन, अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और परिवार के आकार को नियंत्रित करने की क्षमता का विकास करना है ।

इसके साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि की बुराइयों को हमें बालकों के समक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत करना है, जिससे उनके सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा की जा सके ।

भारत में जनसंख्या की प्रवृत्ति

विश्व नाथ लाल,
प्रवक्ता (भूगोल),
राज्य शिक्षा संस्थान,
उ० प्र०, इलाहाबाद।

किसी देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति उस देश के निवासी होते हैं। उस देश की प्राकृतिक सम्पदा का समुचित विकास एवं उपयोग करने के लिए उस देश में कुशल एवं कर्त्तव्यनिष्ठ लोगों का होना अत्यावश्यक है। देश का औद्योगिक विकास, सामुदायिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं भावी योजनाएं वहां के लोगों अर्थात् वहां की जनसंख्या पर आधारित होती है। परन्तु लोगों की संख्या की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता देश को समृद्ध बनाने में अधिक योगदान देती है। यहां उनकी गुणवत्ता से तात्पर्य उनके उन्नत सामाजिक एवं राजनैतिक संगठन, उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं, उनकी कुशल अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षमता तथा विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के विकास के ऊंचे स्तर से है। वस्तुतः भारत में इन्हीं के कारण हमारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास हुआ है और जीवन तथा रहन-सहन का स्तर धीरे-धीरे ऊंचा उठता गया है। यहां के निवासियों ने अपनी निष्ठा, लगन, प्रतिभा एवं परिश्रम के द्वारा ही प्रकृति प्रदत्त सम्पदाओं का उचित उपयोग कर भारत को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है।

जनसंख्या की सांस्कृतिक संरचना—भारत के लोग मूलतः विभिन्न जातियों से सम्बन्धित हैं। इनमें प्रमुख द्रविड़, मंगोल और आर्य हैं। समय के साथ-साथ वे आपस में एक दूसरे से मिल गए। फिर भी भारत के लोगों में बहुत बड़ी मात्रा में विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सांस्कृतिक दृष्टि से इसे विभिन्नताओं का देश कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। यहां विभिन्न धर्मों, जातियों तथा भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। यह हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी तथा अन्य धर्मों के मानने वाले लोगों का निवास-स्थान है। विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रदेशों के लोग भिन्न-भिन्न भाषायें तथा उप-भाषायें बोलते हैं। यहां की प्रमुख भाषाएं हिन्दी, असमिया, बंगला, उर्दू, गुजराती, मराठी कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, सिंधी हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी जाति, धर्म अथवा भाषा को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है तथा सभी को बिना किसी भेद-भाव के अपनी जाति, धर्म तथा भाषा को विकसित करने का समान अधिकार प्राप्त है। परन्तु धार्मिक, जातीय, भाषायी तथा प्रादेशिक विविधताओं के होते हुए भी हमारी एक मिली-जुली संस्कृति है और हम सभी पूर्णरूप से भारतीय हैं।

भारत में जनसंख्या की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि—16वीं शताब्दी से पूर्व भारत की जनसंख्या के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। भारत के इतिहास से पता लगता है कि प्राचीनकाल में भारतीय जनसंख्या सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। उस समय गांव छोटे-छोटे तथा बहुत दूर-दूर बसे थे। नगरों की संख्या बहुत कम थी। लोग स्वावलम्बी तथा आत्म निर्भर थे। उस समय भूमि पर जनसंख्या का भार भी बहुत कम था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 16वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या लगभग दस करोड़ थी। 17वीं शताब्दी में कदाचित यह जनसंख्या और भी घट गई थी और स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि जनसंख्या में कमी हो जाने से भूमि की अपेक्षा कृषकों एवं मजदूरों की कमी अनुभव की जाने लगी थी। उसके बाद जनसंख्या घटती-बढ़ती रही, परन्तु इसका कोई न तो वास्तविक प्रमाण मिलता है और न ही कोई प्रामाणिक आंकड़ा ही।

भारत में वास्तविक जनगणना का इतिहास सन् 1872 से प्रारम्भ होता है। इसी वर्ष से भारत में जनगणना के कार्य का सूत्रपात हुआ था। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ आंकी गई थी। 1872 की प्रथम जनगणना के बाद भारत की दूसरी जनगणना सन् 1881 में हुई। इसके बाद प्रति दसवें वर्ष अर्थात् 1891, 1901, 1911....में नियमित रूप से जनगणना का कार्य सम्पन्न किया गया है। अन्तिम जनगणना का कार्य वर्ष 1981 में पूर्ण किया गया है।

जनसंख्या की वृद्धि—1872 की प्रथम जनगणना के पश्चात् प्रति दसवें वर्ष प्राप्त जनसंख्या के आंकड़ों के अध्ययन से भारत में जनसंख्या वृद्धि के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है।

भारत में जनसंख्या की वृद्धि

जनगणना का वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	%वृद्धि	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रति किमी०)
1901	23.83	—1.1	77
1911	25.20	+5.7	82

जनगणना का वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	%वृद्धि	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रति किमी०)
1921	25.12	—0.3	81
1931	27.89	+11.0	90
1941	31.85	+14.2	103
1951	36.10	+13.3	117
1961	43.49	+21.5	142
1971	54.79	+24.8	178
1981	68.38	+24.7	221

आंकड़ों से दो बातें स्पष्ट होती हैं—1921 के पूर्व घटती-बढ़ती आबादी और उसके पश्चात् तेजी से बढ़ती आबादी। जनसंख्या के सम्बन्ध में 1921 का वर्ष एक बड़ा विभाजक माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व भारत की जनसंख्या या तो घटती-बढ़ती रही है अथवा कुछ न कुछ स्थायी थी। इसका परिणाम यह रहा कि 1881 से 1921 के मध्य अर्थात् 30 वर्षों में भारत की जनसंख्या में केवल 6% की वृद्धि हुई। 1921 तक भारत में जनसंख्या में कमी होने का मुख्य कारण देश के विभिन्न भागों में अकाल, महामारी, प्लेग, हैजा, इंफ्लूएंजा आदि के कारण जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर का अधिक बढ़ जाना है।

1921 के बाद जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। एक ओर जहां इस वर्ष से पूर्व 30 वर्षों में केवल 6% वृद्धि हुई, तो दूसरी ओर इस वर्ष के बाद (1921–31 में) केवल दस वर्षों में ही 11% की वृद्धि हुई। इसके बाद के दशक वर्षों में यह बढ़ोत्तरी और भी अधिक होती गई—1931–41 में 14.2%, 1941–51 में 13.3%, 1951–61 में 21.5%, 1961–71 में 24.8% तथा 1971–81 में 24.75%। इस प्रकार कुल जनसंख्या में 60 वर्षों में (1921–81) लगभग ढाई गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। हमारे देश की आबादी वर्तमान समय में 1 करोड़ 30 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। इतनी ही आबादी आस्ट्रेलिया महाद्वीप की है, जो क्षेत्रफल में हमारे देश से अधिक बड़ा है। यदि वृद्धि की यही दर बनी रही तो इस शताब्दी के अन्त तक हमारे देश की आबादी 100 करोड़ से भी अधिक हो जायेगी।

जनसंख्या का घनत्व—जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव जनसंख्या के घनत्व पर भी पड़ता है। भारत में जनसंख्या का वितरण बड़ा ही असमान है। केरल तथा पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में जहां जनसंख्या का घनत्व 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, वहीं नागालैंड और सिक्किम के राज्यों में यह घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। यदि भारत की जनसंख्या को समान रूप से पुनः वितरित कर दिया जाय तो 1981 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर 221 व्यक्ति होंगे। 1901 में यह घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ इसमें भी लगातार वृद्धि होती गयी है।

जनसंख्या वृद्धि के कारक—जनसंख्या वृद्धि अथवा ह्रास के प्रमुख तीन कारक हैं—(1) जन्म दर, (2) मृत्यु दर, (3) आवास अथवा प्रवास।

प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्ति जितने औसत बच्चे जन्म लेते हैं उसे 'जन्म दर' कहा जाता है। इसी प्रकार प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्ति जितने औसत व्यक्ति मर जाते हैं, उसे 'मृत्यु दर' कहा जाता है।

यदि किसी वर्ष जन्म दर, मृत्यु दर से अधिक होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, परन्तु यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो जनसंख्या का ह्रास हो जाता है, अर्थात् जनसंख्या घट जाती है। जनसंख्या के इस बढ़ने तथा घटने को 'वृद्धि दर' कहते हैं। दस वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के औसत को दशक की वृद्धि दर कहते हैं जैसा कि नीचे की तालिका में दिया गया है।

तीसरा कारक आवास अथवा प्रवास होता है। जब यह आवास-प्रवास देश के अन्दर होता है, तो इसका वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु यदि ऐसा एक देश से दूसरे देश को हो, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। आम तौर से आवास-प्रवास के कारण वृद्धि दर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के सम्बन्ध में इसका प्रभाव नगण्य होता है। यही कारण है कि वृद्धि दर के आंकने में इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है।

भारत में जन्म दर, मृत्यु दर तथा वृद्धि दर (प्रति हजार)

दशक वर्ष	जन्म दर	मत्यु दर	वृद्धि दर
1901–11	51.3	43.1	5.73
1911–21	49.2	48.8	0.30
1921–31	46.4	36.3	11.00
1931–41	45.2	31.2	14.23
1941–51	39.9	27.4	13.31
1951–61	41.7	22.8	21.52
1961–71	41.1	18.9	24.8
1971–81	41.0	14.8	24.75

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 1921 तक मृत्यु दर एवं जन्म दर में अधिक अन्तर नहीं रहा जिसके कारण वृद्धि दर अत्यन्त कम रही। 1911–21 के दशक में अकाल, महामारी, हैजा, प्लेग आदि के कारण मृत्यु दर अधिक हो जाने से वृद्धि दर नगण्य हो गई थी। 1921 के बाद वृद्धि दर में तेजी से लगातार वृद्धि होती गई जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या तेजी से बढ़ी।

1921–81 के मध्य जन्म दर में क्रमशः कमी आती गई, जिसका कारण लोगों के रहन–सहन के स्तर का ऊंचा उठना तथा शिक्षा प्रसार के द्वारा जागरूकता का आना है। इसका एक दूसरा कारण विवाह की आयु में वृद्धि होना भी है। 1901 में लड़कों का विवाह औसतन 20 वर्ष की आयु में तथा लड़कियों का विवाह 13 वर्ष की आयु में हो जाता था। जिसके परिणामस्वरूप बच्चे शीघ्र और अधिक पैदा होते थे। धीरे–धीरे विवाह की आयु में वृद्धि होती गई। 1981 में लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष हो गई। इसके परिणामस्वरूप बच्चे देर से और कम पैदा होंगे। परिवार नियोजन के कारण भी जन्म दर में कमी होगी।

जन्म दर के साथ–साथ मृत्यु दर भी घटती गई है, परन्तु आंकड़ों से यह बात स्पष्ट है कि मृत्यु दर में बड़ी तेजी से कमी होती गई है। इसका मुख्य कारण देश में जन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा नवीन प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं एवं उपकरणों का आविष्कार है। इनके कारण अब मलेरिया, हैजा, क्षय आदि रोगों पर काबू पा लिया गया है। अब शिशु–मृत्यु दर में भी बड़ी कमी आ गई है। परिणामस्वरूप जन्म दर और मृत्यु दर का अन्तराल बढ़ गया है। फलतः जनसंख्या का वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी होती गई है।

देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या से जो भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे देखते हुए हमें वृद्धि दर को घटाने का प्रयास करना होगा अर्थात् हमें जन्म दर और मृत्यु दर में सन्तुलन लाना होगा। इन दोनों में सन्तुलन लाने हेतु अपने सुनियोजित प्रयासों द्वारा जन्म दर को तेजी से कम करना होगा। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के प्रयोग द्वारा हमने मृत्यु दर को कम करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसकी सहायता से जन्म दर को भी कम किया जा सकता है। विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान ने हमें ऐसे साधन प्रदान किये हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने परिवारों को छोटा रख सकते हैं। इसके लिए हममें आत्मसंयम की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मृत्यु दर के घटने तथा हमारे सुनियोजित प्रयासों के परिणामस्वरूप ही हमारी जीवित रहने की औसत आयु में बहुत वृद्धि हुई है। समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने से ही ऐसा संभव हो सका है। इसका परिणाम यह रहा कि हमारी औसत आयु जो इस शताब्दी के प्रारम्भ में 23 वर्ष थी अब बढ़ कर 52 वर्ष से भी अधिक हो गई है।

पुरुष–महिला अनुपात––पुरुष–महिला अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि प्रति एक हजार पुरुषों पर कितनी महिलायें हैं। इस समय (1981 की जनगणना के अनुसार) भारत में प्रति हजार पुरुषों पर 936 महिलायें हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 68,38,10,051 व्यक्ति में से 35,33,47,249 पुरुष तथा 33,04,62,802 महिलायें हैं।

शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या––भारत मौलिक रूप से एक कृषि प्रधान देश है। इसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में रहती है। इसका मुख्य कारण है कि यहां की लगभग 70% जनसंख्या खेती करने, वनों में लकड़ी काटने, मछली पकड़ने तथा खान खोदने के कार्यों में लगी हुई है।

भारत में ग्रामीण एवं शहरी आबादी (प्रतिशत में)

वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981*
शहरी	10·8	10.3	11.2	12.0	13.9	17.2	18.0	19.9	..
ग्रामीण	89.2	89.7	88.8	88.0	86.1	82.7	82.0	80.1	..

*आंकड़े अप्राप्त

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इस शताब्दी के प्रारम्भ में भारत की कुल जनसंख्या के 89.2% लोग गांवों में रहते थे जब कि केवल 10.8% लोग ही शहरों में। परन्तु धीरे-धीरे गांवों की आबादी का प्रतिशत क्रमशः घटता गया है। इसके विपरीत शहरों की आबादी के प्रतिशत में क्रमशः बढ़ोत्तरी होती गई है शहरों की ओर एक विशाल जनसमूह के अग्रसर होने के मुख्य कारण औद्योगिक विकास से शहरों की ओर नौकरी मिलने के प्रति आकर्षण, जीवन की अनेक सुविधाओं का उपलब्ध होना, सुरक्षा, शिक्षा एवं चिकित्सा की समुचित सुविधाओं का मिलना है। परिणामस्वरूप लोग बड़ी संख्या में नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की ओर आकर बस रहे हैं। यही कारण है कि 1901 में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 89.2 से से घट कर 1971 में 80% रह गया था। अब 20% से अधिक जनसंख्या शहरों में निवास कर रही हैं। नगरों की संख्या और उनकी आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है।

भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों की संख्या

वर्ष	1921	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981
महानगरों की संख्या	1	2	2	2	2	5	7	9	12

सन् 1901 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या केवल एक (कलकत्ता) थी। एक दशक पश्चात यह संख्या 1911 में बढ़कर दो (कलकत्ता और बम्बई) हो गयी। यही स्थिति 1941 तक बनी रही। इसके बाद विशेषकर 1947 के पश्चात् देश में तेजी से औद्योगिक विकास के साथ ऐसे नगरों की संख्या में वृद्धि होती गयी। फलतः 1951 में यह संख्या 5, 1961 में 7, 1971 में 9 और 1981 में बढ़ कर 12 हो गयी। ये बारह महानगर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ तथा जयपुर हैं। भारत की कुल शहरी आबादी की 27 प्रतिशत जनसंख्या केवल इन्हीं बारह महानगरों में निवास करती है। 1981 की जनगणना के अनुसार इन महानगरों की आबादी इस प्रकार है--

महानगर	आबादी
1--कलकत्ता	91,65,650
2--बम्बई	82,02,759
3--दिल्ली	52,27,730
4--मद्रास	42,76,635
5--बंगलौर	29,13,537
6--हैदराबाद	25,65,556
7--अहमदाबाद	25,15,195
8--कानपुर	16,85,308
9--पुणे	16,85,266
10--नागपुर	12,97,977
11--लखनऊ	10,06,843
12--जयपुर	10,04,669

साक्षरता--भारत म साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम रहा है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा की सुविधायें सुलभ कराने के अनेक प्रयास किये गये परन्तु उससे आशातीत सफलता न मिल सकी । यहां साक्षर व्यक्ति से तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों से है जो अपना नाम लिख अथवा पढ़ सकते हैं । साक्षरता के प्रतिशत में वास्तविक वृद्धि 1951 के पश्चात् ही हुई है—

वर्ष	साक्षरता (प्रतिशत में)
1951	19.2
1961	28.3
1971	29.45
1981	36.17

सन् 1951 में हमारे देश में केवल 19.2 प्रतिशत लोग ही साक्षर थे । इनमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत और भी कम था । उसके पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि तथा अन्य शिक्षा सुविधाओं के बढ़ा देने के कारण साक्षरता बढ़कर 1981 में 36.17 प्रतिशत हो गयी है । इसमें पुरुषों की साक्षरता 46.7 प्रतिशत है जब केवल 24.9 प्रतिशत ही महिलाएं साक्षर हैं । आशा की जाती है कि अगले दशक वर्ष में, जब कि देश में शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा मे औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा अन्य अनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं, साक्षरता बढ़कर 50 प्रतिशत से भी अधिक हो जायेगी ।

विश्व के संदर्भ में भारत की जनसंख्या--भारत का क्षेत्रफल 32,80,500 वर्ग किलोमीटर है । क्षेत्रफल की दृष्टि से यह संसार का सातवां बड़ा देश है । सोवियत संघ, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं । इन सभी देशों में जनसंख्या का घनत्व भारत की तुलना में बहुत ही कम है । कुल जनसंख्या की दृष्टि से भी चीन को छोड़कर इन सभी देशों की जनसंख्या भारत से कम है । यहां तक कि अस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, की आबादी जितनी है उतनी भारत की आबादी एक वर्ष में ही बढ़ जाती है ।

भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.3 प्रतिशत है जब कि यहां संसार की लगभग 15 प्रतिशत आबादी बसी है । इस समय संसार की कुल जनसंख्या लगभग 440 करोड़ है जो प्रतिवर्ष 1.73 प्रतिशत की दर से बढ़ जाती है जबकि भारत की आबादी 2.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है । संसार के विकसित देशों की तुलना में यह वृद्धि दर अधिक है । यदि भारत की जनसंख्या इसी दर से बढ़ती गई तो स्थिति बड़ी भयावह हो जायेगी । हमें निश्चित रूप से अपने देश में जन्म दर को तेजी से घटाना होगा जिससे हमारी भावी पीढ़ी सुख एवं समृद्धि प्राप्त कर सकें ।

भारत सरकार की जनसंख्या–नीति

श्रीमती चित्रा श्रीवास्तव,

प्रोफेसर, जनसंख्या शिक्षा

रा0 शि0 संस्थान प्रकोष्ठ उ0 प्र0 इलाहाबाद

विश्व की कुल जनसंख्या का 56 प्रतिशत भाग एशिया के देशों में निवास करता है । इन एशियाई देशों में चीन एवं भारत ऐसे देश हैं जहां एशिया की कुल जनसंख्या का 35 प्रतिशत भाग रहता है । इन देशों की जनसंख्या वृद्धि दर दूसरे विकसित देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है । भारत की जनवृद्धि दर 2 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा चीन की वृद्धि दर 1.7 प्रतिवर्ष आंकी गई है । स्पष्ट है कि भविष्य में भारत की जनसंख्या वृद्धि की गति का विश्व की जनसंख्या वृद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ेगा । जनसंख्या के आधार पर भारतवर्ष का विश्व के परिप्रेक्ष्य में दूसरा स्थान है भारत में प्रति 1.5 सेकेन्ड में एक शिशु पैदा होता है, प्रतिदिन 55 हजार बच्चे पैदा होते हैं । प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 10 लाख बच्चे पैदा होते हैं तथा लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है । इस प्रकार प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या में 1 करोड़ 30 लाख मनुष्यों की वृद्धि हो रही है जो कि आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से अधिक है । यदि हम संसार का भ्रमण करें तो प्रत्येक सातवां मनुष्य हमें भारतीय मिलेगा । विश्व के कुल भूभाग का 2.4 प्रतिशत भाग भारत का है जिस पर इस समय 68.38 करोड़ व्यक्ति निवास कर रहे हैं (सन् 1981 के जनगणना के आधार पर) उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11.08 करोड़ है जो कि भारत के सभी राज्यों से अधिक है ।

इसमें 5.87 करोड़ पुरुष तथा 5.21 करोड़ स्त्रियां हैं जो कि 2,94,413 स्क्वायर किलो मीटर क्षेत्रफल पर निवास कर रहे हैं जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87782 स्क्वायर किलोमीटर है । या हम यूं कह सकते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का ग्यारहवां भाग उत्तर प्रदेश का है । जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि पिछले दस वर्षों में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि सन् 1921 से 1961 के बीच हुई। 1961 तथा 1971 के बीच जनसंख्या में केवल 3 प्रतिशत तथा सन् 1971 से सन् 1981 के बीच 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, अनायास ही जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई जो कि आज हमारे देश की नहीं बल्कि विश्व की सर्वोत्तम समस्या है । भारत के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर भी हम स्थिति को बहुत गम्भीर पाते हैं । जनसंख्या वृद्धि की यह रफ्तार जनमानस के बीच भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है । बढ़ती जनसंख्या आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में बाधक बन रही है, मानव के जीवन स्तर पर तनाव उत्पन्न कर रही है । मनुष्य का सुखमय जीवन तो प्रभावित हो रहा है, इसके अस्तित्व तक का प्रश्न उत्पन्न होने की आशंका है । विकास योजनाओं का लाभ जनसाधारण तक पहुंचना कठिन हो रहा है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक दिशा में यह प्रयास किया गया कि भारतीय जनता के रहन सहन, खानपान तथा आवास की सुविधाओं में गुणात्मक सुधार हो । इस दिशा में हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है, फिर भी हम देखते हैं कि देश में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन, वस्त्र तथा आवास जैसी आवश्यकताओं की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं ।

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और उपलब्ध सीमित संसाधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाना अति आवश्यक प्रतीत होता है । आर्थिक एवं सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या वृद्धि सीमित करने के अतिरिक्त हमारे सामने अन्य कोई विकल्प नहीं है । देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में ही जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए जबकि जिस दर से संसाधनों में वृद्धि कर पा रहे हैं उससे कहीं अधिक गति से जनसंख्या बढ़ रही है । यह स्थिति देश के लिए घातक है । विकास योजनाएं अवरुद्ध हो रही हैं और जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो पा रहा है ।

यदि हम चाहते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था तथा सामान्य नागरिक के दैनिक जीवन में गुणात्मक सुधार हो तो हमें जनसंख्या वृद्धि दर में शीघ्रातिशीघ्र कमी लानी होगी । हमारा यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब हम इस समय की वृद्धि दर जो कि 4.1 प्रतिशत है, उसे घटाकर 2.5 प्रतिशत या उससे भी कम करने में सफल होंगे । भारत में जनसंख्या सीमित रखने के परिप्रेक्ष्य में उचित जनसंख्या नीति अपनाई जा चुकी है । इसी के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में (1951–56) परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ किया गया है । परिवार के सदस्यों की संख्या संसाधनों के अनुरूप सीमित रखना ही परिवार नियोजन का उद्देश्य है । परिवार नियोजन के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियोजित किया जाए । इस कार्य के लिए निम्न तीन बातों पर विचार किया गया :–

(1) छोटे परिवार को स्वीकार करना,

(2) परिवार नियोजन विधियों का ज्ञान,

(3) परिवार नियोजन की सेवाओं का उपलब्ध होना ।

इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1956 से 1965 तक परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया ताकि जनता को सेवा सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकें। परिवार नियोजन कार्यक्रम में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन अवश्य होते रहे जैसे वर्ष 1956-66 तक मुख्य रूप से परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना करके सेवा सुविधाएं जनता तक पहुंचाई गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में वर्ष 1966 से परिवार नियोजन केन्द्रों के साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्य में 'प्रसार शिक्षा'' पर बल दिया गया। प्रसार शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत 'प्रसार शिक्षक'' के पद को स्वीकृत किया गया। इन प्रसार शिक्षकों का मुख्य कार्य जनता को निकटवर्ती स्थानों में परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करना एवं सेवा सुविधाओं की जानकारी देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 से 1 लाख की जनसंख्या एवं शहरी क्षेत्रों में प्रति 50 हजार जनसंख्या पर एक प्रसार शिक्षक की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्य के अन्तर्गत जनता को लाभान्वित करने के लिए परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक की भी प्रति 20,000 जनसंख्या पर नियुक्ति की गई। वर्ष 1972-73 में परिवार नियोजन की विशाल देन "नसबन्दी शिविरें" भी हैं।

इस प्रकार 1966 से देश में परिवार नियोजन (परिवार कल्याण) का एक अलग विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है परन्तु इतना सब होते हुये भी जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश नहीं लग पाया।

जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से बुखारिष्ठ (रूमानिया) में अगस्त, 1974 में विश्व भर की एक बैठक हुई। बैठक में भारत के प्रतिनिधि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि "संसार के प्रत्येक देश में जनसंख्या में नियंत्रण लाने का एक मात्र उपाय देश की गरीबी दूर करना है।"

तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्री डा0 कर्ण सिंह ने 16 अप्रैल, 1976 में नई दिल्ली में प्रसारित अपने एक वक्तव्य में कहा था कि "हमारा असली शत्रु गरीबी है, अगर देश के भविष्य को सुरक्षित बनाना है और गरीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करना है तो आबादी की समस्या को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता एवं दायित्व के रूप मानना होगा। "इसी वर्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन के अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने परिवार नियोजन के प्रयासों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया। इसी प्रकार प्रधान मन्त्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से यदि देश को आगे बढ़ाना है तो बीस सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण को अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

देश की गरीबी हटाने एवं देश के बहुमुखी विकास के उद्देश्य से 1976 में भारत सरकार ने एक व्यापक जनसंख्या नीति की घोषणा की है। जनसंख्या नीति में केवल परिवार नियोजन कार्यक्रम ही नहीं बल्कि जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कई ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता देश का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने का प्रयास निरन्तर किया गया है। नीति के अनुसार जन्म दर कम करने का लक्ष्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 30 प्रति हजार तथा छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्त (वर्ष 1984) तक 25 प्रति हजार जनसंख्या लाना है। आशा की जाती है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से घटकर 1.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जाएगी। जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को सघन रूप से चलाया गया तथा परिवार सीमित रखने वाले दम्पतियों को विशेष सुविधायें जैसे प्रोत्साहन धन देकर प्रेरणा प्रदान की गयी।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के साथ-साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन लाने का प्रयास इस उद्देश्य से किया गया कि अबाध जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लग सके जैसे लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 व 18 वर्ष कर दी गयी, विवाहों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना, लड़कियों की शिक्षा के आवश्यक प्रबन्ध पर विशेष बल दिया गया। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर कम करने के लिये पौष्टिक आहार के प्रबन्ध पर ध्यान दिया गया। यद्यपि हमने परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्रियात्मक एवं प्रचारात्मक विधियां अपनाई हैं परन्तु जनमानस को हम यह समझाने में अब तक असफल रहे कि हम जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता क्यों समझते हैं तथा उनके पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अतः यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि क्रियात्मक तथा प्रचारात्मक विधियों के साथ संज्ञानात्मक स्तर पर भी प्रयास किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या नीति के अन्तर्गत हमने वृद्धि दर को कम करने हेतु एक प्रयास के रूप में जनसंख्या शिक्षा का समावेश पाठ्यक्रमों में किया है।

जनसंख्या नीति की यह भी विशेषता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अन्तर्विभागीय कार्य मानकर जनता तक इसकी सेवा को उपलब्धि करायें। राजनीति के क्षेत्र में भी जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर सुविधायें दी गयी हैं। सभी प्रदेशों को समान रूप से प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो सके इसके लिए 1971 की जनगणना आंकड़े ही मानने की योजना भारत सरकार ने रखी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में अच्छा कार्य करने वाले प्रदेशों को बढ़ावा देने के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 1981 एवं 1991 की जनगणना से प्राप्त जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रदेशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम में गति लाने के लिए केन्द्र द्वारा दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता का 8 प्रतिशत परिवार नियोजन के कार्य की उपलब्धि से जोड़ दिया गया है। उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को जिन्होंने परिवार नियोजन कार्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है, उनको कर मुक्त करने की घोषणा की गयी है।

यह हमें ज्ञात ही है कि सभी राज्यों से अधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, इस लिए प्रदेश की जन्म दर को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है । प्रदेश में लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाया गया है तथा सभी विवाहों का पंजीकरण आवश्यक घोषित किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य ग्राम सभा स्तर पर किया जाना निश्चित किया गया है । उत्तर प्रदेश में 1976-77 से परिवार कल्याण कार्यक्रमों को त्वरित गति दी गयी है । परिवार सीमित रखने हेतु शल्य क्रिया, निरोधक विधियों आदि के प्रचार पर बल दिया गया है । आकाशवाणी प्रसारण द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों को और अधिक महत्व पूर्ण बनाया गया है । स्थान-स्थान पर "लाल त्रिकोण" बना कर तथा "छोटा परिवार, सुखी परिवार" लिखकर जन मानस को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि सुख एवं शान्ति का प्रतीक छोटा परिवार ही है । इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने एवं न अपनाने वालों के लिए प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की योजना भी प्रदेश में बनायी गयी है :

प्रदेश की जनसंख्या नीति के अनुसार प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन योजना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

(i) वे प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन जो सरकारी कर्मचारियों को दिए गये ।

(ii) वे प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन जो साधारण जनता पर लागू किये गये ।

सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में एक अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा, नकद धनराशि (बन्ध्याकरण कराने पर) एवं सरकारी भवनों तथा क्वार्टरों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने की सुविधायें दी गयी हैं तथा हतोत्साहन के रूप में सरकारी चिकित्सालय तथा औषधालय में निःशुल्क चिकित्सा । "सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम" की दुकानों से सस्ते भाव पर वस्तुओं की प्राप्ति, महंगाई-भत्ता की किश्त का स्वीकृति, सरकारी भवनों तथा क्वार्टरों के आवंटन की सुविधा तथा अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा से वंचित किया गया है ।

साधारण जनता के लिए प्रोत्साहन के रूप में शिक्षा की सुविधा, बच्चों को छात्रवृत्ति में सुविधा, व्यवसाय तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं । किसानों को लगान में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है । सीमित परिवार न रखने वालों को सार्वजनिक वाहन (मिनी बस, आटो रिक्शा आदि) की परमिट, लाइसेन्स या कोटा से वंचित करने का प्राविधान भी निश्चित किया गया है । राशन कार्ड, चिकित्सीय सुविधा के हकदार भी सीमित परिवार के व्यक्ति ही होंगे ।

सामूहिक प्रोत्साहन के रूप में प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला परिषद्, प्रत्येक मण्डल में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र समिति तथा प्रत्येक जिले में सबसे अच्छी ग्राम सभा को शासन द्वारा नकद पुरस्कार घोषित किये गये हैं ।

कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने तथा कार्यकर्ताओं के मार्ग-दर्शन के लिए मण्डलायुक्त एवं जिलाधीश को परिवार नियोजन का कार्यभार दिया गया है । इसी प्रकार विकास खण्ड एवं तहसील में परिवार नियोजन कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं सब-डिवीजन मैजिस्ट्रेट को उत्तरदायी बनाया गया है । शासन की ओर से जिलाधीश तथा मण्डलीय अधिकारियों को यह आदेश दिए गये हैं कि वे अपने जिले में तथा मण्डलों में समितियों का गठन करें कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गतिशील बनाये रखने में पूर्ण प्रयास करते रहेंगे । जिलाधीश जब भी निरीक्षण करने हेतु अपने जिले का भ्रमण करेंगे तो वे परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए पर्यवेक्षण करेंगे ।

हमारा विश्वास है भारत एवं प्रदेश की जन संख्या नीति के अन्तर्गत जो ठोस कदम उठाये गये हैं उससे हमारा प्रदेश निश्चित रूप से देश की जन संख्या वृद्धि दर को कम करने में भारी योगदान कर सकेगा ।

भारत तथा उत्तर प्रदेश
1981 के जनसंख्या सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े

श्रीमती उमा बली,
शोध प्राध्यापक, रा० शि० सं०,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

	भारत		उत्तर प्रदेश	
	वर्ष		वर्ष	
	1971	1981	1971	1981
1—जन संख्या (करोड़ों में)	54.70	6 . 38	8.83	11.08
स्त्री	..	33.05	स्त्री	5.21
पुरुष	..	35. 33	पुरुष	5.87
2—जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर	178	221	..	337
3—सेक्स अनुपात (प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या)	930	936	897	886
4—(क) शहरी जनसंख्या	19.9	..	14.0	..
(ख) ग्रामीण जनसंख्या	80.1	..	86 0	..
5—(1) जन्म दर	41.1	36.0	44.6	44.6 (1971)
(2) मृत्यु दर	15.7	14.8	20.0	20.0 (1971)
(3) वृद्धि दर	24. 63	24.75	19.73	25.48
6—जीवित रहने की प्रत्याशा—				
(1) पुरुष	..	52.6	53.7	..
(2) स्त्री	..	51.5	54.9	..
7—विवाह की औसत आयु—				
(1) पुरुष	22. 2	..	19.2	.
(2) स्त्री	17. 3	..	15. 4	..
8—साक्षरता (करोड़ों में)	कुल 23.8			2. 2
	पुरुष 15. 9			1. 4
	स्त्री 7. 9			.80
9—(1) कुल आय (1972–73) (करोड़ों में)	(1960–61 के मूल्यों पर)	(वर्तमान मूल्यों पर)	(1960–61 के स्थायी भावों पर)	(वर्तमान भावों पर)
	19 130	39. 592	2451	5918
(2) प्रति व्यक्ति आय (1972–73) (रुपयों में)	337	698	270	652

उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में

1--भौगोलिक क्षेत्रफल	294413 वर्ग कि0 मी0
2--जनसंख्या (1980)	1039 लाख ।
3--कुछ औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के आंकड़े—	
(क) सीमेन्ट	493000 मी0 टन ।
(ख) सूती धागे	91000 मी0 टन ।
(ग) चीनी	1463000 मी0 टन ।
(घ) जूट	26000 मी0 टन ।
(च) वनस्पति तेल	102000 मी0 टन ।
(छ) सूती कपड़ा	2083 लाख मीटर ।
4--मुख्य खनिज उत्पादन--	
(क) चूना पत्थर	1387383 टन ।
(ख) मैंगनेसाइट	101686 टन ।
(ग) सिलिका रेत	222653 टन ।
5--विद्युत् उत्पादन	101300 लाख किलोवाट ।
6--मुख्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल--	
(क) गेहूं	7391 हजार हेक्टेयर ।
(ख) धान	5147 हजार हेक्टेयर ।
(ग) मक्का	1177 हजार हेक्टेयर ।
(घ) चना	1641 हजार हेक्टेयर ।
(च) गन्ना	1236 हजार हेक्टेयर ।
(छ) आलू	267 हजार हेक्टेयर ।
(ज) सरसों	159 हजार हेक्टेयर ।
7--सिंचाई	14061 हजार हैक्टेयर ।
8--मुख्य वन उत्पादन--	
(क) चीड़	319000 घन मीटर ।
(ख) साल	151000 घन मीटर ।
(ग) बांस	13428000 मीटर ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi
DOC. No. 2432
Date....... 30/4/85....

भारत में प्रजनन दर--वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में

एस0 के0 सक्सेना, एस0 एस0-सी0, एल0 टी0,
प्रोफेसर, जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ, राज्य शिक्षा संस्थान,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विश्व में चीन के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है जहां विश्व की कुल आबादी के लगभग 15 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते हैं जब कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत ही है।

विश्व की जनसंख्या 1950 के बाद अनायास ही तीव्र गति से बढ़ी है। 1901-50 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि की औसत दर .8 प्रतिशत था जो 1950-60 दशक में 1.8 प्रतिशत तक तथा 1970-80 में बढ़ कर 2-2.1 प्रतिशत पहुंच गई। विश्व की वर्तमान जनसंख्या लगभग 4.4 अरब है। यदि वृद्धि दर में पर्याप्त कमी न लायी जा सकी तो विश्व की जनसंख्या सन् 2000 तक 6 से 7 अरब तक एवं भारत की जनसंख्या 96 करोड़ से 1 अरब तक पहुंच जाएगी।

भारत की जनगणना 1981 के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं अपितु सम्भावित भयप्रद स्थिति की चेतावनी भी दे रहे हैं। 1901 में भारत की जन संख्या 23.83 करोड़ थी जो 1951 में 36.10 करोड़ हो गयी अर्थात् 50 वर्षों में आबादी 12.33 करोड़ बढ़ी। 1971 में जनसंख्या बढ़कर 54.70 करोड़ पहुंच गई अर्थात् मात्र 20 वर्षों में 18.60 करोड़ की वृद्धि हुई। 1981 के आंकड़ों के अनुसार अब भारत की जनसंख्या 68.38 करोड़ पहुंच चुकी है। इस प्रकार केवल 10 वर्षों में 13.68 करोड़ की वृद्धि हुई है।

1921 में भारत की जनसंख्या का घनत्व 81 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 था जो 1971 में 177 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 हो गया। 1981 की जनगणना स्थिति के अनुसार जनसंख्या घनत्व बढ़कर 221 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 पहुंच चुका है।

भारत के 1901-81 तक की जनगणनाओं के प्रमुख आंकड़े निम्नवत् हैं (स्रोत--सेन्सस आफ इन्डिया 1981-सीरीज-1 इन्डिया पेपर-1) :--

	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981
कुल जनसंख्या (करोड़)	23.83	25.20	25.13	27.89	31.86	36.10	43.92	54.81	68.38
जन्म दर (प्रति हजार)	..	51.3	49.2	46.4	45.2	39.9	41.7	40.6	36.00
मृत्यु दर ,,	..	43.1	48.8	36.3	31.2	27.4	22.8	17.0	14.8
वृद्धि दर ,,	..	+5.75	-0.31	+11.00	+14.22	+13.31	+21.51	+24.80	+24.75
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि0 मी0)	77	82	81	90	103	117	142	177	221

भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है जिसकी जनसंख्या 1901 में 4.86 करोड़ थी और अब 1981 में 11.08 करोड़ हो चुकी है। वर्तमान जनसंख्या घनत्व 377 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 है जो राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 221 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 से कहीं अधिक है।

पिछले 20 वर्षों से विश्व में यह अनुभव किये जाने लगे हैं कि अबाध गति से बढ़ती जनसंख्या आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए बाधक सिद्ध हो रही है तथा विकास योजनाओं को अवरुद्ध कर रही है। विकासशील देशों की प्रगति में जनसंख्या वृद्धि विशेष रूप से बाधक हो रही है क्योंकि एक ओर तो ये देश प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं एवं प्रगति हेतु प्रयत्नशील हैं, दूसरी ओर विश्व की जनसंख्या का लगभग 78 प्रतिशत इन्हीं देशों में निवास कर रहा है। विकसित देशों की वृद्धि दर 1-1.1 प्रतिशत की अपेक्षा विकासशील देशों में वृद्धि दर कहीं अधिक है अर्थात् लगभग 2.5 प्रतिशत। भारत भी इन्हीं देशों में से एक है।

जनसंख्या आंकड़ों का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि 1921 के बाद से ही देश की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ना प्रारम्भ हुई है। इसका कारण यह नहीं है कि जन्म दर में वृद्धि आ गयी हो। जन्म दर तो धीरे-धीरे कम ही होती गई है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है "मृत्यु दर" में कमी आना। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, महामारियों पर प्रभावकारी नियन्त्रण, अकाल की स्थितियों में उपयुक्त उपाय, आर्थिक विकास में आम प्रगति, पेय जल की उपलब्धता में सुविधाएं, खाद्य सामग्री वितरण तथा यातायात की सुविधाएं आदि अनेक कारणों से प्रभावित होकर मृत्यु दर में कमी आयी है।

1881–91 में मृत्यु दर 41 थी जो 1951–61 में घट कर 22·8 रह गयी और 1971–81 में यह 14·8 प्रति हजार ही रह गयी है। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य मृत्यु दर को और घटाकर 9 प्रति हजार तक लाना है।

जन्म दर का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि 1881–91 में जन्म दर 49 थी जो 1951–61 में घटकर 41.7 रह गयी। 1981 में धीरे–धीरे घट कर अब यह 36·00 प्रतिहजार पर पहुंची है। यद्यपि पिछले 30 वर्षों से हम देश में जनसंख्या नीति के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रमों के द्वारा 'जन्म दर' में कमी लाने का प्रयास करते रहे हैं और कुछ अंश तक इसमें सफलता भी मिली है परन्तु 1981 के आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि "वृद्धि दर" में कोई विशेष अन्तर नहीं आ पाया है। 'जन्म दर' में कुछ कमी अवश्य आयी है परन्तु 'मृत्यु दर' में भी गिरावट आई है तथा 'वृद्धि दर' लगभग यथावत् रही है। हम 'मृत्यु दर' को और कम करके 9 प्रति हजार तक लाना चाहते हैं परन्तु साथ ही साथ जन्म दर भी 36 से घट कर 21 प्रति हजार तक पहुंचाना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है।

एक बात स्पष्ट है। जिस सीमा तक हम 'मृत्यु दर' कम करने में सफल रहे हैं उतनी सफलता हमें 'जन्म दर' घटाने में नहीं मिल पायी है।

भारत में उच्च जन्म दर होने एवं उसमें वांछित कमी न ला सकने के अनेक कारण हैं। डा0 एस0 एन0 अग्रवाल, जनसंख्या शास्त्री के अनुसार भारत में उच्च जन्म दर होने के निम्नवत् कारण हैं :–

(1) विवाह की सर्वव्यापकता एवं लड़कियों का छोटी आयु में विवाह :–

भारत में विवाह करके परिवार बसाना आवश्यक माना जाता है तथा लगभग 95 प्रतिशत व्यक्ति ऐसा करते हैं। 1929 में शारदा ऐक्ट द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गयी थी जो अब बढ़ा कर 18 वर्ष कर दी गयी है परन्तु भारत में बाल विवाह का प्रचलन अब भी है। जापान तथा कुछ अन्य विकसित देशों में लड़कियों के विवाह की औसत आयु 22 से 25 वर्ष के बीच है जब कि भारत में 18 वर्ष से भी कम है।

(2) प्रजनन समेल की लम्बी अवधि :–

कम आयु में विवाह होने के कारण भारत में दम्पत्ति की प्रजनन अवधि बहुत लम्बी मिल जाती है। यदि बालिका का विवाह 15 वर्ष में ही हो गया तो 49 वर्ष की आयु तक 35 वर्षों का लम्बा प्रजनन काल मिल जाता है। विकसित देशों में यह अवधि कम है।

(3) बच्चे पैदा करने की तीव्र गति :–

प्रजनन की अवधि में दो बच्चों के जन्मों के मध्य समयान्तर अधिक रहे तो बच्चे कम पैदा होंगे। विकसित देशों में प्रायः महिलायें 2 या 3 बच्चे पैदा करती हैं। भारत में दो बच्चों के जन्मों के बीच अन्तराल कम होने के कारण स्त्रियां पूरे प्रजनन काल में औसत 7 बच्चों तक की मां बन जाती हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'जन्म दर' का स्त्रियों के 'प्रजनन दर' से सीधा सम्बन्ध है। यदि देश में हम 'जन्म दर' में कमी लाना चाहते हैं तो 'प्रजनन दर' में कमी लानी होगी।

प्रजनन दर :–इसका अभिप्राय उन जन्मों से है जो 15–49 वर्ष की स्त्रियों से उत्पन्न होते हैं। इसकी गणना प्रति 1,000 स्त्रियों पर करते हैं :

$$\text{प्रजनन दर प्रति 1000 स्त्रियां} = \frac{\text{15–49 वर्ष की स्त्रियों से 1 वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या}}{\text{15–49 वर्ष की कुल स्त्रियों की संख्या}} \times 1000$$

आयु विशिष्ट प्रजनन दर का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी विशेष आयु वर्ग की स्त्रियों से सम्बन्धित प्रजनन आंकड़े लिए जाते हैं :

$$\text{आयु विशिष्ट प्रजनन दर प्रति 1000 स्त्रियां (25–30 आयु वर्ग)} = \frac{\text{25–30 आयु वर्ग की स्त्रियों से 1 वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या}}{\text{25–30 आयु वर्ग की स्त्रियों की कुल संख्या}} \times 1000$$

भारत में प्रजनन दर––विकसित देशों की अपेक्षा भारत में प्रजनन दर ऊंचा है जिसके मुख्य कारण विवाह की सर्वव्यापकता, विवाह की औसत आयु का कम होना, गर्भ निरोधक उपायों का सीमित उपयोग, साक्षरता में कमी जीवन–स्तर की निम्नता, परम्परागत जीवन दर्शन तथा लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का ग्रामीण होना है। भारत में कम आयु में ही विवाहित स्त्री शीघ्र मां बन जाती है और प्रथम बच्चा 20 वर्ष की आयु के पूर्व ही हो जाता है। इस प्रकार अपनी सम्पूर्ण प्रजनन अवधि में स्त्री 6 से 7 बच्चों तक की माता बन जाती है। विकसित देशों में यह संख्या 2 से 3 तक ही है।

कुछ अन्य विकासशील देशों में प्रजनन दर भारत से भी अधिक है। इसके कई कारण हैं जैसे वैधव्य, विधवा विवाह की नगण्यता, प्रसव के बाद अधिक काल तक स्त्री का मैके में रहकर अगले गर्भ से बचे रहना, अधिक काल तक शिशु को दूध पिलाना आदि। कुछ देश जिनमें प्रजनन दर भारत से भी अधिक है, निम्नवत् हैं :—

हटेराइट्स जाति	9 बच्चे
कोकस टापू (मलाया)	8.4 बच्चे
क्यूबेक	9·9 बच्चे
ब्राजील	8.8 बच्चे
चीनी	7 से 8 बच्चे

(तीव्र जनसंख्या वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में चीन में अब एक या दो बच्चों तक ही परिवार सीमित रखे जाने के नियम बनाये गये हैं)

भारत में राज्यानुसार प्रजनन दर (1971–72)

राज्य/संघीय क्षेत्र	सामान्य प्रजनन दर	
	ग्रामीण	शहरी
1—आंध्र प्रदेश	150·9	126·6
2—असम (मेघालय सहित)	181·7	130.7
3—बिहार	155·1	123·9
4—गुजरात	196·3	164·0
5—हरियाना	220·8	151·4
6—हिमाचल प्रदेश	164·5	137·7
7—जम्मू-कश्मीर	155·5	86·1
8—केरल	133·8	120·4
9—मध्य प्रदेश	220.3	167·9
10—महाराष्ट्र	156·4	127·6
11—उड़ीसा	151·0	138·3
12—राजस्थान	209·5	161·9
13—तामिलनाडु	140.1	89·5
14—उत्तर प्रदेश	222·6	158·7
15—दिल्ली	214·6	136·2
16—गोवा, दमन, ड्यु	113.3	88·9
भारत	174.0	131·2

ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रजनन दर सर्वाधिक है (222·6) और शहरी क्षेत्र में चतुर्थ स्थान पर है (158·7—मध्य प्रदेश प्रथम—167·9)।

भारत के औसत प्रजनन दर से उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर कहीं अधिक है।

'आयु-विशिष्ट प्रजनन दर' के आंकड़ों से प्रजनन के क्रम एवं विन्यास का सही अध्ययन हो पाता है।

आयु विशिष्ट प्रजनन दर

(प्रति 1,000 स्त्रियाँ)

वय वर्ग	नेशनल सैम्पिल सर्वे				सैम्पिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ग्रामीण)	
	ग्रामीण		शहरी			
	1959–60	1964–65	1959–60	1964–65	1968	1969
1	2	3	4	5	6	7
10–15	1.0	2·5	0·9	..	..	..
15–20	143·9	83·2	99·6	67.5	109·4	97·9
20–25	263·6	247·2	226·9	251·9	251·4	261·9
25–30	244·3	241·3	208·2	271·5	272·6	266.9
30–35	188.3	195.4	160·4	195·1	224·3	226·0
35–40	127·9	177·5	102·4	130·9	172·3	158·1
40–45	49·6	79.1	41·8	12.1	81·6	77.1
45–49	17·6	33·4	9·9	8·5	39.7	35·5
50–54	2·3	3·6	..	..	..	..

नेशनल सैम्पिल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 20–25 आयु वर्ग की स्त्रियों में प्रजनन क्रिया सर्वाधिक होती है जबकि सैम्पिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार यह बात 25–30 आयु वर्ग की स्त्रियों में आंकी गयी है। अधिकांश जनसंख्या शास्त्रियों का मत यही है कि 20–25 आयु वर्ग की स्त्रियां सर्वाधिक बच्चे उत्पन्न करती हैं और 25–30 आयु वर्ग तक स्थिति लगभग यथावत रहती है।

(स्रोत—नेशनल सैम्पिल सर्वे, फर्टीलिटी एण्ड फर्टीलिटी रेट्स इन इण्डिया, एन0 एस0 एस0 रिपोर्ट नं0 76 चौदहवां दौर)

विवाहित जीवनकाल के अनुसार जन्म—

विवाहित जीवनकाल के अनुसार शिशु जन्मों का अध्ययन यह ज्ञात करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किस अवधि में प्रजनन क्रिया अत्यधिक होती है। आयु विशिष्ट प्रजनन दर से आयु के अनुसार प्रजनन की गति का अनुमान लगता है जबकि विवाहित जीवन काल के अनुसार जन्मों के अध्ययन से विवाहित जीवन अवधि से अनुसार प्रजनन ज्ञात होता है।

विवाहित जीवन काल के अनुसार जन्मों का वितरण (जरनल आफ फेमिली वेलफेयर, 1965)

राज्य		विवाहित जीवन काल (वर्षों में)						
		1–5	5–10	10–15	15–20	20–25	25–30	30
		(कुल जन्मों का प्रतिशत)						
बिहार	ग्रामीण	10	26	27	18	11	5	
	शहरी	19	32	22	13	7	4	
गुजरात	ग्रामीण	20	27	26	15	8	3	
	शहरी	21	30	26	12	8	2	

राज्य		विवाहित जीवन काल (वर्षों में)						
		1–5	5–10	10–15	15–20	20–25	25–30	30+
जम्मू कश्मीर	ग्रामीण	16	26	27	17	12	..	2
	शहरी	19	26	27	16	11	..	1
केरल	ग्रामीण	25	27	24	15	7	2	0
	शहरी	27	28	24	14	5	2	0
मध्य प्रदेश	ग्रामीण	15	28	26	17	9	4	1
	शहरी	17	28	26	17	9	3	1
तामिलनाडु	ग्रामीण	25	30	21	13	7	2	2
	शहरी	27	28	21	15	6	2	1
महाराष्ट्र	ग्रामीण	15	26	26	17	10	4	2
	शहरी	18	28	26	16	8	3	1
कर्नाटक	ग्रामीण	18	24	28	17	9	3	1
	शहरी	19	27	28	15	8	2	1
उड़ीसा	ग्रामीण	21	27	25	14	9	2	2
	शहरी	20	29	25	14	8	2	2
राजस्थान	ग्रामीण	12	26	25	19	11	5	2
	शहरी	15	29	22	17	10	4	3
दिल्ली	ग्रामीण	..	..	..	..	..	..	..
	शहरी	25	27	25	15	6	2	0

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बिहार व राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विवाहित जीवन के 1–5 वर्ष की अवधि में 10 प्रतिशत जन्म होते हैं जब कि कश्मीर तथा मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा राजस्थान के शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत तक जन्म होते हैं। कर्नाटक, गुजरात व उड़ीसा में विवाहित जीवन काल के प्रथम 5 वर्षों में ही 20 प्रतिशत तक जन्म होते हैं। विवाहित जीवन के 5–15 वर्षों की अवधि में लगभग 50–55 प्रतिशत जन्म होते हैं। 25 वर्षों के बाद जन्मों की संख्या नगण्य होती है।

उक्त से स्पष्ट है कि यदि हम भारत में जन्म दर घटाना चाहते हैं तो विवाहित जीवन के प्रथम कुछ वर्षों में गर्भ निरोधक विधियों को अपनाना आवश्यक होगा।

कुल जन्मों और क्रमानुसार जन्मों के बीच का अनुपात प्रजनन का आपेक्षिक स्तर ज्ञात करने में सहायक होता है।

प्रारम्भिक क्रमों के जन्मों का ऊंचा अनुपात प्रजनन दर के निम्न स्तर को दर्शाता है जब कि उच्च क्रमों के जन्मों का ऊंचा अनुपात प्रजनन की उच्च दर का सूचक है। अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ है कि भारत में लगभग 20 प्रतिशत जन्म छठे एवं उच्चतर क्रम के होते हैं।

रजिस्ट्रार जनरल आफ इन्डिया के 1960–61 के निम्नवत् आंकड़ों से उक्त परिणाम स्पष्ट होते हैं:—

राज्य	ग्रामीण (जन्मों का क्रम)			शहरी (जन्मों का क्रम)		
	1–3	4–5	6+	1–3	4–5	6+
बिहार	65	24	11	62	24	14
गुजरात	53	26	21	52	25	23
जम्मू कश्मीर	58	26	16	53	29	18

राज्य	ग्रामीण (जन्मों का क्रम)			शहरी (जन्मों का क्रम)		
	1—3	4—5	6+	1—3	4—5	6+
केरल	53	25	22	54	24	22
मध्य प्रदेश	54	25	21	58	26	21
मद्रास	63	23	14	63	23	14
महाराष्ट्र	58	25	17	55	25	20
मैसूर	55	24	21	53	24	23
उड़ीसा	64	23	13	63	23	14
राजस्थान	58	25	17	56	23	21
दिल्ली	..	..	..	55	26	19

उक्त आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में कुल जन्मों का लगभग 1/4 चौथे व पांचवें जन्म के क्रम में होते हैं। प्रथम तीन क्रम के जन्मों का प्रतिशत शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। इससे प्रतीत होता है कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में प्रजनन दर कुछ अधिक है।

निवास तथा प्रजनन दर : 1961 के पूर्व शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रजनन दरों में कोई विशेष अन्तर नहीं था परन्तु 1961 के बाद से शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर घटा है। यह अन्तर औद्योगिक रूप से विकसित देशों में अधिक पाया गया। भारत में भी ग्रेटर बांबे, दिल्ली और कलकत्ता जैसे औद्योगिक शहरों में प्रजनन दर राष्ट्रीय आंकड़ों से कम है। स्पष्ट है कि निवास के क्षेत्र का प्रभाव प्रजनन दर पर पड़ता है।

जाति एवं धर्मानुसार प्रजनन दर : यद्यपि 1941 सेन्सस से इस प्रकार के आंकड़े संकलित करना बन्द कर दिये गये हैं क्योंकि इससे जटिलता उत्पन्न होती है परन्तु कुछ विशिष्ट अध्ययनों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हिन्दुओं की अपेक्षा मुस्लिमों में प्रजनन दर उच्च है। यह सम्भवतः इसलिए है कि मुस्लिमों में विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध नहीं है। निम्नवर्गीय जातियों में भी प्रजनन दर अधिक है।

प्रजनन तथा शिक्षा : मैसूर के बंगलौर शहर के सर्वेक्षण द्वारा निम्नवत् आंकड़े प्राप्त हुए :

15 वर्ष तथा अधिक आयु की स्त्रियों से उत्पन्न शिशुओं का औसत	जो निरक्षर थीं	5.3—5.5 बच्चे
	जो जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ी थीं—	
	जो जूनियर हाई स्कूल से अधिक शिक्षा प्राप्त थीं	3.9 बच्चे

कुछ इसी प्रकार के परिणाम नेशनल सैम्पिल सर्वे 1960–61 (छठा राउन्ड) द्वारा भी प्राप्त हुए।

निरक्षर, प्राइमरी स्तर से कम या प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त स्त्रियां	6.6 बच्चे
जूनियर स्तर तक पढ़ी स्त्रियां	5.0 बच्चे
हाई स्कूल स्तर तक पढ़ी स्त्रियां	4.6 बच्चे
उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियां	2.0 बच्चे

उक्त आंकड़ों से परिणाम निकलते हैं कि शिक्षित स्त्रियों में प्रजनन दर कम होती है। यह निष्कर्ष भी निकलता है कि भारत में प्रजनन दर घटाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना होगा। भारत में 1981 जनगणना आंकड़ों के अनुसार साक्षरता 36.17 प्रतिशत पायी गयी जिसमें पुरुषों में 46.74 प्रतिशत तथा स्त्रियों में मात्र 24.88 प्रतिशत साक्षरता है। (सेन्सस आफ इन्डिया 1981—सीरीज 1 पेपर 1)

आर्थिक स्थिति तथा प्रजनन दर: नेशनल सैम्पिल सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि "पर कैपिटा व्यय" का औसत बढ़ने पर विवाहित जोड़ों से बच्चे कम पैदा होते हैं। मध्य भारत में "ड्राइवर" के अध्ययन द्वारा भी ऐसे ही निष्कर्ष निकलते हैं परन्तु मजूमदार द्वारा कानपुर सर्वे तथा मुकर्जी व बलजीत सिंह द्वारा लखनऊ सर्वे इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं।

व्यवसाय तथा प्रजनन दर: यह पाया गया है कि नौकरियों में लगे व्यक्तियों एवं अधिकारियों की अपेक्षा खेतिहरों तथा मजदूरों में प्रजनन दर उच्च होती है। ऐसा सम्भवतः विवाह की उच्च औसत आयु एवं उच्च शिक्षा के कारण होता है।

विवाह की औसत आयु तथा प्रजनन दर : जो स्त्रियाँ देर से विवाह करती है (19 वर्ष तथा ऊपर) उनमें प्रजनन दर उनकी अपेक्षा कम पायी गयी जो कम आयु में विवाह कर लेती हैं ।

मैसूर सर्वेक्षण : ग्रामीण स्त्रियां (14–17 वर्ष पर विवाह)	5.9	बच्चे
ग्रामीण स्त्रियां (18–21 वर्ष पर विवाह)	4.7	,,
मजूमदार द्वारा कानपुर सर्वेक्षण : 15 वर्ष तक की आयु पर विवाह	6.9	,,
19 वर्ष के बाद विवाह	6.0	,,

उत्पन्न बच्चों की औसत संख्या (आफिस आफ द् रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार) 1964

राज्य		विवाह की औसत आयु		
		18 वर्ष से कम	18–23 वर्ष	23 वर्ष +
जम्मू काश्मीर	ग्रामीण	5.1	4.2	3.2
	शहरी	5.2	4.2	3.7
पंजाब	ग्रामीण	5.7	5.2	4.4
	शहरी	6.0	5.5	4.7
केरल	ग्रामीण	6.2	5.5	3.9
	शहरी	6.2	5.5	4.0
उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	4.2	4.0	3.7
	शहरी	4.5	4.0	3.7

उक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि औसतन 20 वर्ष की आयु में विवाह करने वाली स्त्रियों में प्रजनन दर कम पायी जाती है ।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि भारत में जन्म दर घटाने के लिए स्त्रियों में प्रजनन दर कम करनी होगी जो कि स्त्री शिक्षा द्वारा, जीवन स्तर में सुधार लाकर, समाज में व्याप्त अन्ध विश्वास एवं परम्परागत जीवन दर्शन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर तथा बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में व्यवहार एवं दृष्टिकोण के परिवर्तन द्वारा ही सम्भव प्रतीत होता है । साथ ही विवाह की औसत आयु भी बढ़ानी आवश्यक है । भारत सरकार ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष तथा पुरुषों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है । परन्तु केवल कानून बनाने मात्र से ऐसा परिवर्तन किया जाना सम्भव न हो सकेगा । यह कार्य शिक्षा एवं अनुनय द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से सम्पादित हो सकेगा ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण भी प्रस्तावित है । इससे भी विवाह की औसत आयु बढ़ने में सहायता मिलेगी और चोरी छिपे कानून का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति में कमी आयेगी ।

उक्त सभी प्रयासों के द्वारा ही परिवार नियोजन के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे । कुछ अंश तक हमें सफलता भी मिल रही है ।

मिशिगन विश्वविद्यालय जनसंख्या योजना केन्द्र के प्रोफेसर गेलनेस्स के अनुसार--

"परिवार नियोजन का प्रत्येक देश द्वारा व्यावहारिक रूप से अपनाया जाना और फलस्वरूप प्रजनन क्षमता का दुनिया भर में कम होने लगना इतिहास की एक मौन क्रान्ति है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है" ।

जनसंख्या शिक्षा में शिक्षक वर्ग का योगदान

प्रभात चन्द्र घोष, जनसंख्या शिक्षा परियोजना अधिकारी, रा० शि० संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद

जनसंख्या–शिक्षा उस शिक्षा का नाम है जिसमें देश अथवा विदेश की जनसंख्या सम्बन्धी जानकारी करायी जाय। यह जानकारी केवल वर्तमान जनसंख्या स्थिति की हो सकती है अथवा पिछले वर्षों में किस गति से जनसंख्या बढ़ी, इससे सम्बन्धित हो सकती है। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि के अनुमान भी जनसंख्या–शिक्षा में बताये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या–वृद्धि की गति, यदि तीव्र है, इसके क्या कारण हैं, जनसंख्या को यदि नियंत्रित करना है, तो कैसे किया जाय, इन सबकी जानकारी जनसंख्या–शिक्षा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि कैसे जानी जाती है तथा किन बातों पर आधारित है, इस ज्ञान को भी जनसंख्या शिक्षा में सम्मिलित किया जाता है। इन सब बातों का समावेश कर जनसंख्या–शिक्षा की एक विस्तृत परिभाषा दी जा सकती है, जनसंख्या–शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा वर्तमान जनसंख्या–स्थिति, देश के आर्थिक विकास पर बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभाव तथा जनसंख्या–नियंत्रण के उपायों के सम्बन्ध में जानकारी करायी जा सकती है।

शिक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिस पर व्यक्ति के चरित्र गठन से लेकर समाज के विकास तक के भारी कार्य का दायित्व होता है। जन शक्ति को उपयोगी बनाने और विकास में लगाने का कार्य शिक्षकों के कन्धों पर ही रहता है। जनसंख्या शिक्षा में शिक्षकों का क्या स्थान है ? तथा वे जनसंख्या शिक्षा कैसे दे सकते है ? इन प्रश्नों के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार शिक्षक अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान करते हैं उसी प्रकार जनसंख्या शिक्षा दी जा सकती है, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ भिन्न है। ऐसा क्यों ? इसके दो कारण हैं:—

1—अशिक्षित जनसंख्या का आधिक्य, तथा,

2—शिक्षा ग्रहण करने वालों में आठवें दर्जे से ऊपर शिक्षा ग्रहण करने वालों का बहुत कम प्रतिशत।

शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में लगभग 29 प्रतिशत जनसंख्या स्कूलों में प्रवेश करती है। उनमें से लगभग 50 प्रतिशत बालक एवं बालिकायें ही आठवीं कक्षा के पश्चात् शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा शेष इससे पूर्व ही अपनी शिक्षा समाप्त कर देते हैं। प्रश्न यह उठता है कि ऐसे बालकों एवं बालिकाओं को जो या तो शिक्षा ग्रहण करने ही नहीं आते अथवा आठवें दर्जे के पश्चात् ही शिक्षा समाप्त कर देते हैं, उन्हें कैसे जनसंख्या शिक्षा दी जायें। यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश की कुल युवा जनसंख्या जो भावी माता-पिता हैं उन सबको जनसंख्या शिक्षा देनी है, ताकि उन्हें देश में अधिक जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का ज्ञान हो सके। यह महत्वपूर्ण कार्य स्कूलों में एवं स्कूलों से बाहर शिक्षा देकर ही किया जा सकता है जो शिक्षकों द्वारा ही सम्भव है।

शिक्षक अच्छे समाज का निर्माता है। अतः वह अशिक्षित जनता को अपनी बात-चीत के ढंग से साधारण शब्दों से जनसंख्या शिक्षा की जानकारी करा सकता है। कोई दम्पति अपने परिवार की समस्या लेकर शिक्षक के पास आता है तो उस समस्या के समाधान के साथ ही साथ जनसंख्या शिक्षा भी दी जा सकती है। यह शिक्षा कोई पुस्तकीय शिक्षा नहीं होगी अपितु शिक्षक के सम्पर्क में स्त्री अथवा पुरुष, जो कोई भी आये, उनसे एक प्रकार का विचार–विमर्श होगा और शिक्षक परिवार की संख्या को सीमित रखने के महत्व के बारे में समझा सकता है। इसी भांति रहन–सहन के स्तर को सुधारने की महत्ता को समझाया जा सकता है। इसी समय शिक्षक परिवार नियोजन की विधियों के विषय में भी बता सकता है। उनमें से इच्छुक दम्पत्तियों को सेवा सुविधा प्राप्त करा सकता है, जिसका प्रभाव शेष जनता पर भी पड़ेगा।

शिक्षक यह भी समझा सकते हैं कि मां–बाप को अपनी सन्तानों का विवाह छोटी आयु में नहीं करना चाहिये। इससे दो प्रकार की हानियां हैं। एक तो यह है कि लड़की छोटी आयु में मां बन जाती है जबकि उसे मां की जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं रहता। वे बच्चों का लालन-पालन भी भलीभांति नहीं कर पाती। बच्चा जन्म से ही कमजोर हो सकता है, जिसका प्रभाव जीवन भर रहता है। इसके अलावा बच्चों में मृत्यु दर भी अधिक होगी। सबसे बड़ी हानि छोटी आयु में विवाह करने की यह है कि दम्पत्ति को बच्चा पैदा करने का काफी लम्बा समय मिल जाता है, जिससे परिवार में बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है। परिवार के लिये आवश्यकताओं की सामग्री जुटाने में ही मां–बाप को कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उनका स्वास्थ्य गिर जाता है।

शिक्षक अपने छात्रों के मां–बाप को सामाजिक बैठकों में परिवार सीमित रखने की आवश्यकता के विषय में बतावे। जिन छात्रों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो पढ़ने में कमजोर हैं अथवा पढ़ाई में अच्छे होने पर भी जिन्हें पढ़ाई के लिये सुविधायें प्राप्त नहीं होतीं, शिक्षक ऐसे छात्रों के मां–बाप को बुलाकर बच्चों की समस्या के माध्यम से परिवार नियोजन के बारे में बताकर परिवार सीमित रखने की सलाह दें तथा उन्हें समझायें कि परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी विधियों से परिवार में बच्चों की संख्या अपनी इच्छानुसार कम अथवा अधिक रखी जा सकती है। परिवार नियोजन की सेवा प्राप्त कराने में शिक्षक पूर्ण सहायता दें अन्यथा उनके द्वारा किये गये प्रेरण–कार्य व्यर्थ हो सकते हैं।

जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें जनसंख्या शिक्षा देना कठिन कार्य नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को देश की कुल जन संख्या, जिस गति से जन संख्या बढ़ रही है, उसका ज्ञान, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है और कैसे जानी जाती है, बढ़ती हुई जन संख्या का देश में आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि विषयों पर बल देना चाहिये। इसके अतिरिक्त वे विद्यार्थियों को रोजगार की स्थिति से सम्बन्धित जानकारी भी करा सकते हैं, जिसका सामना उन्हें शिक्षा समाप्ति के बाद करना होगा। देश में जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति होने के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तथा उसके सामने भी यह कठिनाई आ सकती है। ऐसी दशा में जब वह विवाह करके अपना परिवार बनाये तो उन्हें परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित रखने के सम्बन्ध में बताना होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को यह भी बता सकते हैं कि विवाह देर से करके वे जनसंख्या समस्या सुलझाने में सहायक हो सकते हैं तथा विवाहोपरान्त कृत्रिम साधनों के प्रयोग से परिवार सीमित रखने की ओर भी संकेत किया जा सकता है।

शिक्षक, विद्यार्थियों को देश एवं प्रदेश की जनसंख्या नीति का ज्ञान करायें। शिक्षक, सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति को सफल बनाने में विद्यार्थी कहां तक सहायक हो सकता है, इस विषय में बतायें। विद्यार्थियों को यह भी बता देना उचित होगा कि भविष्य में जन संख्या वृद्धि किस दर से होगी और अनुमान के अनुसार देश एवं प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी हो जायेगी तथा विकास सम्बन्धी क्या-क्या कठिनाइयां आ सकती हैं? देश की जन संख्या स्थिति की विस्तृत जानकारी से छात्र अपने भावी दाम्पत्य-जीवन एवं परिवार के आकार के विषय में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेंगे।

हमारे देश में जनसंख्या शिक्षा का अर्थ यौन शिक्षा से किया जाता है और ऐसी शिक्षा बच्चों को देना माता-पिता बुरा समझते हैं। ऐसी दशा में शिक्षक जनता को भली-भांति समझाये कि जनसंख्या शिक्षा यौन-शिक्षा नहीं है बल्कि जन संख्या सम्बन्धी शिक्षा है।

शिक्षक जनसंख्या शिक्षा के लाभों को बताकर अधिक से अधिक संख्या में अपने अनुयायी बना सकता है। प्रारम्भ में शिक्षकों को कम सफलता मिल सकती है, परन्तु लगन और विश्वास के साथ देश के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में शिक्षकों को कुछ समय पश्चात् उसी क्षेत्र में जहां उन्हें असफल होना पड़ा था, सफलता मिल सकती है। शिक्षक जनता को यह समझाकर उनका विश्वासपात्र हो सकता है कि परिवार नियोजन का कार्य बच्चों के जन्मों को को रोकना ही नहीं है बल्कि समाज और व्यक्ति विशेष की उन्नति के विचार से अपने साधनों के अनुपात में ही परिवार के सदस्यों की संख्या को सीमित रखना है।

जनसंख्या नियन्त्रण में महिलाओं की भूमिका

श्रीमती सावित्री दुबे, शोध-प्राध्यापक,
रा० शि० संस्थान, उ०प्र० ।

"हे जग जीवन की जननी तु—
तेरा जीवन ही है त्याग,
है अमूल्य वैभव वसुधा का—
तेरा मूर्तिमान अनुराग"

मातृत्व नारी जीवन का सुखद वरदान है । कौन सी ऐसी नारी होगी, जिसका हृदय अबोध शिशु की किलकारियां सुनकर हर्षातिरेक से झूम न उठता हो ? परन्तु मातृत्व का यह वरदान एक सीमा के पश्चात् अभिशाप बन रहा है आखिर क्यों ?

जन संख्या वृद्धि की समस्या आज विकराल रूप से हमारे समक्ष खड़ी है, जिसकी उत्तरोत्तर वृद्धि को रोकने का प्रश्न जटिल है । इसका एक मात्र समाधान केवल यही है कि जन्मदर को कम किया जाये । विज्ञान के बढ़ते कदम चिकित्सा की नवीनतम प्रणालियों द्वारा मृत्यु दर पर नियंत्रण प्राप्त करते जा रहे हैं । संसार के उन्नत देश सम्भवतया इस जनांकिकीय संक्रान्ति के दूसरे चरण की प्रतीक्षा शताब्दियों तक कर सकते हैं, परन्तु अब भारत विलम्ब नहीं कर सकता है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि, विज्ञान, उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति करने के पश्चात् भी जन संख्या की अधिकाधिक वृद्धि के कारण देश की अधिकांश जनसंख्या इनका पूर्णलाभ नहीं उठा पा रही है ।

भारत में क्रमबद्ध रीति से 1891 ई० से जनगणना प्रारम्भ हुई । निम्नांकित सारणी से स्पष्ट है कि 1891 ई० के बाद जनसंख्या में किस प्रकार वृद्धि हुई :

वर्ष	जनसंख्या	दशाब्दी में प्रतिशत परिवर्तन
1891	2,85,900,000	..
1901	2,36,281,245	..
1911	2,52,122,410	+5.73
1921	2,51,352,261	−0.31
1931	2,79,015,498	+11.01
1941	3,18,701,012	+14.22
1951	3,61,129,622	+13.31
1961	4,89,235,082	+21.50
1971	5,47,367,926	+24.66
1981	6,83,800,000	+24.75

इस सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1961–71 में भारत की जनसंख्या में अपूर्व वृद्धि हुई है । उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट है कि गत 80 वर्षों में भारत की जनसंख्या में लगभग 31 करोड़ की वृद्धि हुई यह वृद्धि की दर 11.01, 14.22, 13.21, 21.50 और 24.66, 24.65 रही है ।

ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत

वर्ष	1921	1931	1941	1951	1961	1971
ग्रामीण	88.8	88.0	86.1	82.7	82.0	80.13
शहरी	11.2	12.2	13.9	17.3	18.0	19.87

अतः भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही है ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है, स्पष्ट है कि महिलाओं की संख्या भी गांवों में अधिक है । 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पीछे 941 स्त्रियां थीं, परन्तु 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पीछे 930 स्त्रियां रह गई है । हमारे देश में स्त्रियों का अनुपात निम्नवत् है :—

वर्ष	प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियां
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	946
1951	943
1961	940
1971	930
1981	936

कृषि की प्रधानता होने के कारण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियां कृषि कार्य में सहयोग देती हैं तथा कृषि कार्य में सहायता हेतु बड़ा परिवार चाहती हैं । इसके अतिरिक्त निम्न सामाजिक स्थिति के कारण गांवों में महिलाओं को मुख्यतः संतानोत्पत्ति के साधन के रूप में ही माना जाता है । आधुनिक ग्रामीण परिवेश में भी वे पुरुषों के लिए चल सम्पत्ति के रूप में समझी जाती हैं, मनोरंजन की सामग्री समझी जाती हैं अशिक्षित होने के कारण वे परिवार कल्याण की भावना को प्रश्रय नहीं दे पाती हैं । परिवार के आकार को सीमित रखने की कृत्रिम विधियों का प्रयोग प्रायः शहरों के शिक्षित वर्ग तक ही सीमित है । साधारण जनता सन्तति-निग्रह की विधियों से पूर्णतया अपरिचित है । शिक्षा के अभाव में उनमें ऐसी मानसिकता का पनपना असम्भव है जो परिवार कल्याण के विषय में कुछ भी विचार कर सके ।

ऐसी स्थिति में स्वतः प्रश्न उठता है कि जनसंख्या नियन्त्रण में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए । सर्व प्रथम जन संख्या वृद्धि की ओर माल्थस का ध्यान गया था उन्होंने 'नियोमाल्थोजियन्स लीग' नामक एक संस्था बनाई और परिवार-नियोजन का प्रचार आरम्भ किया । आज यदि माल्थस जीवित होते तो वह भी परिवार कल्याण के कृत्रिम साधनों को उपयोगी बतलाते । माल्थस को अपने प्रचार में कुछ सफलता मिली परन्तु आरम्भ में उन्हें प्रबल धार्मिक विरोध का सामना करना पड़ा । माल्थस के कथन से प्रेरित होकर जिन महिलाओं ने जन-संख्या नियन्त्रण में योगदान दिया उनमें अमेरिका की मार्गरेट सैंगर तथा इंगलैंड की मेरी स्टोप का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है । सर्वप्रथम विश्व में परिवार कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हीं दो महिलाओं को है । धीरे-धीरे शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ शिक्षित महिलायें इस दिशा में जागरूक होती गई । शिक्षित नारी के परिवेश, रहन-सहन एवं सामाजिक स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ । वह पुरुष की चल सम्पत्ति मात्र न रहकर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी बनी । प्रगतिशील देशों में शिक्षित नारियों ने परिवार कल्याण के तथ्य को हृदयंगम कर लिया है । भारत में भी शिक्षित महिलाओं के एक वर्ग ने इस विचारधारा को प्रोत्साहन देते हुए सीमित परिवारों की उपादेयता को समझा है । भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती सरलायेवाल ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है । पूना इंस्टीट्यूट के जनसंख्या शोध विभाग की प्रोफेसर श्रीमती कुमुदिनी गंडेकर भी परिवार कल्याण की दिशा में नवीन शोध हेतु कार्य कर रही हैं ।

वस्तुतः यदि देखा जाये तो जनसंख्या नियन्त्रण में महिलाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार की वृद्धि में उनका सर्वाधिक योगदान है यह निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

उम्र	विवाहित स्त्रियों का प्रतिशत	प्रति 1000 विवाहित स्त्रियों से पैदा बच्चों की संख्या
15–19	15.2	228
20–24	22.2	315
25–29	21.7	284
30–34	17.2	225
35–39	13 1	61
40–44	10.6	35
15–44	100.00	205

20 तथा 21 वर्ष की आयु में जनसंख्या दर सबसे अधिक है । ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी छोटी आयु में विवाह होते हैं, जिसके फलस्वरूप छोटी-छोटी बालिकाओं के सन्तान उत्पन्न होना आरम्भ हो जाती है और युवावस्था तक पहुंचते-पहुंचते वे कई-कई बच्चों की मां बन जाती हैं । इसका दूषित प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है । संतुलित आहार के अभाव में माता तथा बच्चे का स्वास्थ्य गिरता जाता है । रूग्ण सन्तानें और दुर्बल नारियां देश की नई पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के स्थान पर केवल घोर निराशा, चिन्ता एवं अनिश्चित भविष्य ही प्रदान करती हैं । सुझाव हेतु यह कहा जा सकता है कि बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष तथा लड़कों की आयु 24 वर्ष होनी चाहिए ।

अशिक्षा के साथ ही साथ अन्ध-विश्वास भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है । 'दूधो-नहाओ पूतों फलो' के सिद्धान्त में अब भी अधिकांश व्यक्ति विश्वास करते हैं और कुछ परिवारों में यह समझा जाता है कि पुत्र के बिना सारा परिवार नरकवासी होगा अतः पुत्र की आशा में जनसंख्या की वृद्धि निरन्तर होती रहती है । विशेषकर भारतीय परिवेश में जहां पुत्र के जन्म पर फूल की थाली एवं मंगल-वाद्य बजाये जाते हैं वहीं कन्या के जन्म पर लोहे का तवा एवं चिमटा बजाया जाता है, परिवार के सदस्यों के चहरे मुरझा जाते हैं । पुत्री के जन्म पर सास भी बहू को ताना देने में नहीं चूकती है फलतः बहू सास एवं परिवार की दृष्टि में सम्मान पाने एवं पुत्र जनम हेतु बार बार प्रसव-वेदना झेलती है । नयी पीढ़ी की महिलाओं को नये परिवेश में पूर्ण दृढ़ता से इस प्रश्न पर विचार करना होगा तथा पुत्र एवं पुत्री के भेद-भाव को भुलाकर सीमित परिवार की उपादेयता को समझने के लिये अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा । स्पष्ट है कि यह कार्य शिक्षित महिलायें अधिक कुशलता से कर सकती हैं ।

आज आर्थिक विषमताओं ने सामान्य जन जीवन की आशाओं एवं आकांक्षाओं को चूर-चूर कर दिया है । आजीविका निर्वाह का प्रश्न एक जटिल समस्या बन गया है । इस स्थिति में नारी को भी घर की लक्ष्मण रेखा पार करके वाह्य कर्मक्षेत्र में आकर पुरुष के कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करना पड़ा है । नारी के बदलते हुए व्यक्तित्व ने उसके दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन किया है । आज वह पुरुष की अनुचरी मात्र न रहकर सच्चे अर्थों में उसकी सहधर्मणी है । अतः जनसंख्या की समस्या पर उसे गम्भीरता पूर्वक विचार करना है तथा जनसंख्या शिक्षा को परिवार में पूर्ण प्रश्रय देना है ।

परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाली महिलाओं को अपना संदेश केवल नगर ही नहीं अपितु सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में भी पहुंचाना है, उन गांवों में जहां....."पशु बनकर नर पिस रहे जहां--नारियांजन रही हैं गुलाम, पैदा होना फिर मर जाना--बस यही एक लोगों का काम" जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाते हुये नारी को इस दिशा में पूर्ण जागरूक होना है ।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार "खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या अधिक बढ़ती है ।"

अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम :—

1 खाद्यान्न का अभाव ।

2 आवास स्थलों का अभाव ।

3 कपड़ा तथा उपयुक्त वस्त्रादि का संकट ।

4 जन-स्वास्थ्य का ह्रास ।

5 नैतिक तथा चारित्रिक पतन ।

भोजन, आवास तथा वस्त्र की कमी के कारण प्रदर्शन, उपद्रव, झगड़े आदि का सूत्रपात होता है । केवल कुछ साधन सम्पन्न लोग ही पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकते हैं, जन स्वास्थ्य गिरता जाता है । आर्थिक सुविधाओं के अभाव और दैनिक आवश्यकताओं की अनुपलब्धि व्यक्ति को चरित्र, धर्म और आदर्श के मार्ग से हटाने को विवश करती है । भूखा-नंगा व्यक्ति धर्मरक्षण और आदेश की बात पीछे सोचता है पहले वह जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बंध में सोचता है । आर्थिक संकट तथा भोजन और वस्त्र के अभाव में देश का राष्ट्रीय चरित्र भी गिरने लगता है । आर्थिक संकट में पड़ा व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराध करने में संकोच नहीं करता है आर्थिक प्रलोभन व्यक्ति को समाज, राष्ट्र और स्वय अपनी आत्मा से गद्दारी करने को विवश करता है ।

जनसंख्या-वृद्धि एक संक्रामक रोग है जो देश, राष्ट्र के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है । इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिये महिलाओं को जनसंख्या नियंत्रण में पूर्ण सहयोग देना है । परिवार कल्याण की महत्ता और गति को प्रोत्साहन देकर हमारे देश की सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है । इस संदर्भ में 16 अप्रैल 1976 को देश की जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने और राष्ट्रीय संसाधनों के बीच सम्बंध स्थापित कर आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा एक नयी नीति की घोषणा की गयी । इसके अनुसार लड़कियों की विवाह योग्य आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष निश्चित की गयी । परिवार नियोजन की दिशा में अच्छा काम करने वाले गांवों, जिला और पंचायत समितियों

मजदूर संगठनों आदि के सामूहिक प्रयत्नों को भी पुरस्कार देने की योजना रक्खी गयी। केन्द्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारियों को छोटे परिवार का सिद्धान्त अपनाने के लिये सेवा तथा आचरण के नियमों में कुछ परिवर्तन करने की योजना बनायी गयी। शिक्षा में जनसंख्या सम्बंधी मूल्यों को सम्मिलित करने के लिये पाठ्य-पुस्तकें निर्मित करके बालक-बालिकाओं को इस सम्बंध में अपेक्षित ज्ञान दिये जाने की योजना रखी गयी।

जून 1966 की संशोधित जनसंख्या नीति के अनुसार परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिये निम्न उपायों को सम्मिलित किया गया:—

(i) विवाह योग्य आयु में वृद्धि।

(ii) स्त्रियों के शिक्षा स्तर में सुधार लाना।

(iii) छोटे परिवार के संदेश को तेजी से फैलाना।

(iv) सन्तति-निग्रह के सभी उपायों को बढ़ावा देना।

(v) पंचायत, मजदूर संघ, सहकारी संस्था एवं युवा-संगठन आदि को इस कार्यक्रम में लगाना।

(vi) प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था।

इन सभी उपायों के सफल कार्यान्वयन हेतु नारी का सहयोग अपेक्षित है। नारी और पुरुष जीवन रथ के उन दो चक्कों के समान है जिनमें से एक का भी संतुलन बिगड़ने पर रथ का आगे बढ़ना असंभव है। इसके साथ ही नारी तो पारिवारिक जीवन का मेरुदंड भी है। सुखी गृहस्थ जीवन नारी के सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। यदि नारियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो सके और वह छोटे परिवार की उपादेयता को समझ सकें तो वह निश्चित ही पुरुष की अपेक्षा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अधिक समर्थ होंगी। बालक-बालिकाओं के विवाह भी उचित आयु में होंगे क्योंकि अपढ़ या कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को दूसरों की सन्तानों के सम्बन्ध में इधर-उधर की बातें करने में आनन्द आता है। शिक्षित महिलायें छोटे परिवार के संदेश को अपनी अन्य बहनों तक सरलता से पहुंचा सकती हैं तथा थोड़ी सूझ-बूझ से काम करने पर पुरुष की इच्छाओं को भी नियंत्रित करने में समर्थ हो सकती हैं। ग्रामीण महिलायें भी पंचायत, मजदूर संघ आदि के माध्यम से अपने पतियों को इस कार्यक्रम के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रोत्साहित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं तथा युवा संगठनों को भी स्त्रियों द्वारा प्रोत्साहन मिल सकता है। परिवार कल्याण विभाग में काम करने वाली महिलाओं की भूमिका तो इस दिशा में सराहनीय है ही, अन्य महिलायें भी उनसे लाभान्वित होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती हैं।

यदि स्त्रियां सीमित परिवार के निर्णय को एक स्वर में स्वीकार कर लें तो कोई कारण नहीं कि पुरुष प्रधान समाज में भी उनका यह निश्चय अडिग न रह सके। महिलाओं ने बड़े-बड़े आन्दोलनों में पुरुषों के कदम से कदम मिलाते हुये अपनी अपूर्व क्षमता का परिचय दिया है। आज वह अवसर आ गया है कि वह अपने व्यक्तित्व का समुचित मूल्यांकन करते हुए यह सिद्ध कर दे कि वह मात्र उपभोग की सामग्री नहीं अपितु सच्चे अर्थों में पुरुष की जीवन-संगिनी है। परिवार की सुख-समृद्धि हेतु सीमित परिवार उसकी आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है।

स्पष्ट है कि इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक समग्र क्रान्ति की आवश्यकता है जो वर्तमान परिवेश में अवश्यम्भावी है। यह भी सत्य है कि यह क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने हेतु नारी को कठिन अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि मानव जाति के कल्याण हेतु तथा भावी जीवन की सुख समृद्धि हेतु नारी को अबला के स्थान पर सबला बनकर न केवल अपने, समाज अथवा देश के अपितु सम्पूर्ण मानवता के हित में इस महान दायित्व का भार वहन करते हुए जन संख्या के नियंत्रण में अपनी निर्णायक भूमिका निभानी होगी।

'जन संख्या नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका'

श्रीमती कृष्णा कुमारी श्रीवास्तव,
शोध अध्यापक रा० शि० संस्थान,
उ० प्र० ,इलाहाबाद

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम बालक/बालिकाओं में वांछनीय तथा अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं--ज्ञान, कौशल, मान्यताएं तथा अभिवृत्तियों के क्षेत्र में ।

शिक्षा चाहे जिस स्तर की हो, उसे व्यक्ति, समाज व देश की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिये । शिक्षा का सम्बन्ध राष्ट्र की दीर्घकालीन आकांक्षाओं, विकास कार्यों तथा वर्तमान समस्याओं से होना आवश्यक है ।

आज हमारा देश जिन मुख्य समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें मुख्य हैं--खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्थायित्व, बेरोजगारी आदि, इन सब की जड़ में एक भारी समस्या है--जन संख्या विस्फोट । उपर्युक्त सभी समस्याओं के समाधान हेतु जो कदम उठाए जाते हैं, जो प्रयत्न किये जाते हैं वे जनसंख्या विस्फोट के कारण सफल नहीं हो पाते । अतः इसका नियंत्रण व नियोजन राष्ट्र के कल्याण हेतु अनिवार्य है जैसा कि ऊपर कहा गया है शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों में मनोवांछित अभिवृत्तियों का विकास कर सकते हैं, अतः हम इसके द्वारा ही जन संख्या वृद्धि का नियंत्रण करने में सफल हो सकते हैं ।

विगत वर्षों में इस समस्या के समाधान के अनेक कार्यक्रम,, बड़े पैमाने पर चलाये गये । सन्तान निरोध की अनेक सुविधाएं, सीमित परिवार रखने के प्रेरक कार्यक्रम चलाए गये, पर सफलता बहुत सीमित मिली । बल्कि कुछ कार्यक्रम जनता में लोक प्रिय हो ही न सके ।

आज केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं शहरी क्षेत्रों में भी इस समस्या के भयावह भविष्य की जितनी अनुभूति होनी चाहिये नहीं है । जन संख्या के आधार पर हमारे देश का विश्व में दूसरा स्थान है । भारत विश्व के उन देशों में है जहां लगभग सम्पूर्ण विश्व की जन संख्या का सातवां भाग निवास करता है । अर्थात् संसार के प्रत्येक सातवें मनुष्य में से एक भारतीय है ।

जन संख्या की वृद्धि इतनी तीव्र गति से हो रही है कि इसका प्रभाव देश के हर क्षेत्र पर पड़ेगा । देश की आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाने का खतरा है । गरीबी और अधिक बढ़ेगी ।

अतः जन संख्या विस्फोट से होने वाले अनेक खतरों और भीषण परिणामों से आम जनता को सावधान करना तथा इनसे बचने के उपायों से जनता को परिचित कराना हमारा परम कर्तव्य है ।

पर ये स्मरण रखना चाहिये कि समस्या चाहे सामाजिक हो अथवा आर्थिक उसका समाधान कानून पारित करने अथवा शक्ति के प्रयोग से सफल नहीं होता । जन संख्या विस्फोट की समस्या व्यक्ति, समाज व राष्ट्र सभी की है । पर मानव का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह ऊपर से लादी चेतावनी तथा कानून द्वारा लगाए नियमों से किसी परिवर्तन को सरलता से स्वीकार नहीं करती । हमारा देश विशेष रूप से सामाजिक परम्पराओं तथा कुरीतियों से इस प्रकार जकड़ा हुआ है कि इस बन्धन को सरलता से ढीला नहीं किया जा सकता ।

प्रगतिशील शिक्षित परिवार भी सन्तान की आकांक्षा रखते हैं, अतः भारत ऐसे देश में जहां परिपाटियां रीति रिवाज इतनी गहराई से लोगों के मस्तिष्क में गड़े हुए हैं, जन संख्या वृद्धि के भीषण परिणामों से देश को बचाने का एक प्रमुख समाधान शिक्षा है, जिसके द्वारा हम प्राथमिक स्तर से ही बालक-बालिकाओं के पटल पर इस समस्या की दुरूहता तथा भयंकर परिणामों की अनुभूति कराकर उनके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं । जिससे आगे चल कर वयस्क होने पर समाज व राष्ट्र के कल्याण के साथ अपने हित की बात समझ कर स्वयं ही सीमित परिवार रखें ।

यह तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चा जिस वातावरण तथा परिवेश में पलता है, जिन लोगों के संसर्ग में आता है ये सभी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और उसके मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं । केवल औपचारिक ही नहीं अनौपचारिक शिक्षा द्वारा भी जन संख्या नियोजन की शिक्षा देना सम्भव है ।

रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन सभी अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं, इनके द्वारा भी जनसंख्या नियोजन की शिक्षा दी जा सकती है और आज कल दी भी जा रही है । शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा बचपन से किशोर होने तक जनसंख्या नियंत्रण के महत्व की अनुभूति विद्यार्थी को कराई जा सकती है और उसके मन में यह विश्वास बैठाया जा सकता है कि परिवार सीमित रखना उसके हित में है ।

जनसंख्या शिक्षा सभी आयु तथा वर्ग के लिए आवश्यक है । गरीब, अमीर, ग्रामीण व शहरी सभी क्षेत्रों में इसकी जानकारी देनी आवश्यक है ।

शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा देने का मुख्य ध्येय विद्यार्थियों को जनसंख्या की तीव्रगति से वृद्धि का ज्ञान देकर सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में उनके प्रभाव की अनुभूति कराना है । विद्यार्थी जीवन में इसकी जानकारी मिलने से वे अपने भावी दामपत्य जीवन के दायित्व को समझेंगे और सन्तान उत्पत्ति के सन्दर्भ में सही कदम उठा सकेंगे ।

अतः वर्तमान परिस्थियों में यह अत्यधिक आवश्यक है कि सभी स्तरों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में जनसंख्या सम्बन्धी विन्दुओं का समावेश किया जाये, जिससे छात्र–छात्राओं में प्रारम्भ से ही वांछनीय अभिवृत्तियों का विकास हो सके और वे वयस्क होने पर पारिवारिक जीवन सम्बन्धी उचित निर्णय करने में तथा माता पिता के रूप में अपने दायित्वों का समुचित रूप से निर्वाह करने में सक्षम हो सकें ।

बच्चों के विकास के लिए प्राथमिक स्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है । इस स्तर का ज्ञान तथा अर्जित दृष्टिकोण एवं आदतें उसके भावी मानसिक भावात्मक व्यवहार की आधार शिला होती है। अतः बालक के शिक्षा सम्बन्धी मनोविज्ञान एवं उसकी अवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए जनसंख्या शिक्षा को इस स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अन्य विषयों के माध्यम से देना उचित होगा इसे बच्चों में सीमित परिवार तथा जनसंख्या नियंत्रण के प्रति अनुकूल अभिवृत्तियों का विकास करना संभव होगा ।

प्रारम्भ में यथासंभव, जनसंख्या शिक्षा बालक के निकटतम पर्यावरण, अभिरुचि एवं क्रिया–कलापों से सम्बन्धित कर प्रदान करना होगा तथा शनैः–शनैः अन्त में उसे इस योग्य बनाने का प्रयास करना होगा कि वह राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या समस्याओं के समाधान के लिए सही कदम उठा सके ।

किशोरावस्था मे दी गई शिक्षा का स्थायित्व रहता है । इस दृष्टिकोण से परमावश्यक है कि हाई स्कूल तथा माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या समस्या का ज्ञान देकर छात्रों को जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली गम्भीर समस्याओं से अवगत कराया जाय ।

अधिकांश छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर शिक्षा प्राप्ति का अन्तिम अवसर है क्योंकि सभी उच्च शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखते ।

इस स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित किए जाने चाहिये कि छात्रों में उन सामाजिक मूल्यों, प्रवृत्तियों एवं कौशलों का विकास हो जिससे वे सामाजिक क्रियाकलापों मे उचित रूप से भाग ले सकें । इस स्तर पर बालक के व्यक्तित्व की विशिष्टताओं को ध्यान में रख कर जनसंख्या शिक्षा के विन्दुओं का समावेश पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना उचित होगा । इस स्तर पर उनका शारीरिक, संवेगात्मक, एवं बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है, परिवार तथा परिवेश के प्रति उनका दृष्टिकोण तार्किक हो जाता है । परम्परागत विचारों तथा रीतियों के प्रति प्रश्नात्मक हो जाता है । वे शीघ्र निर्णय लेने तथा उसके कार्यान्वयन की स्थिति में होने हैं । व्यक्तियों तथा उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान होते हैं । पारिवारिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की इच्छा रखते हैं ।

अतः इस स्तर पर जनसंख्या नियोजन का उद्देश्य व महत्व उनके मस्तिष्क पर भली प्रकार प्रभाव डाल सकता है, वे इस स्थिति में होते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के मूल तत्वों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास–आवास के जटिलतर प्रत्यय तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसका परिणाम भली प्रकार समझ सकें ।

जनसंख्या शिक्षा को पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के साथ सम्बद्ध करके कक्षावार पढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है प्रत्येक विषय के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी विन्दुओं का समावेश करना होगा ।

जनसंख्या शिक्षा की पाठ्य वस्तु के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें अपने राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा बच्चों को जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के विषय में बताना होगा । जैसे देश में कितनी जनसंख्या है, किस गति से बढ़ रही है । देश की जनसंख्या देश के साधनों से कितनी कम है, इत्यादि ।

जनसंख्या शिक्षा के विषय को सर्वप्रथम अमेरिका के जनसंख्या विशेषज्ञ फिलिप एम होसर ने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था ।

इसके बाद (UNESCO) युनेस्को रीजनल कार्यालय ने इसे शिक्षा में स्थान देने की सिफारिश की थी । भारत में सन् 1969 में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के सहयोग में राष्ट्रीय स्तर पर एक गोष्ठी जनसंख्या शिक्षा पर आयोजित की थी । इस गोष्ठी में सभी लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों तथा शिक्षाविदो ने एक स्वर से जनसंख्या समस्या की शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी ।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में भी इसका एक कोष्ठ स्थापित है, जो राज्य स्तर पर इस सम्बन्ध में गोष्ठियां आयोजित कर शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से शिक्षा के हर स्तर पर इसका समावेश करने हेतु शिक्षण विन्दु व सामग्री तैयार कर रहा है । राज्य शिक्षा संस्थान उ0 प्र0, इलाहाबाद में हाल ही में इसका एक कोष्ठ स्थापित हुआ है, जो इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है ।

शिक्षा के पाठ्य विषयों का भार न बढ़ने पाये, इस दृष्टि से जनसंख्या शिक्षा को पृथक् विषय न बनाकर सम्बन्धित तथ्यों सम्बोधों तथा शिक्षण अधिगम विन्दुओं को प्रचलित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित विषयों की पाठ्य वस्तु के साथ समायोजित करना समीचीन माना गया है ।

अतः छात्रों की आवश्यकताओं, बौद्धिक स्तर, तथा ग्रहण क्षमता को दृष्टि में रखते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी पाठ विन्दुओं को विविध विषयों के अन्तर्गत समन्वित करने का कार्य जारी है ।

इन सभी तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज के दृष्टिकोण तथा जीवन के रहन–सहन तथा विचारों में वांछनीय परिवर्तन लाने की दिशा में एक प्रभावी और सशक्त माध्यम के रूप में शिक्षा का महत्व निर्विवाद है ।

अतः जनसंख्या के नियंत्रण का एक मात्र सफल समाधान शिक्षा ही है ।

भयानक बाढ़

श्रीमती सरला खन्ना एम० ए०, एल० टी० संगीत प्रवीण
शोध प्राध्यापक,
राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद ।

सरिता की भयानक बाढ़ सी,
जनसंख्या भारत की,
बढ़ती जा रही है ।

कितने ही डूब जायेंगे ।
कितने ही बह जायेंगे ।
कितनों के घर उजड़ जायेंगे ।

समस्यायें अनेक,
विकराल मुख फैलाकर,
खाने को दौड़ेंगी ।

क्या करेगा तू ?
रे मानव ?
कभी सोचा है कितना,
असहाय होता जा रहा है ?
अभावों की आँधी में,
निरुपाय होता जा रहा है ?
तन ढकने को,
साधारण से वस्त्र ।
दो मुट्ठी नाज,
क्षुधा मिटाने को ।
थोड़ी सी जमीन,
घर बनाने को ।

इतना भी नहीं कर पाते,
बहुत से जन ।
तड़प कर रह जाते,
भूखे प्यासे मन ।

मानवता कराह उठती है,
स्वार्थ अट्टहास करता है ।
पर शान्ति नहीं मिलती,
तरंगें आशा की टूट जाती हैं ।

यही है जीवन,
हंसता है मानव,
पर रोता है मन ।

फिर भी निराश मत हो,
काम ले धैर्य से।
सुधर सकती है दशा,
तनिक सूझ बूझ से।
छोटा परिवार,
बने सुख का आधार।
एक ही सन्तान,
किन्तु बने वह महान।
यही लक्ष्य मान,
यही तेरी शान।

दोनों हाथों से,
करता चल दान।
दया, क्षमा, करुणा,
और बन जा विद्वान।
मुक्त कंठ से गा दे,
मानवता का गान।

जनसंख्या भूगोल (Population Geography)

एक लघु परिचय

श्रीमती उषा सिन्हा

(प्रवक्ता—

जनसंख्या भूगोल--भूगोल के अध्याय में एक नवीन पहलू है। यद्यपि भूगोल वेत्ताओं ने सदा से ही जनसंख्या एवं पर्यावरण के सम्बन्ध का अध्ययन कर भूगोल के क्षेत्र को एक नयी दिशा प्रदान की है। बीसवीं शताब्दी में जब मानव अपनी प्रगति की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इस बात की आवश्यकता समझी गई की जनसंख्या के प्रमुख तत्व जैसे लिंग, भेद गठन, आवास-प्रवास और प्रभावकारी तत्वों का गहन अध्ययन किया जाय, इस कारण भूगोल वेत्ताओं ने जनांकिकी (Demography) के अध्ययन पर विशेष बल दिया। किन्तु भौगोलिक उपागम जनसंख्या विवरण के क्षेत्रीय ढांचे, संगठन, आवास-प्रवास और उत्पत्ति आदि के स्थल रूपों तथा संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है।

भूगोल और मानव--

काफी समय से मानव-भूगोल का सम्बन्ध एक विवाद का विषय रहा है पूर्वकाल में भूगोलवेत्ताओं का ध्यान केवल प्राकृतिक भूगोल की ओर अधिक था। यद्यपि मानव तथा प्रकृति का सम्बन्ध अटूट है फिर भी भूगोल के अन्य प्रमुख पक्षों की ओर ध्यान देना भी आवश्यक समझा गया। वर्तमान काल में प्रगतिवादी धारा का अभ्युदय हुआ जिसमें मानव भूगोल के अध्ययन का केन्द्र समझा गया। इस सम्बन्ध में इस विचारधारा का उदय फ्रान्स में सबसे पहले हुआ, जिसमें मानव, उसकी प्रक्रिया तथा वातावरण को अधिक प्रधानता दी गई इस विचारधारा के प्रमुख प्रति पादक वाइडल-डी-ला-ब्लाश, जीन्स ब्रुश तथा मेक्स मिलन सौरे थे। सन् 1953 में सर्वप्रथम ट्रिवार्था ने पापुलेशन ज्याग्राफी (जनसंख्या भूगोल) के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। ट्रिवार्था के अनुसार समष्टि की गुणवत्ता, संख्या एवं घनत्व ही भूगोल की वास्तविक पृष्ठभूमि है।

His view is that "numbers, densities, and qualities of the population provide the essentiai back ground for all geography"

समष्टि (Population) ही वह बिन्दु है जहां से भूगोल के सभी अंगों का अवलोकन किया जा सकता है। हानसून ने इस सम्बन्ध में एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को रखा उनके अनुसार भौगोलिक सार का सम्बन्ध पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित जनसंख्या तथा उसकी समस्याओं से है। हानसून के अनुसार

"Distribution of population acts as a master thread, wearing into a coherent pattern the otherwise disparate strands of the subjects and expressing its philosophical unity, particularly in the context of regional geography."

जनसंख्या भूगोल या जनसंख्या का भूगोल, दोनो का अर्थ एक ही है किन्तु इसके अध्ययन के क्षेत्र को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है :

(i) प्रकृति दत्त--जैसे जलवायु, पृथ्वी के धरातल की बनावट, खनिज जिसका आर्थिक दृष्टि से महत्व है, ऊपरी तथा अधोभौमिक जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा वनैला पशु जीवन आदि।

(ii) मानवीय कार्य--जैसे मनुष्य के भूमि पर रहने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई क्रियायें व जिनको मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न करता है तथा जोड़ता है। आबादी, घर, बस्तियां, आवागमन के साधन कृषि फार्म, कारखाने स्थापित करना या खनिज पदार्थ निकालना, ये सभी वस्तुयें भौतिक हैं और देखी जा सकती हैं।

मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, रचनात्मक कार्य करता है, जीविकोपार्जन के साधन जुटाता है आवास गृह बनाता है और आवागमन के साधन स्थापित करता है ये आर्थिक क्रियायें अपने में महत्वपूर्ण है। कुछ वस्तुएं प्राकृतिक के उत्पत्ति की हैं जिनको मनुष्य ने परिवर्तित किया है उदाहरणार्थ खेती की हुई भूमि ये पूर्ण रूप से न तो प्राकृतिक कहो जा सकती हैं न ही कृत्रिम।

मनुष्य की विचारधारा और जनजीवन दर्शन पर किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है।

जनांकिकी (Demography) की तरह जनसंख्या भूगोल (Population Geography) मूलत: संख्यात्मक है। अधिकतर यह संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करती है किन्तु दोनों का उपागम (approach) गुणात्मक हो

है । डेमोग्राफर का कार्य जनसंख्या के प्राकृतिक, बौद्धिक तथा चारित्रिक विशेषताओं को संख्यात्मक तत्वों से जोड़ना है, जबकि भूगोलवेत्ताओं का कार्य प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण के बीच अटूट सम्बन्ध स्थापित करना है । अतः भूगोल वेत्ताओं को जनांकिकी सम्बन्धी ज्ञान होना आवश्यक है ।

जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में पश्चिमी देश ट्रिवार्था के ऋणी हैं, जिन्होंने जनसंख्या भूगोल के सभी अंगों पर पूर्ण प्रकाश डाला तथा भूगोल के क्षेत्र में एक नये अध्याय का सूत्रपात किया । दिवार्था के पश्चात जेलिन्सकी का नाम आता है जिन्होंने जनसंख्या भूगोल के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है--

"we have every right to expect that population geography will shift from its present, rather peripheral standing to a commanding position within the discipline"

यद्यपि जेलिन्सकी को भी जबसंख्या भूगोल के क्षेत्र को सीमाबद्ध करने में कठिनाई हुई अतः उनके विचारानुसार जनसंख्या भूगोल वेत्ताओं को मानव की क्रियात्मक अभिरुचियों तथा चारित्रिक विशेषताओं को सूची बद्ध कर लेना चाहिए । उनका कहना है--

"Those appearing in the census enumeration schedules and vital registration system of the more statistically advanced nations.

मानवीय विशेवताओं को तीन वर्गों में रखा जा सकता है :

1--पूर्ण संख्या ।

2—(अ) भौतिक विशेषतायें--आयु, स्त्री, पुरुष (सेक्स) जाति, विकृति तथा ज्ञान ।

(ब) सामाजिक विशेषतायें, वैवाहिक स्तर, परिवार, परिवार के सदस्य, धर्म, राष्ट्रीयता, जातीय समूह ,

3—आर्थिक विशेषताएं--

(क) उद्योग, व्यवसाय, आय

(ख) जनसंख्या गतिकी (Dynamics)

ऊर्वरा शक्ति, मरणानुपात, प्रवसन तथा परिवर्तन ।

पश्चिमी देशों में जनसंख्या भूगोल के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जा रहा है किन्तु भारत में अभी इसका प्रारम्भ नहीं हुआ है । आज के युग में भूगोल की अवस्थाओं की आधुनिकतम उन्नति का विवरण उपस्थित करने में जनसंख्या भूगोल की सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि भूगोल में मानवीय शक्ति और कार्य ही अधिक महत्यपूर्ण हैं, इसके अभाव में विषय अपने महत्व को खो बैठता है । अतः जनसंख्या भूगोल विभिन्न प्रकार के मानव और उनकी संस्कृति का अध्ययन करने में सहायता करता है ।

जनसंख्या पर प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण

ब्रह्मानन्द शुक्ल,

प्रवक्ता,

राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश ।

बीसवीं शताब्दी की विश्व की महत्तम समस्या जनसंख्या वृद्धि है । जनसंख्या विस्फोट ने बड़े से बड़े प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों एवं विचारकों के मानस को उद्विग्न कर दिया है । हमारे देश में भी यह समस्या कम गंभीर नहीं है । वस्तुतः जिस गति से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 2000 ई० में भारत की जनसंख्या एक अरब हो जाएगी । वर्तमान जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 68 करोड़ है । इस भयंकर समस्या के कारण समस्त विकास योजनाएं आशानुरूप फल नहीं प्रदान कर पा रही हैं । इसलिए यदि इस समस्या पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण नहीं दिया गया तो देश भुखमरी, बेरोजगारी तथा विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा । इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की समस्या तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से कम गंभीर नहीं है । यह समस्या सम्पूर्ण देशवासियों, विचारकों, अर्थशास्त्रियों एवं विकासवादियों के लिए गम्भीर चुनौती है । यह तो हुई भारतवर्ष की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि की समस्या ।

इस संदर्भ में हमें भारत के अतीत पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है । प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण से मानवजीवन के चार पुरुषार्थ (लक्ष्य, उद्देश्य) थे–धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । सम्पूर्ण आयु लगभग 100 वर्ष की मानी जाती थी जिसके चार भाग थे––ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास । 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर विद्याध्ययन किया जाता था, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में विवाह कर लोग रहते थे । 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में निवास करते थे तथा 75 से 100 वर्ष तक या उसके बाद तक सन्यास आश्रम में रहते थे । इस प्रकार मनुष्य की पूर्ण आयु 100 वर्ष मानी जाती थी जैसाकि––जीवेम शरदः शतम्––हम 100 वर्ष तक जियें––इस वैदिक मंत्र से सिद्ध होता है ।

पुरुषार्थ चतुष्टय के अन्तर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं । धर्म का अर्थ अपने कर्तव्य का पालन होता है, अर्थ का अर्थ द्रव्योपार्जन, काम का अर्थ सन्तानोत्पत्ति एवं कामनाओं (इच्छाओं) की पूर्ति तथा मोक्ष का अर्थ अज्ञानता से मुक्ति । काम पुरुषार्थ हेतु विवाह एवं सन्तानोत्पत्ति का लक्ष्य रखा गया था । संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में लिखा है कि रघुवंशी (सूर्यवंशी) राजागण सन्तानोत्पत्ति हेतु गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे––प्रजायै गृहमेधिनाम् । मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा है जो पुंनामक नरक से त्राण (रक्षा) करे वही पुत्र है––पुंनाम्नो नरकात्त्रायते इति पुत्रः । इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में सन्तानोत्पत्ति और उसमें भी पुत्रोत्पत्ति मनुष्य अपने जीवन का प्रधान गृहस्थ धर्म समझता था । एक उपमा दी गयी है कि अर्धमात्रा के लाघव से भी वैयाकरण को उतनी प्रसन्नता होती है जितनी पुत्र के उत्पन्न होने पर अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम् मन्यन्ते वैयाकरण । इस कथन से पुत्रोत्पत्ति महान् सुख समझा जाता है । वेद में एक मन्त्र आया है––आत्मा वै जायते पुत्रः अर्थात् पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होती है । इसीलिए पुत्र के लिए 'आत्मज' शब्द का प्रयोग होता है और पुत्री के लिए आत्मजा, उपनिषदों के अनुसार मनुष्य की तीन इषणाएं (इच्छाएं) होती हैं––पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा । कहने का आशय यह है कि प्राचीन भारत में महान पुत्रोत्पत्ति ग्रहस्थ धर्म माना गया है । शूद्रक कृत 'मृच्छकटिक' नाटक में पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना माना गया है––शून्यम् पुत्रस्य गृहम् । इसीलिए भवभूति ने अपने 'उत्तर रामचरित' नाटक में लिखा है कि पति और पत्नी दोनों के अन्तःकरणों को एक आनन्द ग्रन्थि अपत्य (सन्तान) के रूप में बांधी जाती है क्योंकि उसमें दोनों का स्नेह केन्द्रित रहता है––

अन्तःकरण तत्वस्य दम्पत्योः स्नेह संश्रयात् ।

आनन्द ग्रन्थि रेकोऽयमपत्यमित्यति धीयते बध्यते ।। 3 । 17

संस्कृत साहित्य के आदिकाल (वैदिक काल) में ऋषि प्रार्थना करते हैं कि पुत्र स्वयं पिता बनें––पुत्रासो य पितरो भवन्ति । एक वैदिक उपाख्यान के अनुसार अगस्त्य ऋषि को उनके पितरों ने बहुत डाटा और उन्हें वंश चला एवं पिन्डदान हेतु विवाह करने हेतु विवश किया तब उन्होंने लोपामुद्रा से विवाह किया ।

सृष्टि के आदि में लोक पितामह ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किये जो महर्षि एवं प्रजापति कहलाये जिनके नाम हैं––मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतस (दक्ष) बशिष्ठ, भृगु और नारद जिसमें नारद को छोड़कर नवों पुत्रों ने विवाह कर गृहस्थ धर्म (प्रवृत्ति मार्ग) का निर्वाह किया । नारद निवृत्ति मार्गी (सन्यास) परायण, थे उन्होंने विवाह नहीं किया और उन्होंने देवमाया के वशीभूत होकर जब विवाह की इच्छा की तो विष्णु द्वारा उन्हें बंदर का स्वरूप देकर उन्हें उस मार्ग से विरत किया गया । पुराणों एवं श्री राम चरितमानस के अनुसार स्वयंभू मनु और शतरूपा से मानवीय सृष्टि हुई है––

स्वायंभू मनु अरु शतरूपा । जातें भई नरसृष्टि अनूपा ।।

यह बात व्याकरण की दृष्टि से, मनुष्य, मनुज और मानव शब्दों का विवेचन करने पर सिद्ध होती हैं। मनुष्य, मनुज और मानव तीनों शब्द मनु शब्द से बने हैं जिनका निर्वचनात्मक अर्थ हुआ मनु की सन्तान।

ब्रह्मा के प्रथम पुत्र मरीचि से कश्यप ऋषि हुए। महाभारत में व्यास जी ने लिखा है कि कश्यप ऋषि से ही यह सारी प्रजाएं हुई हैं—कश्यपात् इमे प्रजाः। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं—दिति और अदिति। दिति से सम्पूर्ण दैत्य (दानव) वंश उत्पन्न हुए तथा अदिति से सूर्य और सम्पूर्ण देवगण उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए जो संख्या में 12 हैं। सम्पूर्ण सूर्यवंश कश्यप ऋषि से ही उत्पन्न हुआ। कश्यप से सूर्य और सूर्य से मनु उत्पन्न हुए। एक वैदिक मंत्र के अनुसार अदिति ही आकाश, अन्तरिक्ष कहलायीं, अदिति ही माता, वही पिता तथा वही पुत्र कहलायी, सम्पूर्ण देवगण तथा पंचजन अदिति से ही उत्पन्न हुए, जो कुछ संसार में उत्पन्न हुआ है और आगे जो उत्पन्न होगा वह सब अदिति से उत्पन्न हुआ समझो—

अदिति द्यौरदितिरंतरिक्षं,

अदितिर्माता स पिता स पुत्रः।

विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिः,

जातमदितिजनित्वम् ॥

ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र अत्रि से सम्पूर्ण चन्द्रवंश उत्पन्न हुआ। अत्रि के तीन पुत्र हुए चन्द्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा इनकी पत्नी का नाम था अनसूया जो महान प्राचीन सती नारी हैं। चन्द्रमा से ही सम्पूर्ण चन्द्रवंश उत्पन्न हुआ। चन्द्रमा से बुध और बुध से पुरुरवा तथा आगे चलकर दुष्यन्त, भरत तथा सम्पूर्ण भरतवंश अर्थात् कौरव एवं पाण्डव लोग उत्पन्न हुए।

सूर्यवंश में सर्वाधिक प्रतापी राजा इक्ष्वाकु, दिलीप रघु, अज, दशरथ एवं राम हुए तथा चन्द्रवंश में सर्वाधिक प्रतापी राजा दुष्यन्त, भरत, कौरव, पाण्डव, यदु, विष्णु आदि हुए। राम के कुश और लव दो पुत्र हुए। लक्ष्मण के अंगद और चित्रकेतु दो पुत्र हुए। भरत के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघन के सुबाहु और श्रुतसेन। इन चारों भाइयों की सन्तति परम्परा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार किया है—

दुइ सुत सुन्दर सीता जाए। लवकुश वेद पुरानन्ह गाए।

दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे। भए रूप गुन सील घनेरे ॥

चन्द्रवंशी दुष्यन्त पुत्र भरत महान पराक्रमी हुआ जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। चन्द्रवंशोत्पन्न श्रीकृष्ण तो साक्षात् भगवान कहलाये। उनके भी दो पुत्र हुए प्रद्युम्न तथा साम्ब। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए।

इस प्रकार प्राचीन भारत पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर हमें ज्ञात होता है कि कम सन्तानें जिनके हुई हैं उनकी सुख समृद्धि एवं पराक्रम का वर्णन इतिहास में अधिक है। वहीं पर जिनके अधिक सन्ताने हुई हैं वे कुल सब प्रकार से नष्ट प्राय हो गये उदाहरणार्थ वैदिककाल में वसिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र हुए जिन्हें विश्वामित्र ने मार डाला। कश्यप ऋषि की दो और पत्नियां थीं। जिनका नाम कद्रू और विनता था। कद्रू से 1000 सर्प उत्पन्न हुए जिनमें वासुकि और शेष प्रधान हैं। वे हजार सर्प एवं नाग संसार के लिए दुःखप्रद हुए। दूसरी पत्नी विनता से दो पुत्र हुए अरुड़ और गरुड़ जो महान पराक्रमी सिद्ध हुए तथा मातृ-पितृ यश की वृद्धि करने वाले हुए। अरुण सूर्य के रथ के सारथी हुए तथा गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हुए। इसी लिए कहा गया है कि हजार मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक भी गुणी पुत्र होना अच्छा है। नक्षत्र खचित आकाश में मात्र चन्द्रोदय से सारे संसार में प्रकाश आ जाता है न कि तारों से—

वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खशतान्यपि।

एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि ॥

आशीर्वचन के रूप में प्राचीनकाल में पुत्रवान् भव—पुत्रवान् हो का आशीर्वाद दिया जाता था न कि बहु पुत्र वान् भवः।

महाभारत काल में राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए जो अत्यन्त अत्याचारी हुए। उन्हीं के भाई पाण्डु के 5 पुत्र हुए जो धर्मनिष्ठ एवं सत्यपरायण हुए। सत्य एवं धर्म मार्ग में रहने के कारण उनके साथी श्रीकृष्ण हुए। श्रीकृष्ण की मध्यस्तता करने पर भी दुर्योधनादि अन्यायी लोगों ने अपने परिवार के पाण्डवों युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को राज्य का भाग नहीं दिया—यहां तक कि 5 गांव तो दूर रहा दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। फलतः महाभारत युद्ध हुआ जिनमें कौरवों और पाण्डवों में घोर युद्ध संग्राम हुआ। दुर्योधन आदि 100 भाई तथा उनके पक्ष के सभी अन्यायी लोग मारे गये तथा पाण्डवों की विजय हुई। पाण्डवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे।

पाँचों पाण्डवों के एक-एक पुत्र हुए। युधिष्ठिर के प्रतिविन्ध्य, भीम के श्रुतसेन, अर्जुन के श्रुतकीर्ति, नकुल के शतानीक तथा सहदेव के श्रुतकर्मा हुए। अर्जुन के सुभद्रा से अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु के परीक्षित एवं परिक्षित से जनमेजय हुए। उन्हीं से भरतवंश आगे चला। अभिमन्यु की वीरता इतिहास प्रसिद्ध है। पाण्डवों के गुरु द्रोणाचार्य के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। वह महान धनुर्धर हुआ।

ब्रह्मा के तृतीय पुत्र अंगिरा ब्रह्मर्षि हुए। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति हुए जो देव गुरु कहलाए। ब्रह्मा के चतुर्थ पुत्र पुलस्त्य थे जिनसे विश्रवा ऋषि उत्पन्न हुए। विश्रवा से रावण उत्पन्न हुआ जिसने तीनों लोकों को अपने पराक्रम से वश में कर लिया था और राम द्वारा मारा गया। ब्रह्मा के पंचम पुत्र पुलह एवं छठे पुत्र क्रतु से सम्पूर्ण वक्ष और राक्षस वंश उत्पन्न हुआ। सप्तम पुत्र प्राचेतस (दक्ष प्रजापति) से सती कन्या का जन्म हुआ जिसका विवाह भगवान शंकर से हुआ। अष्टम पुत्र वशिष्ठ महान वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, एवं ज्ञानी हुए तथा सम्पूर्ण सूर्यवंशी नरेशों के कुलगुरु हुए। वसिष्ठ के 100 पुत्र हुए जो विश्वामित्र राजर्षि द्वारा युद्ध में मारे गये। वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति थे जिनके पुत्र पराशर ऋषि हुए। पराशर से व्यास हुए एवं व्यास से शुकदेव जी जो जीवन्मुक्त थे और एक सप्ताह में भागवत कथा सुनाकर परीक्षित को मोक्ष प्रदान किया।

ब्रह्मा के नवम् पुत्र भृगु ऋषि हुए जो महान तेजस्वी हुए और त्रिदेवों की परीक्षार्थ भगवान विष्णु के वक्षस्थल में अपने चरण से प्रहार किया। भृगु से शुक्राचार्य उत्पन्न हुए जो दैत्यों के गुरु कहलाये। शुक्राचार्य के पास सन्जीवनी विद्या थी अर्थात् मृत व्यक्ति को भी जिला देने की शक्ति थी। आगे चलकर इस भृगु वंश में जमदग्नि ऋषि हुए और जमदग्नि से परशुराम हुए जो 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं जिनका जनक जी की सभा में धनुष-यज्ञ के समय राम और लक्ष्मण से प्रसिद्ध एवं रोचक संवाद हुआ है।

ब्रह्मा के दशम् पुत्र नारद हुए जो देवर्षि कहलाये तथा भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। ये निवृत्ति-मार्गी हैं अर्थात् इन्होंने गृहस्थ धर्म नहीं स्वीकार किया। अतः उन्होंने विवाह नहीं किया।

इस प्रकार भारतीय धर्म ग्रन्थों के अनुसार निर्गुण ब्रह्मा की इच्छा "एकोहं बहु स्याम" में एक से अनेक हो जाऊं--से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश हुए। विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए इसलिए कमलासन कहलाये। ब्रह्मा से ही रुद्र (शंकर) उत्पन्न हुए और दक्ष आदि प्रजापति जिससे सम्पूर्ण मानवीय सृष्टि हुई। इसीलिए ब्रह्मा जी को लोकपितामह कहा जाता है। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवों (प्राणियों) की 84 लाख योनियां मानी गयी हैं तथा 4 श्रेणियां--उद्भिज, स्वेदज जरायुज और अण्डज। उद्भिज का अर्थ है धरती के भीतर उत्पन्न होने वाले, जीव, स्वेदज का अर्थ है पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव, जरायुज का अर्थ है झिल्ली से उत्पन्न होने वाले जीव तथा अण्डज का अर्थ है अण्डों से उत्पन्न होने वाले जीव।

सम्पूर्ण मानवीय तथा अन्य जीवों की सृष्टि में भी जन्म के साथ-साथ मृत्यु का क्रम शाश्वत है। जो उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अवश्य नष्ट होगा--यह प्रकृति का नियम ध्रुव सत्य है। सम्पूर्ण उपनिषदों के सार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है--

'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः"--गीता

इसी प्रकार प्रकृति का एक यह भी नियम है कि जिस परिवार में अधिक सन्तानें हुई हैं उनमें अधिकांश व्यसनी, दुर्गुणी तथा अन्यायी हुई हैं तथा जहां कम सन्तानें हुई हैं वे अपेक्षाकृत गुणयुक्त हुई हैं। रावण ने अपने विशाल परिवार को देखकर इतना अत्याचार किया कि लोक-रावण अर्थात् सम्पूर्ण संसार को रुलाने वाला हो गया। उदाहरणार्थ एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि जिस रावण के एक लाख पुत्र और सवा लाख नाती थे उसके वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा--"एक लाख पूत सवा लाख नाती। ता रावण घर दिया न बाती।" यह तो हुई त्रेता युग की बात। द्वापर युग में जहां राजा शान्तनु के भीष्म पितामह ऐसे लोक विख्यात अखण्ड ब्रह्मचारी परमवीर पुत्र हुए वहीं उसी कुल में राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो महान अत्याचारी हुए जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें असंख्य आततायी लोगों का संहार हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति कभी भी अधिक सन्तानों के पक्ष में नहीं रही है और न ही हमारे प्राचीन भारतीय धर्मग्रन्थ ही, बल्कि अधिक सन्तानों के प्रजनन की हमारे शास्त्रों ने आलोचना एवं निन्दा की है। विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में कहा गया है कि अधिक सन्तान वाला व्यक्ति घोर कष्टों का अनुभव करता है--

बहुप्रजा निर्ऋतिमा विवेश--

ऋग्वेद संहिता 1/164/32

वेद के छः अंग हैं--शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द और व्याकरण, यास्ककृत निरुक्त वेदांग में भी कहा गया है कि बहु सन्तानों वाले मनुष्य का जीवन कष्टमय बीतता है ऐसा--परिव्राजकों (सन्यासियों) का कथन है--

बहुप्रजाः कृच्छ्रमापद्यते इति पारिव्राजकाः।

निरुक्त--2--8

प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय पुराणेतिहास ग्रन्थ 'महाभारत' में व्यास जी ने लिखा है कि बहुत सन्तानों का होना दरिद्रता का लक्षण है--

बहुपत्यं दरिद्रता ।

कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय राजनीति एवं अर्थशास्त्र ग्रन्थ में लिखा है कि दरिद्रता मनुष्य का जीवित मरण है —

दारिद्रयं खलु पुरुषस्य जीवितं मरणम् ।

ऊपर उद्धृत किसी भी उद्धरण से प्राचीन भारत में अधिक सन्तानोत्पत्ति की प्रेरणा नहीं मिलती बल्कि बहुसन्तान प्रजनन की निन्दा की गयी है । आश्चर्य है कि हमारे आधुनिक भारतीय समाज में यह भ्रम कैसे व्याप्त है कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रन्थों एवं शास्त्रों, वेदों और पुराणों में ऋषियों-मुनियों एवं हमारे पूर्वजों ने बहु सन्तानोत्पत्ति की प्रेरणा दी है और उसे उत्साहित किया है । उपर्युक्त विवेचन से यह भ्रान्ति सर्वथा निर्मूल सिद्ध हो जाती है और हमें यह ज्ञात होता है कि प्राचीन कालीन भारतीय मनीषियों ने कम संतान वाले लोगों, परिवारों एवं वंशों की प्रशंसा की और प्रोत्साहित किया है कि योग्य पुत्र पुत्रियों से युक्त छोटे परिवार बड़े परिवारों की तुलना में समाज एवं संसार के लिए अधिक हितकर सिद्ध होते हैं । इस दिशा में पंतजलि मुनि कृत योगशास्त्र एवं व्यासकृत महाभारत के अंश भगवत्गीता ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन अष्टांग योग साधनों के प्रतिपादन द्वारा अधिक लोक-कल्याण किया है ।

———

जनशक्ति एवं देश का विकास

श्रीमती गीता यादव,

शोध प्राध्यापक,

रा० शि० सं०, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

आधुनिक युग विकास का युग है । विकास की दौड़ में सभी देश होड़ लगाये हुये हैं । किसी भी देश का विकास उस देश के आर्थिक विकास से आंका जाता है । आर्थिक विकास उसके उत्पादन से प्रभावित होता है क्योंकि उत्पादन पर ही उस राष्ट्र की आय निर्भर करती है और जो देश उत्पादन में अपनी मानव-शक्ति अर्थात् जन-शक्ति का जितना अच्छा उपयोग करता है वह देश उतना ही आर्थिक विकास में आगे बढ़ता है ।

उत्पादन चाहे कृषि क्षेत्र में हो अथवा अन्य उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में--उसके लिये पांच साधनों की आवश्यकता पड़ती है (1) भूमि, (2) श्रम, (3) पूंजी, (4) प्रबन्ध एवं (5) उद्यम ।

उत्पादन के ये पांचों साधन मानव-शक्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । श्रम, पूंजी प्रबन्ध एवं उद्यम उत्पादन की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य से सम्बन्धित है ही किन्तु भूमि से भी वह विशेष रूप से सम्बन्धित है । भूमि का प्रयोग मानव दो रूपों में करता है । प्रथम तो आवास हेतु तथा दूसरे उत्पादन हेतु । अतः दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि एवं जनसंख्या में एक निश्चित अनुपात होना आवश्यक है । प्रत्येक देश के पास भूमि सीमित है । अतः उस पर निर्भर जनसंख्या भी सीमित ही होनी चाहिए । यदि उस सीमा से अधिक जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आवास हेतु भूमि का और अधिक भाग निकल जाता है तथा उत्पादन हेतु भूमि कम हो जाती है । फलस्वरूप उत्पादन घट जाता है । इसके अतिरिक्त शेष भूमि पर निर्भर होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ जाती है जिससे खाने वालों की संख्या में वृद्धि के कारण देश की खाद्य-समस्या प्रभावित होती है । ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थों एवं अन्य उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है जबकि वस्तुओं के उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि न होने से पूर्ति कम होती है । फलतः वस्तुओं के मूल्य ऊंचे होने लगते हैं जिसका मुद्रा-स्फीति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है ।

जनसंख्या में वृद्धि से कार्य करने योग्य व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि होती है । देश खाद्य सामग्री की व्यवस्था में ही लगा रहता है जिसके कारण वह जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में उद्योग-धन्धों में पूंजी के विनियोग में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं होता । जब कि द्रुत जनसंख्या वृद्धि के अनुसार ही पूंजी विनियोग भी आवश्यक होती है । यदि जनसंख्या में वृद्धि एक प्रतिशत होती है तो मनुष्यों को अधिक सुविधाएं देने तथा उद्योगों में वृद्धि आदि के लिए यह आवश्यक है कि उस देश में कम से कम 3 प्रतिशत पूंजी का विनियोग बढ़े । इसी भांति जनसंख्या में 2 प्रतिशत की वृद्धि के लिये विनियोग में 6 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है । जनसंख्या वृद्धि के कारण चूंकि आवश्यक मात्रा में पूंजी-विनियोग सम्भव नहीं हो पाता, अतः देश का आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता और वह अपने राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं कर पाता । निम्नांकित तालिका संख्या 1 से विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट होती है :

तालिका संख्या---1

विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति

देश	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में लगभग)
अमेरिका	24,500
स्विटजरलैण्ड	16,500
कनाडा	15,500
डेनमार्क	14,000
पश्चिमी जर्मनी	13,000
जापान	6,000
यूनाइटेड रिपब्लिक	1,700
श्रीलंका	1,100
भारत	800
नेपाल	600

प्रति व्यक्ति आय में कमी आने से साधारण नागरिक का स्वास्थ्य खराब होता है । उसकी कार्य करने की शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता में कमी आती है । इसका प्रभाव देश के उत्पादन पर पड़ता है । उत्पादन गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दृष्टि में अपेक्षाकृत कम होता है । देश में उत्पादन कम होने से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है । देश के आर्थिक विकास का यह महत्वपूर्ण चक्र है । जो देश आर्थिक रूप से जितना पीछे होगा उसकी प्रति व्यक्ति आय उतनी ही कम होगी ।

संसार के सबसे कम आय वाले दस देशों की प्रति व्यक्ति आय (वार्षिक) तालिका संख्या--2 में दर्शायी गई है :--

तालिका संख्या--2

संसार के सब से कम आय वाले दस देशों की प्रति व्यक्ति आय की स्थिति

(1981)

देश	प्रति व्यक्ति आय	
	डालर	रुपये
भूटान	80	729·60
बंगलादेश	90	810·80
चाड	100	912·00
इथोपिया	130	1,175·60
नेपाल	130	1,175·60
माली	140	1266·80
बर्मा	160	1,449·20
अफगानिस्तान	170	1,600·40
अपर वोल्टा	180	1,641·60
भारत	190	1,732·80

(वर्ल्ड बैंक की सूचना पर आधारित । यदि 1 डालर=912 रुपये)

किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उस देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है । राष्ट्रीय आय पर जनसंख्या वृद्धि तथा उसमें विभिन्न वय-वर्गों के अनुपात का प्रभाव पड़ता है । इस दृष्टि से जनसंख्या को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है--उत्पादक वर्ग तथा उपभोक्ता वर्ग । दूसरे शब्दों में हम इन्हें 'क्रियाशील' तथा 'निर्भर' वर्ग भी कह सकते हैं । उत्पादक वर्ग पर उपभोक्ता वर्ग आश्रित रहता है। सामान्य 15-59 वय-वर्ग के लोग उत्पादक वर्ग में कहे जाते हैं तथा 0-14 तथा 60 से ऊपर वय के लोग उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं । किसी देश की वास्तविक जन-शक्ति या लेबर फोर्स 15-59 वय-वर्ग के लोग ही होते हैं । निम्नांकित तालिका सं0--3 से संसार के विभिन्न देशों की जनसंख्या की स्थिति विभिन्न वय-वर्गों के अनुसार स्पष्ट है :--

तालिका संख्या--3

देश	जनगणना का वर्ष	वय-वर्गों के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत		
		0-14	15-64	65+
पश्चिमी जर्मनी	1960	21·7	67·7	10·6
डेनमार्क	1960	25·2	64·2	10·6
जापान	1956	42·2	53·8	4·0

देश	जनगणना का वर्ष	वय-वर्गों के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत		
		0–14	15–64	65+
उत्तरी अमेरिका	1961	31·4	59·3	9·3
कनाडा	1961	33·6	58·7	7·7
इटली	1960	24·7	76·1	9·2
श्रीलंका	1955	40·7	57·4	1·9
यूनाइटेड अरब रिपब्लिक	1960	42·7	53·8	3·5
पाकिस्तान	1961	44·5	43·9	11·6
फिलीपीन्स	1960	45·7	51·6	2·7
भारत	1961	41·0	55·9	3.1

उक्त वय-वर्गों की जन-संख्या का अनुपात इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कार्य करने वाली जनसंख्या बढ़ रही है अथवा निर्भर श्रेणी की जनसंख्या, यदि उत्पादक वर्ग का अनुपात देश की कुल जनसंख्या में अधिक है तो जनशक्ति की दृष्टि से देश धनी कहा जायेगा। निम्नांकित जनसंख्या-पिरेमिड सं0 1 से भारत एवं जनसंख्या-पिरेमिड सं0 2 से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या-स्थिति, आयु एवं लिंग के अनुसार स्पष्ट है :—

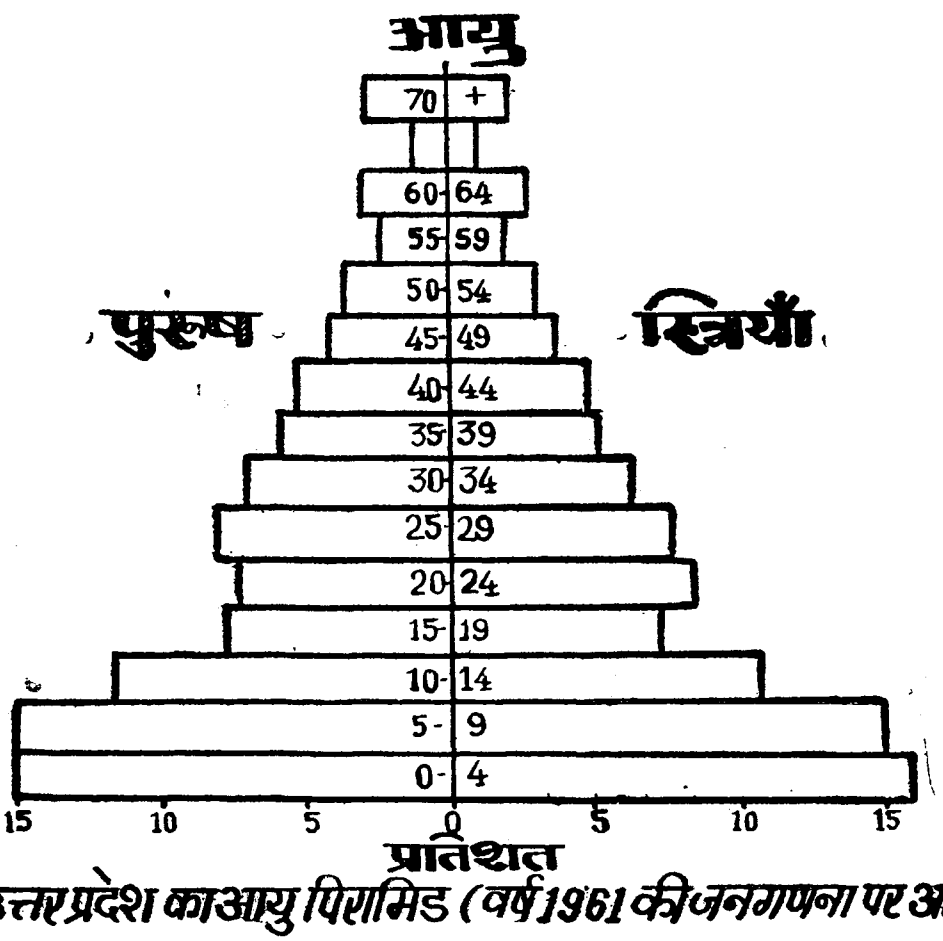

उत्तर प्रदेश का आयु पिरामिड (वर्ष 1961 की जनगणना पर आधारित)

चित्र सं0 1

भारतवर्ष की 1971 की जनगणना के आधार पर आयु पिरामिड

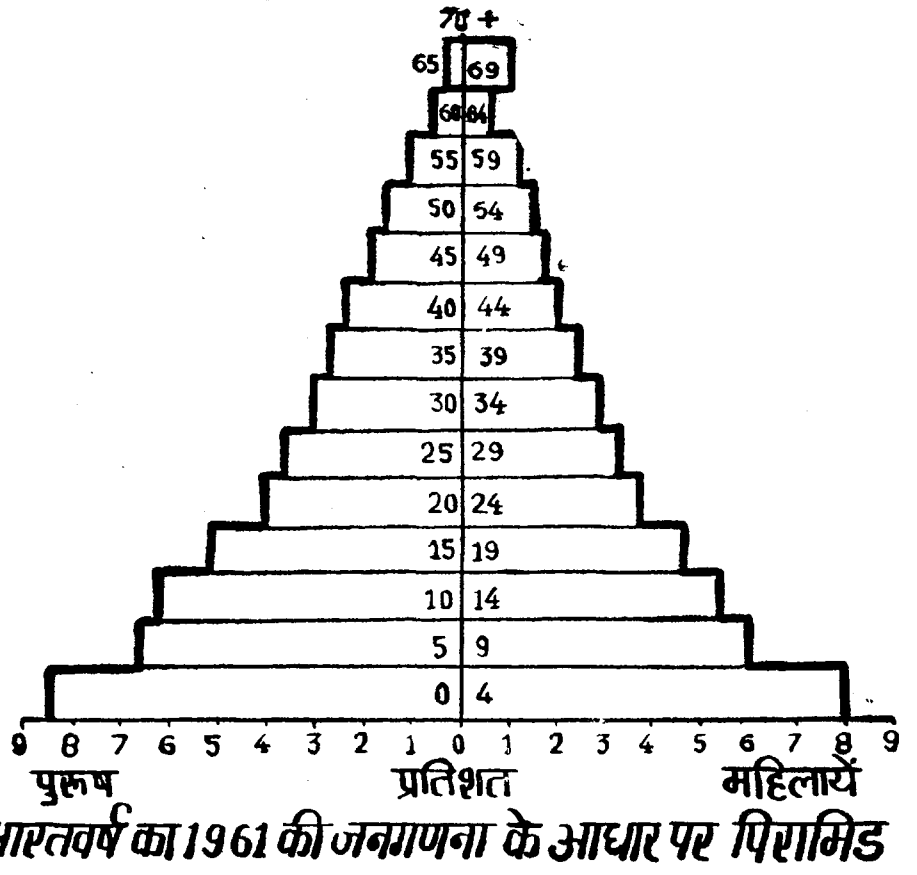

चित्र सं0 2

उत्तर प्रदेश की 1961 की जनगणना के आधार पर आयु पिरापिड

उत्पादक वर्ग का कुल जनसंख्या में अनुपात अधिक होने के साथ-साथ देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि कार्यशील जन-शक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार की उचित व्यवस्था भी हो। विभिन्न वय-वर्गों के अनुसार भारत की जनसंख्या की स्थिति विभिन्न वर्षों में निम्नवत् थी --

तालिका संख्या—4

वय-वर्ग के अनुसार भारत की जनसंख्या का वितरण

वय-वर्ग	1931	1961	1971
0–14	15·85	16·53	15·07
5–9	13·04	13·22	13·74
10–14	11·63	11·33	11·94
15–19	9.11	9·20	9·05
20–24	9·43	8·66	8·30
25–29	8·62	7·82	7·51
30–34	7·72	6·92	6·70
35–39	6·19	5·07	5·84
40–44	5·26	4·93	4·97
4 –49	4·07	4·12	4·11
50–54	3·24	3·33	3·31

वय–वर्ग	1931	1961	1971
55–59	2·29	2.61	2.61
60–64	1·86	1·93	1 99
65+	2·17	2·92	3·15
	100	100	100

उपर्युक्त तालिका के अनुसार 1971 में 15 से 60 वर्ष की आयु के लोग देश में उत्पादन का कार्य कर सकने वाले पुरुष तथा महिलाओं का प्रतिशत 54 है तथा 0–14 तथा 60 से ऊपर की आयु के लोगों का प्रतिशत 46 है। इस संख्या का सम्पूर्ण भार 54% लोगों पर है। यह हमारी जनशक्ति है। यह संख्या कार्य कर सकने वाले लोगों की है परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि इस संख्या का कुछ भाग ही रोजगार में लगा हुआ है। वर्ष 1971 की ही जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या के केवल 33 प्रतिशत लोग रोजगार में लगे थे। इसमें से लगभग 52 प्रतिशत पुरुष तथा लगभग 32 प्रतिशत स्त्रियां हैं। रोजगार पर लगे पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कहीं अधिक है जैसा कि तालिका सं० 5 से पता चलता है। स्त्रियां अधिकतर घर के कामों में हाथ बंटाती हैं।

तालिका संख्या––5

जन–शक्ति, लिंग एवं आवास–क्षेत्र की दृष्टि से (रोजगार में लगी हुई जनसंख्या) (1971)

लिंग	रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)			रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
पुरुष	120·4	28·7	149·1	53·5	48·8	52·5
महिला	28·0	3·3	31·3	13·1	6·6	11.9
योग ..	148·4	32·0	180·4	63·8	29·3	32.9

उपर्युक्त तालिका के अनुसार हमारे देश में 1971 में रोजगार में लगे हुये लोगों की कुल संख्या 180·4 लाख थी। इस संख्या में उपभोक्ता श्रेणी के भी कुछ सम्मिलित हैं क्योंकि 15 वर्ष से कम आयु वाले 10·7 लाख बच्चे तथा 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले 14·1 लाख वृद्ध भी रोजगार में लगे थे। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक है।

क्रियाशील लोगों की संख्या के साथ–साथ उनकी क्रियाशीलता दर भी देश के उत्पादन को प्रभावित करती है। सामान्यतः 20–60 वय–वर्ग में अन्य वय–वर्गों की अपेक्षा कार्यशीलता दर ऊंची होती है। इसी प्रकार पुरुषों तथा महिलाओं की कार्यशीलता–दर में काफी अन्तर होता है। पुरुषों की कार्यशीलता दर 98 प्रतिशत तक पहुंची है जबकि महिलाओं में किसी भी वय–वर्ग में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं पहुंच सकी है। निम्नांकित तालिका संख्या 6 से इस तथ्य की पुष्टि होती है :––

तालिका संख्या––6

क्रियाशीलता दर–आयु, लिंग तथा आवास की दृष्टि से

आयु	ग्रामीण		शहरी		योग	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
0–15	7·5	3·0	2·8	0·8	6·6	2·6
15–20	62·1	18·4	33·1	5·5	52·2	15·5

आयु	ग्रामीण		शहरी		योग	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
20–25	86·3	20·2	67·4	9·5	81·3	17·9
25–30	95·3	21·8	90·5	11·6	94·2	19·7
30–40	97·6	23·4	95·5	13·1	97·1	21·4
40–50	97·6	24·1	95·2	14·5	97·1	22·4
50–60	95·5	20·8	87·9	12·7	94·0	19·4
60+	77·4	11·3	55·4	6·4	73·8	10·5

शिक्षित एवं प्रशिक्षित जनशक्ति का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे देश में शहरी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त है। इनके लिये रोजगार की अनेक सम्भावनायें उपलब्ध है फिर भी बेरोजगारी की समस्या विकराल होती जा रही है। शिक्षित एवं प्रशिक्षित जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत बेरोजगार है। (तालिका सं0 8) दूसरी ओर ग्रामीण जनशक्ति के अनुपात मे कृषि–भूमि पर्याप्त नहीं है, जिससे रोजगार की तलाश में उनका नगरों की ओर पलायन स्वभाविक है। इन सब को रोजगार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में दबाव बढ़ता जा रहा है।

तालिका सं0 7

स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगारों का प्रतिशत 1971

विषय	स्नातक	स्नातकोत्तर
1	2	3
कृषि	13·3	7·3
पशु विज्ञान	6·7	1·5
औषधि	5·3	2·0
इंजीनियरिंग एवं तकनीकी	11·5	4·6
विज्ञान (उपर्युक्त को छोड़कर)	19·2	10·1
कला	15·1	10·4
वाणिज्य	16·4	7·1

जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में बेरोजगार लोगों की संख्या में भी वृद्धि होती जाता है। इस से देश के विकास में देश की सम्पूर्ण जन–शक्ति का यथोचित योगदान नहीं हो पाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 1974 में कुल 3 करोड़ जनसंख्या बेरोजगार थी। इस संख्या में लगभग 70 लाख बेरोजगार लोगों की संख्या प्रति वर्ष जुड़ती जा रही है। जब कि हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार एवं उद्योगों की संख्या में दिन–प्रति–दिन वृद्धि कर रही है।

इसी भांति विश्व में 1970 में 50 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार की आवश्यकता थी, जो 1980 में बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई। विश्व की जनशक्ति का 2/3 भाग विकासशील देशों में बसा हुआ है। मृत्यु–दर में कमी तथा उसी अनुपात में जन्म–दर में कमी न आने के कारण उक्त अनुपात बढ़ता ही जा रहा है। विकासशील देशों में निर्भर–जनसंख्या का अनुपात भी बहुत अधिक है। इस प्रकार रोजगार में लगी जनशक्ति पर बोझ अधिक है। फलस्वरूप रोजगार में लगे व्यक्तियों पर आर्थिक तनाव बना रहता है। इन सब का प्रभाव उनके जीवन–स्तर पर पड़ता है। प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि न होने से जीवन–स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है। परिणाम–स्वरूप देश के राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ता है और आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है।

अन्त में निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि भूमि और जनसंख्या में निश्चित अनुपात बनाये रखने, जनसंख्या में क्रियाशील (लेबर–फोर्स) लोगों को रोजगार की व्यवस्था करने तथा प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करने से ही जीवन–स्तर ऊंचा होता है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय ही देश के विकास का आधार है। जनसंख्या में वृद्धि से निर्भर जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। देश के विकास के लिए उत्पादक वर्ग की महती भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान गति पर रोक लगायें निस्सन्देह इस दिशा में तर्कपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। देश के विकास के विभिन्न पक्षों को समझने एवं उचित निर्णय को लेने में जनसंख्या–शिक्षा हमारी सहायता करती है।

जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

कुमारी इन्दिरा खन्ना

वरिष्ठ शोध प्राध्यापक

रा० शि० सं० उ० प्र०, इलाहाबाद

पृथ्वी पहले से छोटी नहीं हुई यह कभी पहले से बड़ी भी न होगी। हमारी पृथ्वी का पृष्ठ हमारे महान गोले का धरातल 50 करोड़ वर्ग किलो मीटर से अधिक फैला हुआ है। लगभग 70 प्रतिशत समुद्र हैं और सिर्फ 30 प्रतिशत स्थल हैं। स्थलीय धरातल का 2/5 भाग रेगिस्तान और बर्फ हैं लगभग ढाई लाख वर्ष पहले मानव ने इस रंगमंच पर पदार्पण किया।

धीरे धीरे समय के साथ साथ मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई। 20वीं सदी के प्रारम्भ में लगभग 165 करोड़ मनुष्य हो गए। आधुनिक युग में प्राधौगिकी का विकास हुआ। मनुष्य का जीवन काल बढ़ने लगा फिर भी भूख और रोग ने पृथ्वी के अधिकतर भाग में बढ़ती हुई जनसंख्या को दबाये रक्खा।

संसार अब भी उतना ही बड़ा है किन्तु इस सदी के आरम्भ से मानव परिवार दुगने से अधिक बड़ा हो गया है। स्वतंत्र राष्ट्रों की इस दुनियां ने अभाव को समाप्त करने का प्रण किया है। हर जगह स्वतंत्र मानव अपने बच्चों के लिए अधिक अच्छे संसार का स्वप्न देखता है। लेकिन यह स्वप्न तभी साकार हो सकता है, जब पृथ्वी का बोझ उसके सनसाधनों के अनुपात में हो।

भारत में प्रति 1·5 सेकन्ड में एक शिशु पैदा होता है, इस प्रकार प्रति दिन 55 हजार बच्चे जन्म लेते हैं। प्रति वर्ष जितने लोग मरते हैं उनसे 1 करोड़ 30 लाख ज्यादा जन्म लेते हैं। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्य 68·38 करोड़ हैं पिछले 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या की वृद्धि 24·75 प्रति हजार रही हर साल यह बढ़ोत्तरी पिछले साल से ज्यादा होती हैं।

आज हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का जो रुख है उसके परिणाम आज से दशाब्दियों और शताब्दियों बाद महसूस होंगे। आज हमारे कुछ करने या न करने का हानि-लाभ उन भविष्य की पीढ़ियों को ही होगा।

प्रति वर्ष 2·5 प्रतिशत से बढ़ने वाली आबादी लगभग 28 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। अतः भारत की जनसंख्या यदि इसी गति से बढ़ती रही तो अगले तीस वर्षों में ही हम आज से दुगुने हो जायेंगे। बहुत जल्दी बहुत अधिक आबादी बढ़ने के दुष्परिणाम हो सकते हैं और हो रहे हैं। भारत की अधिकांश जनता का रहन सहन का स्तर निम्न कोटि का है, वह प्रति दिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं से भी वंचित है अथवा उसे बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। अत्यधिक भीड़ भाड़, प्रदूषण, गरीबी, अज्ञानता, रोग सभी जनसंख्या वृद्धि के ही दुष्परिणाम हैं। स्वयं धरती पर, खेतों और जंगलों पर, झीलों और सागरों पर, मनुष्य की हलचलों का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है यदि मानव जाति की रक्षा करना है तो यह देखना होगा कि मनुष्य उसका दुरुपयोग न कर सके।

बच्चों के जन्म उसी परिवार और संसार में होना चाहिये, जो उनका उचित भरण पोषण कर सके उनका स्वागत कर सके।

आबादी की स्थिति हर देश में अलग-अलग हैं। किसी भी देश की आबादी और वहां के आर्थिक और समाजिक विकास का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध हैं। जनसंख्या वृद्धि और उपलब्ध संसाधनों के मध्य एक सीधा सम्बन्ध है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ संसाधनों में भी वृद्धि लानी आवश्यक है लेकिन संसाधनों में एक सीमा तक ही वृद्धि करना सम्भव हो पाता है। इनके बीच उचित अनुपात न रहने पर असंतुलन उत्पन्न होता है इसलिए यह आवश्यक है कि भारत को अपनी जनसंख्या नीति को आर्थिक विकास के साधनों को बढ़ाने और आय के अधिक न्याय संगत वितरण की दृष्टि से अनुकूल बनाना होगा। इसके अलावा कोई भी जनसंख्या नीति आर्थिक विकास का स्थान नहीं ले सकती। गरीबी, उत्पादन बढ़ा कर ही दूर की जा सकती है। कोई भी सहृदय व्यक्ति भारत के अधिकतर हिस्से में फैली गरीबी देखकर यह महसूस किये बिना नहीं रह सकता कि भौतिक सुख-सम्पदा में भारी वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है और यह तभी सम्भव है जब एक ओर हमारी जनसंख्या वृद्धि कम हो और दूसरी ओर अधिक तीव्र आर्थिक विकास हो। निम्न आबादी वृद्धि का अर्थ है प्रति मजदूर अधिक उत्पादन और अधिक आय। भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्यायें अनेक हैं जिन्होंने हमारे सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की नीव को हिला दिया है और अभी भी यदि हम जागरुक न होंगे तो निकट भविष्य में यह नीव खोखली हो जायेगी।

सामाजिक परिपेक्ष्य में यदि हम देखें तो हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन का एक प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। इतना ही नहीं भारत के महानगरों के एक कमरे में रहने वाले लोग अपनी ही मां-बाप, भाई-बहनों को साथ रखने में असुविधा महसूस करते हैं और अन्ततः परिवार टूटते हैं आपसी मनमुटाव और तनाव बढ़ता है। सच पुछिये तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण महानगरों में एक सामाजिक अजनबीपन का जन्म हुआ है।

आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव बहुत गहरे तक पहुंच गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक पांच-पांच वर्षीय योजनायें पूरी हो गई हैं। छठी योजना चल रही है। प्रत्येक योजना का लक्ष्य भारत को समृद्धिशाली बनाना रहा है, लेकिन जन संख्या वृद्धि के कारण ही इन विकास योजनाओं का लाभ जन साधारण तक नहीं पहुंच पा रहा है।

जन संख्या वृद्धि का खाद्यानों की आपूर्ति से गहरा सम्बन्ध है--

(1) अधिक जन संख्या--कम खाना पौष्टिकता की दृष्टि से निम्न स्तर का खाना--परिणाम--मन्द शारीरिक व मानसिक विकास, अस्वस्थता, उच्च मृत्यु दर, कमजोर शरीर।

(2) कमजोर शरीर--परिणाम--कम शक्ति, न्यून शारीरिक क्षमता, निम्न उत्पादन दर।

(3) निम्न उत्पादन दर--परिणाम--निर्धनता व खाद्यान्नों की आपूर्ति में कमी।

इस प्रकार यह क्रम चलता ही रहता है। गत तीन दशकों में भारत में खाद्यान्नों की अधिकाधिक उत्पत्ति के लिये अनेक प्रयास किये गये। रासायनिक खाद, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर व अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके आज प्रति हेक्टेयर उत्पादन पहले से दुगना व तिगुना तक हो गया है। फिर भी बढ़ती जन संख्या के अनुपात में खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और दोनों के मध्य की दूरी बढ़ती ही जा रही है।

हमारी अनियंत्रित जन संख्या वृद्धि ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा योजनाओं की उपलब्धियों को भी नगण्य कर दिया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में धारा 45 का समावेश इस आशा से किया था कि भारत की शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजना सफलीभूत होगी। धारा 45 में यह अंगीकार किया गया था कि संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी थी। तीस वर्ष बीत गये किन्तु सरकार द्वारा किये गये गम्भीर प्रयत्नों के बावजूद अभी तक हम 6-11 वय वर्ग के सब बच्चों को स्कूल लाने में सफल नहीं हो सके हैं। तब से लेकर अब तक शिक्षा सुविधाओं तथा दाखिले में बहुत विस्तार हुआ किन्तु जन संख्या विस्फोट ने इस उपलब्धि को इतना नगण्य बना दिया कि यदि हम प्रतिशत के रूप में देखें तो लगता है हमने कोई विशेष प्रगति नहीं की। 30 वर्षों के प्रयास के बाद भी सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है।

1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी भी हम केवल 36·17 प्रतिशत ही शिक्षित हो पाये हैं। इतना ही नहीं आज निरक्षरों की संख्या भी पहले से बढ़ गई है; कारण स्पष्ट है कि जिस गति से जन संख्या के आंकड़ों में वृद्धि हुई है उस गति से शिक्षा के आंकड़ों में वृद्धि करना सम्भव न हो सका। साक्षरों का प्रतिशत अवश्य बढ़ा किन्तु साथ ही निरक्षरों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

इससे स्पष्ट है कि भारत में जन संख्या विस्फोट के परिणाम हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन की प्रगति में सहायक न होकर घातक सिद्ध हो रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से हम विकास की ओर अग्रसर हैं परन्तु प्रति व्यक्ति सुविधायें जैसे भोजन, शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि में विशेष वृद्धि नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बहुत कम है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति होती रहे और इस प्रगति के फल का हम उपयोग करते रहे तो हमें अपनी जन संख्या की चढ़ती लहर को रोकना होगा।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 2432
Date 30/4/86

NIEPA DC
D02432

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम--ह्यूमन पोपूलेशनस

लेखक--डेविड हे

प्रकाशक--पेनाविन बुक्स लिमिटेड हरमोन्डसबर्थ मिडलेसेक्स इंग्लैंड, लन्दन ।

पृष्ठ संख्या--96

समीक्षक--नेम कुमार गुप्ता,
उप प्राचार्य,
क्षेत्रीय राज्य शिक्षा संस्थान,
मुजफ्फरनगर ।

वर्तमान समय में संसार में जन संख्या वृद्धि के सम्बन्ध में अत्यन्त भयानक तथा विवादास्पद बातें कही जाती हैं। जो बातें आज कही जाती हैं उन पर विश्वास करना भी विवादास्पद है। यह सभी जानते हैं कि जन संख्या के विस्फोट से विकासशील देशों के सामने बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। उनकी विकास योजनाओं के लाभ को बढ़ती जन संख्या ने समाप्तप्राय कर दिया है भूमि से मिलने वाली प्राकृतिक सम्पदा सीमित है। पशुओं की या अन्य जीवों की जन संख्या की वृद्धि से मानव जन संख्या की वृद्धि की तुलना सम्भव है फिर भी जीव विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान पुस्तक में मानव जन संख्या के सम्बन्ध में उल्लिखित है।

प्रथम अध्याय में लेखक का मत है कि आगामी 100 वर्ष में संसार की जन संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि समस्त भूमि तथा समुद्र मानव जन संख्या से ढक जाएगा और उनको निवास व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2000 खण्डों वाली इमारतों की आवश्यकता होगी। ऐसा मत तथा भविष्यवाणी ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे० एच० फ्रेमलिन की है। क्या ऐसी अवस्था में जीवन एक कैद घर की भांति नहीं होगा जब कि हमारे मकानों का क्षेत्रफल जन संख्या वृद्धि के कारण 7 1/2 वर्ग मीटर का हो जाएगा। उस समय भोजन, शुद्ध हवा और अन्य व्यर्थ पदार्थों को फेंकने के प्रबन्ध की जटिलता का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। यह जन संख्या का विस्फोट अति कष्टदायक और चिन्ता का विषय है। लेखक का कहना है कि छोटे-छोटे जीव मानव की अपेक्षा कई गुना जन संख्या में अधिक वृद्धि करते हैं लेकिन फिर उनमें अधिक संख्या को समस्या पैदा नहीं होती इसका कारण यह है कि उनका भोजन सरल है। उनका जीवन कुछ माह तथा कुछ वर्ष का है अथवा अल्पकालीन है। जब कि मानव जीवन की भोजन व्यवस्था विविध तथा अधिक मात्रा की है साथ ही विज्ञान (चिकित्सा विज्ञान के विकास) से मानव जीवन की जीवित रहने की अवधि दीर्घकालीन है अतः मानव जन संख्या में अति वृद्धि चिन्ता का कारण है।

द्वितीय अध्याय में (Fertility) उत्पादकता और जन संख्या के सम्बन्ध में तथ्यों से अवगत कराया है उसने बताया है कि छोटे आकार में जीव अपने अल्पकालीन जीवन चक्र में अधिक बच्चों को जन्म देते हैं परन्तु उनके जीवित रहने की अवधि भी अल्प ही होती है जब कि बड़े आकार के स्तनधारी विशेषकर मानव समाज में एक स्त्री 10 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक अधिक से अधिक 35 बच्चों को जन्म देती है लेकिन उनके जीवित रहने की अवधि छोटे जीवों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में, अमरीका, योरोप और सोवियत रूस की अपेक्षा इन देशों में जन्म दर 35 प्रतिशत अधिक है। यह देखा गया है कि जो परिवार अधिक धनी सम्पन्न है उनके यहां जन्म दर कम है अपेक्षाकृत उन परिवारों के जो गरीब हैं। ब्रिटेन में नगरों में जन्म दर गांव की अपेक्षा कम है। समाज में विभिन्न जीवन स्तर भी जन संख्या वृद्धि के कारण हैं जैसे उच्च स्तर के परिवारों में जन्म दर कम और निम्न स्तर के परिवारों में जन संख्या अधिक है।

अध्याय 3 में जन संख्या और मृत्यु दर का सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर अति दीर्घकालीन वृक्ष जो किसी भी जीवित जन्तु या मानव से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इसी प्रकार जन्तुओं में 1 या दो प्रकार के जन्तु जो 100 वर्ष से अधिक जीवित रहते हैं जैसे कछुए। सामान्यतः मनुष्य के जीवन की सीमा अब 50 से 75 वर्ष है लेकिन संसार के जीव एक दूसरे के शत्रु हैं और उनके पास बचाव के कम साधन है जब कि मनुष्य के बचाव के साधन अधिक हैं और इस प्रकार मानव समाज की जन संख्या अधिक हो जाती है। मनुष्य की मृत्यु का सामान्य कारण बीमारी है परन्तु बहुत सी बीमारियों की दवा खोजकर मनुष्य ने मृत्यु के इन अवसरों को भी कम कर दिया है। कुछ उन्नत तथा विकासशील देशों से प्लेग, माता तथा अन्य भयानक बीमारियां समाप्त हो चुकी हैं। अब सामान्यतः अकाल भी कम हो गये हैं जिनके कारण मृत्यु दर में कमी आई है।

चतुर्थ अध्याय में दिखाया गया है कि व्यक्ति एक देश से दूसरे देश, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त और एक नगर से दूसरे नगर को प्रवास करते हैं। गांव से कस्बे, औद्योगिक नगर व सम्पन्नता वाले स्थान को प्रवास करते हैं और इस प्रकार सम्पन्नता वाले, उद्योग खुलने या विकसित स्थानों को मानवों के प्रवास का कारण जन संख्या वृद्धि है।

इस अध्याय में व्यक्तियों के प्रवास का कारण यह भी बताया है कि घनी आबादी से कम आबादी वाले स्थानों पर जहां सम्पन्नता अधिक है व्यक्ति प्रवास करते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु की अनुकूलता की ओर भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जहां ठंड अधिक है अथवा जहां गर्मी अधिक होती है वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व न्यून होता है। जैसे ग्रीन लैंड तथा सहारा का रेगिस्तान। क्योंकि ऐसे स्थानों पर भोज्य पदार्थ कम मात्रा में उत्पादित किये जाते हैं।

इसी प्रकार जहां तापक्रम अधिक और वायु में नमी होती है वहां वनस्पति व जनसंख्या में वृद्धि तेजी से होती है जहां तापमान कम होता है ठंडक होती है वहां जन उत्पादन कम होता है। जनसंख्या वितरण भूमि भी एक कारण है। जहां भूमि समतल, उपजाऊ, खनिज सम्पदा से सम्पन्न तथा उद्योग निर्माण हेतु है वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और जहां भूमि पथरीली तथा रेगिस्तानी है ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है।

पांचवें अध्याय में परम्परागत समाज और जनसंख्या के विषय में लिखा है। लेखक ने बताया है कि आदिवासी या जनजाति के लोग एक समूह में रहते हैं और उनके रहन सहन व जीवन पद्धति विशेष प्रकार की होती है वे एक स्थान से दूसरे स्थान को विषम परिस्थितियों (भोजन के अभाव व सुरक्षा की कमी) में प्रवास करते हैं और परिणाम यह होता है कि उनकी जनसंख्या भिषण बीमारी आदि के कारण कम हो जाती है। लेकिन जो जनजाति या कबीले नदी के मुहाने पर रहते हैं और वहां भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं वहां उन कबीलों में जनसंख्या में आधिक्य पाया जाता है। टुन्ड्रा रेगिस्तान तथा झाड़ियों वाले स्थानों पर जनसंख्या आधिक्य की समस्या नहीं है।

छठवें अध्याय में आधुनिक जन संख्या वृद्धि के सम्बन्ध में लेखक ने प्रकाश डाला है। विद्वानों का मत है कि यदि जनसंख्या वृद्धि का यही क्रम चलता रहा तो कुछ शताब्दियों में जनसंख्या की वृद्धि इतनी अधिक हो जायेगी कि पूरा भूमण्डल जलीय स्थान सहित जनसंख्या से घिर जायेगा। और इस आबादी को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए 2000 मन्जिली इमारतों की आवश्यकता होगी (केमलिन के मतानुसार) जनसंख्या वृद्धि में केवल भोजन ही एक समस्या नहीं है जीवन के और भी पहलू हैं जैसे आवास व्यवस्था व रोजगार समस्या। इसी प्रकार विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि विकास के सभी लाभों को नष्ट कर देती है और वहां के रहने वालों को जीवन स्तर ऊंचा करने में कठिनाई होती है। इसके साथ पर्यावरण भी दूषित होता है जो अच्छे जीवन के लिए बाधक है।

सातवें अध्याय में जनसंख्या नियंत्रण के विषय में लिखा गया है। लेखक का मत है कि मृत्यु दर पर नियंत्रण के कारण जनसंख्या वृद्धि प्रभावित हुई है। 80 वर्ष के अंतराल में इसी कारण मारीशस में मनुष्य के जीवन की औसत आयु 31 वर्ष से 51 वर्ष हो गई है। मलेरिया जैसे घातक रोग की रोकथाम से जीवन अन्तराल बढ़ा है लेकिन जनसंख्या नियंत्रण न होने से जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसी कारण प्राकृतिक सम्पदा में अधिक वृद्धि न होने के कारण जनसंख्या में और अधिक वृद्धि हुई है। अतः जनसंख्या वृद्धि रोकने के दो उपाय हैं जन्म दर में कमी हो जबकि मृत्यु दर बढ़े। अतः फेमलान के मतानुसार जनसंख्या वृद्धि से अगले 600 वर्ष में जो भयावह स्थिति होने वाली है उसे उक्त दोनों उपायों में से किसी एक उपाय को जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए चुनना होगा। लेकिन आणुविक युद्ध से मृत्यु दर को बढ़ाने को कोई भी पसन्द नहीं करेगा अतः जन्म दर में कमी होना चाहिए। मानव समाज में जनसंख्या नियंत्रण आदिम अवस्था में तीन प्रकार से थी ईसा के जन्म से पूर्व समाज के लोग बच्चों के जन्म पर आधे बच्चों को जन्म के समय ही मार देते थे। दूसरी विधि गर्भपात की थी। तीसरी विधि यह कि जो व्यक्ति अपनी शारीरिक स्वस्थता तथा पौरुष को प्रमाणित नहीं कर पाता था उसको शादी करने की अनुमति नहीं थी। कुछ जातियों में बच्चा उत्पन्न होने के दो वर्ष तक स्त्री सम्भोग वर्जित था। डा0 मेरी डगलस ने लिखा है कि दक्षिणी भारत के ब्राह्मण परिवार में केवल बड़ा लड़का और बड़ी लड़की ही शादी करते थे। इस प्रकार जनसंख्या की दर नहीं बढ़ने पाती थी। अतः आदिम अवस्था अथवा ईसा से पूर्व समाज में जनसंख्या का स्तर सम रखने के उपाय अपनाये जाते थे।

आधुनिक समाज में शिक्षा की प्रगति जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से समाज को अवगत करा कर इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। विशेषकर विकासशील देशों के पिछड़े देशों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या अति भयावह है वहां शिक्षा का अभाव व जनसंख्या वृद्धि से होने वाली कठिनाइयों से अवगत न होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर अभी भी अधिक है जिसके कारण वहां अच्छे जीवन स्तर व रोजगार की समस्याएं भयानक हैं। लेकिन परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा शिक्षा के प्रसार से इन समस्याओं के समाधान करने के उपायों में कुछ सफलता मिली है। प्राथमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम से लेकर अन्य शिक्षा के स्तर में यदि जनसंख्या शिक्षा को सम्मिलित किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता मिलेगी। लेखक ने अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के सचित्र व ग्राफ के माध्यम से उपाय सुझाए हैं।

आठवें अध्याय में औद्योगिक जनसंख्या के विषय में लिखा गया है। जिसमें लेखक ने जैविक कारणों से जनसंख्या वृद्धि के विषय में लिखा है। इससे पूर्व जनसंख्या वृद्धि में जन्मदर मृत्यु दर और प्रवास के कारणों का उल्लेख किया है। जब समाज सभ्यता व उद्योग का विकसित दशा में होता है तब सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। सभी विकसित देशों में जन्म, मृत्यु व शादियों की जनगणना द्वारा जनसंख्या की गणना की जाती है। अब पिछड़े तथा विकासशील देशों की जनसंख्या की गणना की जा रही है यद्यपि उन देशों में यह कार्य जटिलता से सम्पन्न होता है। अब जबकि जीवन रक्षक दवाइयों का अधिक तेजी से विस्तार हुआ है और सरलता से कम मूल्य पर उनकी उपलब्धि हुई है मृत्यु दर तेजी से घटी है तथा जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट के कारण जनसंख्या में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन विकासशील देशों ने परिवार कल्याण की आधुनिक विधियों तथा जीवन स्तर को उन्नत करने वाले

साधनो को प्राप्त कर जनसंख्या को सीमित करने में योगदान किया है जिसके कारण वहां जनसंख्या वृद्धि रुकी है। आधुनि विकास तभी उद्योगीकरण की क्रिया से मानव जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है और उनके उच्च स्तर के जीवन की माग ने परिवार में कम सदस्यों की भावना ने जनसंख्या सीमित करने में योगदान दिया है। यद्यपि उद्योग की प्राथमि विकास की अवधि में जीवन स्तर के सुधार म जनन शक्ति की वृद्धि होती है किन्तु कुछ समय तक। उसके उपरान्त अ विकास की अवस्था में परिवारों में जनसंख्या की कमी प्रारम्भ हो जाती है ऐसा इसलिए होता है कि लोगों की आय वृद्धि होने पर वे सोचते हैं कि उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं या अगला बच्चा। अतः समाज में परिवार नियोजन के साधनों को उपयोग कर परिवार सीमित करने की भावना आती है और वे निरोध के उपाय प्रारम्भ कर जनसंख्या वृ को रोकने में समर्थ होते हैं।

इस प्रकार लेखक ने जनसंख्या की वृद्धि पुराने समय में किस प्रकार से सीमित होती थी और अब वर्तमान यु में कैसे रोका जा सकता है, पर विस्तार से सामयिक विवरण प्रस्तुत किया है।

पी0 एस0 यू0 पी0—8 शिक्षा--6-7-82--1000 (पी0 डी0।

इलाहाबाद
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984